

वित्त अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ
परिपत्र संख्या 1/2024 [एफ.सं. 370142/38/2023] , दिनांक 23-1-2024

आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से किया गया

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	विवरण
2	परिभाषाएं
9	भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाने वाली आय
10	कुल आय में शामिल नहीं की गई आय
10 कक	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नव स्थापित इकाइयों के संबंध में विशेष प्रावधान
11	धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से आय।
12ए	धारा 11 और 12 की प्रयोज्यता की शर्तें
12एबी	नए पंजीकरण की प्रक्रिया
13	धारा 11 कुछ मामलों में लागू नहीं होगी
17	"वेतन", "अनुलाभ" और "वेतन के बदले लाभ" की परिभाषा
28	व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति
35डी	कुछ प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन
43बी	कुछ कटौतियाँ केवल वास्तविक भुगतान पर ही होंगी
43डी	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक कम्पनियों आदि की आय के मामले में विशेष प्रावधान।
44एबी	व्यवसाय या पेशे से जुड़े कुछ व्यक्तियों के खातों का लेखा-परीक्षण
44ई.	प्रकल्पित आधार पर व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति की गणना के लिए विशेष प्रावधान
44एडीए	अनुमानित आधार पर पेशे के लाभ और प्राप्ति की गणना के लिए विशेष प्रावधान
44बीबी	खनिज तेलों के अन्वेषण आदि के कारोबार के संबंध में लाभ और अभिलाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान।
44बीबीबी	कुछ टर्नकी विद्युत परियोजनाओं में सिविल निर्माण आदि के व्यवसाय में लगी विदेशी कंपनियों के लाभ और प्राप्ति की गणना के लिए विशेष प्रावधान
45	पूँजीगत लाभ
47	लेनदेन को स्थानांतरण नहीं माना जाता
48	गणना का तरीका
49	अधिग्रहण के कुछ तरीकों के संदर्भ में लागत
50एए	बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूँजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान
54	निवास के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति की बिक्री पर लाभ
54ईए	निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।
54ईबी	कुछ मामलों में दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।
54 ईसी	कुछ बांडों में निवेश पर पूँजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।
54ईडी	कुछ मामलों में कुछ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या इकाई के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।

54 छ	आवासीय मकान में निवेश के मामले में कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा।
55	'समायोजित', 'सुधार की लागत' और 'अधिग्रहण की लागत' का अर्थ
56	अन्य स्रोतों से आय
72ए	समामेलन या विभाजन आदि में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधान।
72एए	कुछ मामलों में समामेलन योजना में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाना और समायोजित करना।
79	कुछ कंपनियों के मामले में घाटे को आगे ले जाना और समायोजित करना
80 डिग्री सेल्सियस	जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर आदि में अभिदान के संबंध में कटौती।
80सीसीसी	कुछ पेंशन निधियों में योगदान के संबंध में कटौती
80सीसीडी	केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती
80सीसीएच	अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती
80 जी	कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती।
80-आईएसी	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में विशेष प्रावधान
80एलए	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती
87	आयकर की गणना में छूट की अनुमति दी जाएगी
87ए	कुछ व्यक्तियों के मामले में आयकर में छूट
88	जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि पर छूट (छोड़ा गया)
92बीए	निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन का अर्थ
92डी	कुछ व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेज का रखरखाव, रखरखाव और प्रस्तुत करना
94बी	कुछ मामलों में ब्याज कटौती की सीमा
111ए	कुछ मामलों में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
112	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर
115 क	विदेशी कंपनियों के मामले में लाभांश, रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क पर कर
115बीएसी	व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार की आय पर कर
115बैड	कुछ निवासी सहकारी समितियों की आय पर कर
115बीआई	कुछ नई विनिर्माण सहकारी समितियों की आय पर कर
115बीबी	लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल या किसी भी रूप या प्रकृति के जुए या सट्टेबाजी से जीत पर कर।
115बीबीजे	ऑनलाइन गेम से जीत पर कर।
115जेसी	कंपनी के अलावा कुछ व्यक्तियों द्वारा कर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान
115जेडी	वैकल्पिक न्यूनतम कर के लिए कर क्रेडिट
115टीडी	अर्जित आय पर कर
115यूए	यूनिट धारक और व्यावसायिक ट्रस्ट की आय पर कर।
115वीपी	टन भार कर योजना चुनने की विधि और समय
116	आयकर प्राधिकारी।
119	अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश
131	खोज, साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि से संबंधित शक्ति।

132	खोज और जब्ती
133	सूचना मांगने की शक्ति.
134	कम्पनियों के रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने की शक्ति।
135ए	सूचना का चेहराविहीन संग्रह.
140बी	अद्यतन रिटर्न पर कर
142	मूल्यांकन से पहले पूछताछ
148	जहां आय का आकलन नहीं किया गया है वहां नोटिस जारी करना
149	नोटिस की समय सीमा
151	नोटिस जारी करने की मंजूरी।
153	पुनर्गणना के पूरा होने की समय सीमा
154	गलती का सुधार.
155	अन्य संशोधन
158ए	प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब करदाता दावा करता है कि समान विधि का प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
158एबी	प्रक्रिया जहां विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
170ए	पुनर्गठन के संबंध में न्यायाधिकरण या न्यायालय के आदेश का प्रभाव
177	एसोसिएशन भंग हो गया या व्यवसाय बंद हो गया।
189	फर्म भंग हो गई या कारोबार बंद हो गया।
192ए	किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि का भुगतान
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज
194बी	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहली आदि से जीत ।
194बीए	ऑनलाइन गेम से जीत
194बीबी	घुड़दौड़ से जीत.
194एलसी	भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय
194एन	कुछ निश्चित राशि का नकद भुगतान।
194आर	व्यवसाय या पेशे के संबंध में लाभ या अनुलाभ पर कर की कटौती
196ए	अनिवासियों की इकाइयों के संबंध में आय।
197	कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
206एबी	आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर कटौती का विशेष प्रावधान
206सी	मादक मदिरा, वनोपज, स्क्रेप आदि के व्यापार से होने वाला लाभ और आय।
206सीसी	वसूलीकर्ता द्वारा स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता
206सीसीए	आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर संग्रहण हेतु विशेष प्रावधान
241ए	कुछ मामलों में धन वापसी रोक दी जाएगी।
244ए	रिफंड पर ब्याज.
245	कुछ मामलों में रिफंड का सेट ऑफ और रोक
245डी	धारा 245सी के तहत आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया
245एमए	विवाद समाधान समिति
245आर	आवेदन प्राप्त होने की प्रक्रिया
246	संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश
249	अपील का प्रारूप और सीमा.

250	अपील की प्रक्रिया
251	संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) की शक्तियां।
253	अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील
264	अन्य आदेशों में संशोधन
267	अपील पर मूल्यांकन में संशोधन.
269एसएस	कुछ ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि लेने या स्वीकार करने का तरीका।
269टी	कुछ ऋणों या जमाओं की चुकौती का तरीका।
271	रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, नोटिस का अनुपालन न करना, आय को छिपाना आदि।
271ए	खाता-बही, दस्तावेज आदि को रखने, बनाए रखने या बनाए रखने में विफलता।
271एएसी	निश्चित आय के संबंध में जुर्माना.
271एएडी	लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टि आदि के लिए जुर्माना।
271सी	स्रोत पर कर कटौती न करने पर जुर्माना
271एफएए	वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर जुर्माना।
271जे	रिपोर्ट या प्रमाण-पत्र में गलत जानकारी देने पर जुर्माना।
274	प्रक्रिया।
275	दंड लगाने की समय सीमा।
276ए	धारा 178 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधानों का अनुपालन न करना।
276बी	अध्याय XII-D या XVII-B के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान करने में विफलता।
279	अभियोजन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निर्देश पर किया जाएगा।
287	कुछ मामलों में करदाताओं के संबंध में सूचना का प्रकाशन
295	नियम बनाने की शक्ति.

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से किया गया

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 में संशोधन द्वारा प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों में संशोधन-

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय

अध्याय VII

विवरण

प्रतिभूति लेनदेन कर

बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से किया गया

बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (पीबीपीटी अधिनियम) के प्रावधानों का युक्तिकरण -

पीबीपीटी अधिनियम की धारा

2

विवरण

परिभाषाएं

46

अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से किया गया

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) को आयकर छूट का विस्तार 31-3-2025 तक -

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की

विवरण

धारा

8

प्रशासक को कार्यालय खाली करना होगा

13

कर छूट या लाभ का प्रभाव जारी रहेगा।

1 परिचय

1.1 संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम, 2023 (जिसे आगे 'वित्तीय विनियमन 2023' कहा जाएगा) को 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई

और इसे 2023 के अधिनियम संख्या 8 के रूप में अधिनियमित किया गया।

1.2 यह परिपत्र प्रत्यक्ष करों से संबंधित एफए 2023 के प्रावधानों का सार स्पष्ट करता है।

2. एफए 2023 द्वारा किए गए परिवर्तन 2.1 एफए 2023 में,-

(i) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर की विद्यमान दरें तथा आयकर की दरें निर्दिष्ट की जाएंगी जिनके आधार पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अग्रिम कर का भुगतान किया जाएगा; तथा

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया।

3. दर संरचना

3.1 निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कर योग्य आय के संबंध में आयकर की दरें।

3.1.1 वित्त अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची का भाग I, कर-देय सभी श्रेणियों के करदाताओं की आय के संबंध में कर की दरें निर्धारित करता है, जो कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए देय हैं। ये दरें वित्त अधिनियम, 2022 की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित दरों के समान हैं, जो "अग्रिम कर" की गणना, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ मामलों में देय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए हैं। उक्त भाग I में निर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

3.1.2 व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति।

प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ए प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी को छोड़कर) के मामले में आयकर की दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट करता है :—

कर योग्य आय	निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर की दर		
	व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में निवास करने वाला व्यक्ति जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम हो। (वरिष्ठ नागरिक)	भारत में रहने वाला व्यक्ति जो अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो (अति वरिष्ठ नागरिक)

2,50,000 रुपये तक	शून्य		
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000	5%	शून्य	शून्य
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000		5%	
रु. 5,00,001 - रु. 10,00,000	20%	20%	20%
10,00,000 रुपये से अधिक	30%	30%	30%

अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों या एचयूएफ के लिए, उक्त धारा में निर्दिष्ट दरें निम्नानुसार हैं :—

कुल आय (रु.)	निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर की दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%
5,00,001 से 7,50,000 तक	10%
7,50,001 से 10,00,000 तक	15%
10,00,001 से 12,50,000 तक	20%
12,50,001 से 15,00,000 तक	25%
15,00,000 से ऊपर	30%

इस प्रकार संगणित आयकर की राशि, जिसमें धारा 115बीएसी के तहत विकल्प का प्रयोग करने वाले व्यक्ति या एचयूएफ के मामले में, या अधिनियम की धारा 111ए या धारा 112 या धारा 112ए के प्रावधानों के तहत संगणित लेकिन अधिनियम की धारा 115एडी के तहत कोई आय नहीं होने पर, अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी,-

- (i) जिसकी कुल आय (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से; और
- (ii) जिसकी कुल आय (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;
- (iii) जिसकी कुल आय (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;
- (iv) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के सैंतीस प्रतिशत की दर से;
- (v) जिसकी कुल आय (लाभांश के माध्यम से आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उपरोक्त खंड (iii) या (iv) के तहत कवर नहीं होती है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से।

जहां कुल आय में लाभांश के रूप में कोई आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत प्रभार्य आय शामिल है, वहां आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

i) से (v) में दी गई दरों पर होगा।

किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या प्रत्येक व्यक्ति संघ (केवल कंपनियों के सदस्यों वाले व्यक्ति संघ के मामले को छोड़कर) या व्यक्तियों के निकाय (चाहे निगमित हो या नहीं) या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जिसकी आय अधिनियम की धारा 115एडी के तहत है, के मामले में, इस प्रकार गणना की गई आयकर की राशि में अधिभार जोड़ा जाएगा, -

- (i) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से; और
- (ii) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक न हो, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;
- (iii) बी) में निर्दिष्ट प्रकृति के लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;
- (iv) बी) में निर्दिष्ट प्रकृति के लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर] पांच करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के सैंतीस प्रतिशत की दर से;
- (v) जिसकी कुल आय [जिसमें अधिनियम की धारा 115एडी की उपधारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय या लाभांश के रूप में आय शामिल है] दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उपखंड (iii) और (iv) में शामिल नहीं है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से:

जहां कुल आय में लाभांश के रूप में कोई आय या अधिनियम की धारा 115एडी की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रभार्य आय शामिल है , आय के उस हिस्से पर गणना की गई आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्यक्तियों के ऐसे संघ के मामले में जिसके सदस्य केवल कंपनियाँ हों, अधिभार की गणना इस प्रकार की जाएगी -

- (i) ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है;

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि सीमांत राहत उपलब्ध होगी, इसलिए कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि-

- (i) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अनधिक की आय पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (ii) एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दो करोड़ रुपये से अनधिक की कुल आय, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (iii) दो करोड़ रुपये से अधिक किन्तु पांच करोड़ रुपये से अनधिक की कुल आय, दो करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से दो करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

- (iv) पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.3 सहकारी समितियां.

वित्तीय अधिनियम 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग I के पैराग्राफ बी में प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में आयकर की दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई हैं :-

कर योग्य आय	दर
10,000 रुपये तक	10%
रु. 10,001 - रु. 20,000	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

यदि किसी सहकारी समिति की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अंतर्गत इस प्रकार संगणित या यथा संगणित आयकर की राशि पर ऐसे आयकर के सात प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

यदि किसी सहकारी समिति की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

इसके अतिरिक्त, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, भारत में निवास करने वाली सहकारी समिति को धारा 115बीएडी के प्रावधानों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प होगा। ऐसे आयकर पर 10% अधिभार लगेगा।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 115बीएडी के तहत कराधान का विकल्प चुनने वालों के अलावा, प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में सीमांत राहत उपलब्ध होगी, इसलिए कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि-

- (i) एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अनधिक, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.4 फर्में.

वित्तीय अधिनियम 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ सी में प्रत्येक फर्म के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्धारित की गई है।

अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संगणित या संगणित आयकर की राशि, किसी फर्म की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.5 स्थानीय प्राधिकरण.

एफए 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ डी में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है।

अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संगणित या संगणित आयकर की राशि, स्थानीय प्राधिकरण की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.6 कंपनियाँ.

एफए 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग I का पैराग्राफ ई कंपनी के मामले में आयकर की दरों को निर्दिष्ट करता है।

(i) घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर है

(क) कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, यदि पिछले वर्ष 2020-21 में कंपनी का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) कंपनी के विकल्प पर कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीए के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;

(ग) कुल आय का बाईस प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीए के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;

(घ) कुल आय का पंद्रह प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;

(ई) अन्य सभी मामलों में कुल आय का तीस प्रतिशत।

अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 या धारा 112ए के प्रावधानों के तहत इस प्रकार या यथा संगणित कर पर सात प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा, जहाँ ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक परंतु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

तथापि, जहां घरेलू कंपनी धारा 115बीए या धारा 115बीएबी के तहत विकल्प का प्रयोग करती है, वहां सभी आय स्तरों के लिए गणना किए गए कर में दस प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा।

(ii) घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में कर की दर चालीस प्रतिशत है।

हालाँकि, कंपनी की कुल आय के उस भाग पर कर की दर पचास प्रतिशत होगी, जो निम्नलिखित है:

(क) सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान से उसके द्वारा सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त रॉयल्टी; या

(ख) सरकार या किसी भारतीय प्रतिष्ठान से उसके द्वारा सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस, और जहां ऐसा करार, दोनों में से किसी भी मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।

यदि ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो इस प्रकार संगणित कर में दो प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा। यदि ऐसी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

तथापि, अधिनियम की धारा 115बीए या 115बीएबी के अंतर्गत कराधान का विकल्प चुनने वाली कंपनियों को छोड़कर प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि,-

(मैं) एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से, दस करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

प्रत्येक कंपनी के मामले में आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर , अधिभार सहित, गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3.2 ऐसे मामलों में, जिनमें आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत कर एकत्र किया जाना है, संग्रह उस धारा में निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा और संघ के प्रयोजनों के लिए, एफए 2023 की धारा 2 की उप-धारा (8) में प्रदान की गई दरों पर गणना करके अधिभार बढ़ाया जाएगा।

3.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुछ आय से स्रोत पर आयकर कटौती की दरें (वेतन के अलावा)

3.3.1 प्रत्येक मामले में जिसमें अधिनियम की धारा 193, 194ए, 194बी, 194बीबी, 194डी, 194एलबीए, 194एलबीबी, 194एलबीसी और 195 के प्रावधानों के तहत लागू दरों पर कर काटा जाना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें वित्त अधिनियम 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट दरों के समान ही बनी रहेंगी, सिवाय निम्नलिखित के:

(मैं) नव-प्रविष्ट धारा 194बीए के अंतर्गत ऑनलाइन गेम से जीत के माध्यम से आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती 30% की दर से

होगी जो कि वर्तमान दर होगी;

- (ii) धारा 80एलए की उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई से प्राप्त लाभांश के रूप में आय पर स्रोत पर आयकर की कटौती, 10% की दर से होगी, जो कि लागू दर होगी;
- (iii) किसी अनिवासी (कंपनी के अलावा) या किसी विदेशी कंपनी को तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में आय के रूप में किए गए भुगतान पर स्रोत पर आयकर की कटौती 20% की दर से होगी, जो कि लागू दर होगी।

स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्दिष्ट करने वाली धाराओं के लिए, कर की कटौती इन धाराओं के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी।

3.3.2 अधिभार.

इस प्रकार कटौती की गई कर की राशि में अधिभार जोड़ा जाएगा,—

- (ए) प्रत्येक व्यक्ति या एचयूएफ या व्यक्तियों के संघ (केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संघ के मामले को छोड़कर) या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, के मामले में, गणना की जाती है, -
- (मैं) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल योग (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल योग (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iii) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल योग (लाभांश के रूप में आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) का भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iv) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल योग (लाभांश के माध्यम से आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पांच करोड़ रुपये से अधिक है;
- (वी) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल योग (लाभांश के माध्यम से आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) का भुगतान किया गया है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन उपरोक्त (iii) और (iv) के तहत कवर नहीं किया गया है।
ऐसे मामले में जहां कुल आय में लाभांश के रूप में कोई आय या अधिनियम की धारा 111ए, 112 और 112ए के प्रावधानों के तहत आय शामिल है, आय के उस हिस्से के संबंध में कटौती की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त, जहां किसी व्यक्ति की आय अधिनियम की धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) के अंतर्गत कर योग्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (बी) व्यक्तियों के ऐसे संघ के मामले में जो अनिवासी है, तथा जिसके सदस्य केवल कंपनियां हैं, गणना की जाएगी,-
- (मैं) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है।
- (सी) प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में, जो अनिवासी है, गणना की जाती है, -
- (मैं) ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन दस करोड़ रुपये से अधिक है।
- (डी) प्रत्येक फर्म के मामले में, जो अनिवासी है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की

संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है;

- (ई) घरेलू कंपनी के अलावा प्रत्येक कंपनी के मामले में, गणना की जाएगी,—
- (में) ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन दस करोड़ रुपये से अधिक है।
- (एफ) किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, फर्म, निवासी या घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर कर कटौती पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

3.3.3 स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर .

आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, संघ के प्रयोजनों के लिए, आयकर के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा, जिसमें कटौती किया गया कर और अधिभार, यदि कोई हो, भी शामिल है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी विदेशी कंपनी की आय 1,20,00,000/- रुपये है और ऐसी विदेशी कंपनी से 10 प्रतिशत की दर से काटा जाने वाला कर 12,00,000/- रुपये है, तो काटे गए ऐसे कर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार 24,000/- रुपये होगा। काटे गए कर और अधिभार की ऐसी राशि पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (अर्थात् 12,00,000/- रुपये + 24,000/- रुपये = 12,24,000/- रुपये) 48,960/- रुपये होगा।

3.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती, "अग्रिम कर" की गणना और कुछ मामलों में आयकर लगाने की दरें

3.4.1 वित्तीय विनियमन 2023 की पहली अनुसूची का भाग III वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान "वेतन" से या अधिनियम की धारा 194पी के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरों को निर्दिष्ट करता है और साथ ही सभी श्रेणियों के करदाताओं के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय "अग्रिम कर" की गणना के लिए दरों को वित्तीय विनियमन 2023 की पहली अनुसूची के उक्त भाग में निर्दिष्ट किया गया है। ये दरें उन मामलों में चालू आय पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर वसूलने के लिए भी लागू हैं जहां त्वरित मूल्यांकन किया जाना है, उदाहरण के लिए , भारत में गैर-निवासियों को होने वाले शिपिंग मुनाफे का अनंतिम मूल्यांकन, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, कर से बचने के लिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, अल्प अवधि के लिए गठित निकायों का मूल्यांकन आदि। दरें निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रदान की गई हैं।

3.4.2 व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

अधिनियम की धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) में प्रदत्त दरें, डिफॉल्ट रूप से, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ [सहकारी समिति के अलावा], या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए कुल आय के संबंध में देय आयकर का निर्धारण करने के लिए लागू होंगी। ये दरें निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं: -

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रुपये तक	शून्य
2.	3,00,001 रुपये से 6,00,000 रुपये तक	5 %
3.	6,00,001 रुपये से 9,00,000 रुपये तक	10 %
4.	9,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक	15 %
5.	12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक	20%
6.	15,00,000 रुपये से अधिक	30 %

तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 115बीएसी की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो प्रथम अनुसूची के भाग III में उपबंधित दरें लागू होंगी।

अधिसूचना संख्या 43/2023 (जीएसआर 452[ई]) दिनांक 21-6-2023 के तहत, आयकर नियम, 1962 ('नियम') में नियम 21एजीए को शामिल किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 115बीएसी की उप-धारा (6) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने का तरीका प्रदान किया जा सके और प्रपत्र संख्या 10-आईईए निर्धारित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नियमों के नियम 2बीबी, 3 और 5 में भी परिणामी संशोधन किए गए हैं।

प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ 'ए' प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी को छोड़कर) के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट करता है, जिनकी आय धारा 115BAC की उप-धारा (1A) के अंतर्गत कर योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल छूट सीमाएँ, कर की दरें और आय के स्लेब वित्तीय वर्ष 2022-23 के समान ही रहेंगे।
ये इस प्रकार हैं:—

कर योग्य आय	आयकर की दर	भारत में निवास करने वाला व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में रहने वाला व्यक्ति जो अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो (अति वरिष्ठ नागरिक)
2,50,000 रुपये तक	शून्य	शून्य	शून्य
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000	5%		
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000		5%	
रु. 5,00,001 - रु. 10,00,000	20%	20%	20%
10,00,000 रुपये से अधिक	30%	30%	30%

धारा 115बीएसी के तहत इस प्रकार गणना की गई या गणना की गई या अधिनियम की धारा 111ए या धारा 112 या धारा 112ए के प्रावधानों के तहत गणना की गई आयकर की राशि में अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी,-

- (ए) ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी कुल आय (धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत लाभांश या आय के रूप में कोई आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी कुल आय (धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत लाभांश या आय के रूप में कोई आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (सी) ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी कुल आय (धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत लाभांश या आय के रूप में किसी भी आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (डी) ऐसे आयकर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, यदि किसी व्यक्ति की कुल आय (धारा 111ए, 112 और 112ए के अंतर्गत लाभांश या आय के रूप में किसी आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक है;
- (ई) ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी कुल आय (धारा 111ए, 112 और 112ए के तहत लाभांश या आय के रूप में कोई आय सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन जो ऊपर (सी) या (डी) में शामिल नहीं है;

यह ध्यान देने योग्य है कि यदि कुल आय में लाभांश के रूप में कोई आय या अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के अंतर्गत प्रभार्य आय शामिल है, तो आय के उस भाग के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इसके अलावा, केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संघ के मामले में, अधिभार की गणना इस प्रकार की जाएगी,-

- (ए) ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, वहां ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी आय अधिनियम की धारा 115BAC की उप-धारा (1A) के अंतर्गत कर योग्य है, ऐसे व्यक्ति की आय या कुल आय (अधिनियम की धारा 111A, 112 और 112A के प्रावधानों के अंतर्गत लाभांश या आय को छोड़कर) पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार लागू नहीं होगा, जो पाँच करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे मामलों में अधिभार 37 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

तथापि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी ताकि कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि-

- (i) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अनधिक की आय पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (ii) एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दो करोड़ रुपये से अनधिक की कुल आय, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (iii) दो करोड़ रुपये से अधिक किन्तु पांच करोड़ रुपये से अनधिक की कुल आय, दो करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से दो करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (iv) पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

धारा 87ए के तहत छूट

निर्धारण वर्ष 2024-25 से, भारत में निवासी एक व्यक्ति , जिसकी आय धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) के अंतर्गत कर योग्य है, वह अब 7 लाख रुपये से अनधिक की कुल आय पर देय आयकर की राशि के 100 प्रतिशत की छूट का हकदार होगा ।

जिन लोगों की आय 7 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है , उन्हें भी सीमांत राहत प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार, जहां कुल आय धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) के तहत कर योग्य है, और कुल आय-

- (ए) सात लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो करदाता अपनी कुल आय पर आयकर की राशि (अधिनियम के अध्याय VIII के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले गणना की गई) से कटौती का हकदार होगा, जो किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए उस पर प्रभावी है, ऐसे आयकर के एक सौ प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रुपए की राशि, जो भी कम हो;
- (बी) सात लाख रुपए से अधिक है और ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिससे कुल आय सात लाख रुपए से अधिक है, निर्धारित अपनी कुल आय पर आयकर की राशि (अधिनियम के अध्याय VIII के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले गणना की गई) से कटौती का हकदार होगा, जो उस राशि के बराबर होगी जिससे ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिससे कुल आय सात लाख रुपए से अधिक है।

धारा 115BAC की उप-धारा (1A) के अंतर्गत कराधान से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाले निवासी व्यक्ति को धारा 87A के अंतर्गत छूट केवल तभी उपलब्ध है जब उसकी कुल आय पाँच लाख रुपये से अधिक न हो। ऐसे मामलों में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं है।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

अधिभार सहित गणना की गई कर की राशि।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त, जहाँ किसी व्यक्ति की कुल आय, अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट एक विनिर्दिष्ट निधि है , जिसकी आय धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) के अंतर्गत कर योग्य है और जहाँ ऐसी आय में अधिनियम की धारा 115एडी की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत कोई आय शामिल है, वहाँ आय के उस भाग पर संगणित कर में कोई अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में ऐसे आयकर पर कोई स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नहीं लगाया जाएगा।

3.4.3 सहकारी समितियां.

वित्तीय अधिनियम 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ 'बी' में प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें इस प्रकार हैं: -

कर योग्य आय	दर
10,000 रुपये तक	10%
रु. 10,001 - रु. 20,000	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

यदि किसी सहकारी समिति की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अंतर्गत इस प्रकार संगणित या यथा संगणित आयकर की राशि पर ऐसे आयकर के सात प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

यदि किसी सहकारी समिति की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

कुछ शर्तों को पूरा करने पर, भारत में निवास करने वाली किसी सहकारी समिति के पास धारा 115बीएडी के प्रावधानों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प होगा। ऐसे कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।

इसके अलावा, अधिनियम की नई धारा 115BAE के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद स्थापित कोई नई विनिर्माण सहकारी समिति, जो 31 मार्च 2024 को या उससे पहले विनिर्माण या उत्पादन शुरू करती है और किसी भी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ नहीं उठाती है, वह आकलन वर्ष 2024-25 से आगे के लिए पंद्रह प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकती है। ऐसे कर पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।

सहकारी समिति (धारा 115बीएडी और 115बीईई के लाभ का दावा करने वाली सहकारी समिति को छोड़कर) के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

- (मैं) एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से, दस करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.4.4 फर्में.

एफए 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ सी में प्रत्येक फर्म के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है।

अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संगणित या यथा संगणित आयकर की राशि, किसी फर्म की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाई जाती रहेगी। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.4.5 स्थानीय प्राधिकरण.

एफए 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ डी में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है।

अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संगणित या संगणित आयकर की राशि, स्थानीय प्राधिकरण की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, ऐसे आयकर पर बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाई जाती रहेगी। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर आयकर एवं अधिभार की राशि के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.4.6 कंपनियाँ.

एफए 2023 की प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ ई कंपनी के मामले में आयकर की दर निर्दिष्ट करता है।

- (मैं) घरेलू कंपनी के मामले में आयकर की दर है,-
- (ए) कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, यदि पिछले वर्ष 2021-22 में कंपनी का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीए के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;
- (सी) कुल आय का बाईस प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीए के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;
- (डी) कुल आय का पंद्रह प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत कराधान का विकल्प चुनती है;

है;

(ई) अन्य सभी मामलों में कुल आय का तीस प्रतिशत।

अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 या धारा 112ए के प्रावधानों के तहत इस प्रकार या यथा संगणित कर पर सात प्रतिशत का अधिभार लगाया जाता रहेगा, जहाँ ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

तथापि, जहाँ घरेलू कंपनी धारा 115बीए या धारा 115बीबी के तहत विकल्प का प्रयोग करती है, वहाँ गणना किए गए कर को आय के सभी स्तरों के लिए दस प्रतिशत के अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

(ii) घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में, कर की दर चालीस प्रतिशत है।

हालाँकि, कंपनी की कुल आय के उस भाग पर कर की दर पचास प्रतिशत होगी, जो निम्नलिखित है:

(ए) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान से प्राप्त रॉयल्टी; या

(बी) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान के साथ किए गए करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस, और जहाँ ऐसा करार, किसी भी मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

इस प्रकार संगणित कर में दो प्रतिशत का अधिभार लगाया जाता रहेगा, जहाँ ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यदि ऐसी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो पाँच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

तथापि, अधिनियम की धारा 115BAA या 115BAB के अंतर्गत कराधान का विकल्प चुनने वाली कंपनी के अलावा प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से, दस करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.5 अतिरिक्त आयकर पर अधिभार.

जहाँ अधिनियम की धारा 92सीई, या धारा 115-क्यूए या धारा 115टीडी के अंतर्गत अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया जाना है, अर्थात्, शेयरधारकों से शेयरों की खरीद-वापस करने पर या कुछ ट्रस्टों और संस्थाओं की संचित आय पर किसी कंपनी द्वारा द्वितीयक समायोजन या आय के वितरण पर, इस प्रकार देय अतिरिक्त कर में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत का अधिभार जोड़ा जाएगा।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

3.6 नई शुरू की गई धाराओं के मामले में अधिभार

धारा 115बीबीजे के नए सम्मिलित प्रावधान के लिए लागू कर की दर धारा में ही दी गई है तथा अधिभार करदाता की स्थिति के आधार पर लगाया जाएगा, जैसा कि ऐसे करदाता पर अन्यथा लागू होता है।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

4. धारा 9 के अंतर्गत मान्य प्रावधान को गैर-सामान्यतः निवासी द्वारा प्राप्त उपहार पर लागू करना -

4.1 अधिनियम के अंतर्गत, वह आय, जो *अन्य बातों के साथ-साथ*, किसी वर्ष के दौरान भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है, कर योग्य है। अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) एक मान्य प्रावधान है जो भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाने वाली आय के प्रकारों का प्रावधान करता है।

4.2 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में खंड (viii) जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी अनिवासी द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति से 5 जुलाई, 2019 को या उसके बाद बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त पचास हजार रुपये से अधिक की कोई भी राशि, भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाएगी। धनराशि का उल्लेख अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (xvii) में किया गया है।

4.3 उपर्युक्त संशोधन को दुरुपयोग-रोधी प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण देखे गए थे, जहां भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा गैर-निवासियों को उपहार दिए जा रहे थे और ऐसे गैर-निवासियों द्वारा भारत में उन पर कर नहीं लगाए जाने का दावा किया गया था।

4.4 यह भी पाया गया कि कुछ व्यक्ति, जो सामान्यतः भारत के निवासी नहीं हैं, भारत में रहने वाले व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर रहे थे तथा उस पर कर का भुगतान नहीं कर रहे थे।

4.5 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (viii) में संशोधन किया है ताकि इस प्रावधान को अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थ के भीतर भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति से विचार किए बिना प्राप्त पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि तक बढ़ाया जा सके।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) को कर प्रोत्साहन

5.1 अपतटीय व्युत्पन्न उपकरणों (ओडीआई) के हस्तांतरण पर कराधान के संबंध में स्पष्टीकरण

5.1.1 एफए 2023 से पहले, आईएफएससी बैंकिंग इकाई के साथ किए गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स (ओडीआई) के हस्तांतरण पर गैर-निवासियों की आय अधिनियम की धारा 10 (4 ई) के तहत छूट प्राप्त थी। ओडीआई अनुबंध के तहत, आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू) स्वीकार्य भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश पर आईबीयू द्वारा अर्जित आय पर अधिनियम की धारा 115एडी के तहत पूंजीगत लाभ, ब्याज, लाभांश के रूप में कर लगाया जाता है। कर के भुगतान के बाद, आईबीयू ऐसी आय को ओडीआई धारकों को देता है। छूट केवल ओडीआई के हस्तांतरण पर प्रदान की गई थी, न कि अनिवासी ओडीआई धारकों को आय के वितरण पर, इसलिए इस वितरित आय पर भारत में दो बार कर लगाया गया था, दोहरे कराधान को हटाने के लिए, छूट को अपतटीय व्युत्पन्न उपकरणों पर आय के वितरण तक भी बढ़ा दिया गया है, जो धारा 80एलए की उप-धारा (1ए) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंकिंग इकाई के साथ दर्ज किया गया है, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है, तथा तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

5.1.2 इस संशोधन के अनुसार, अधिसूचना संख्या 50/2023, दिनांक 17-7-2023 (जीएसआर 514[ई]), नियमों के नियम 21एके को भी पूरा की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

5.2 धारा 10 के खंड (4जी) में संशोधन

5.2.1 धारा 10 का खंड (4जी) किसी अनिवासी को प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या निधियों के पोर्टफोलियो से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में छूट प्रदान करता है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऑफशोर बैंकिंग इकाई के साथ रखे गए खाते में ऐसे अनिवासी की ओर से किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधित या प्रशासित होती है, इस सीमा तक कि ऐसी आय भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है और इसे भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जाता है।

5.2.2 यह दर्शाया गया कि विभिन्न वित्तीय उत्पादों से उत्पन्न होने वाली अनिवासियों की कुछ आय IFSC में स्थित बैंकिंग इकाइयों के साथ रखे गए खातों में प्राप्त होती है, जो प्राप्ति के आधार पर कर योग्य हो जाती है। हालांकि, दोनों वित्तीय उत्पाद भारत के बाहर जारी किए जाते हैं और उनसे होने वाली आय विदेशी क्षेत्राधिकारों में रहने वाले अनिवासियों को भी प्राप्त होती है।

5.2.3 उपरोक्त के मद्देनजर, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से आय के लिए प्रदान की गई छूट की तर्ज पर, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (4 जी) में संशोधन किया ताकि केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधि को अधिसूचित करने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि आईएफएससी की ऑफशोर बैंकिंग इकाई के साथ रखे गए खाते में ऐसी गतिविधि से अनिवासी द्वारा प्राप्त आय कर योग्य न हो, यदि ऐसी आय भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है और भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाती है।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है, और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होता है।

5.3 किसी अनिवासी या आईएफएससी की किसी इकाई की आय पर छूट प्रदान करना जो मुख्य रूप से विमान पट्टे के व्यवसाय में लगी हो।

5.3.1 आईएफएससी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में आईएफएससी को कई कर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। विमान पट्टे पर देने की गतिविधियों के लिए आईएफएससी को एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने के इस प्रयास में, निम्नलिखित कर प्रोत्साहन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं:

(i) किसी विमान के पट्टे पर किसी अनिवासी की रॉयल्टी और ब्याज आय पर छूट यदि इसका भुगतान आईएफएससी की किसी इकाई द्वारा किया जाता है जो 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले अपना परिचालन शुरू करती है [धारा 10 का खंड (4एफ)];

(ii) आईएफएससी की एक इकाई द्वारा पट्टे पर लिए गए विमान के हस्तांतरण से उत्पन्न आय पर छूट, जो 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले परिचालन शुरू करता है [धारा 80एलए]।

5.3.2 आईएफएससी से विमान पट्टे पर लेने को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए , एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (4एच) जोड़ा है, जो विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय में मुख्य रूप से लगे किसी अनिवासी या आईएफएससी की इकाई की पूंजीगत लाभ आय पर छूट प्रदान करता है, जो किसी घरेलू कंपनी (आईएफएससी में एक इकाई होने के नाते) के इक्विटी शेयर के हस्तांतरण से उत्पन्न होती है, जो मुख्य रूप से विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है, यदि ऐसी इकाई ने 31 मार्च 2026 को या उससे पहले परिचालन शुरू कर दिया है। यह छूट पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले दस मूल्यांकन वर्षों की अवधि के दौरान लागू होगी जिसमें घरेलू कंपनी द्वारा परिचालन शुरू किया गया है या मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से मूल्यांकन वर्ष 2033-34 तक, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है।

5.3.3 इसके अतिरिक्त, धारा 10 में खंड (34बी) जोड़ा गया है, ताकि मुख्य रूप से विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी आईएफएससी की किसी इकाई की आय को, मुख्य रूप से विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी आईएफएससी की किसी इकाई के रूप में किसी कंपनी से प्राप्त लाभांश के रूप में छूट दी जा सके।

5.3.4 एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 115ए में भी संशोधन किया है ताकि आईएफएससी की एक इकाई से लाभांश के रूप में 10% की दर से गैर-निवासी, जो एक कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, की आय पर कराधान का प्रावधान किया जा सके।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है और कर निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

5.4 परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की तिथि का विस्तार

खंड (viiid) पूंजीगत लाभ के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को हस्तांतरण के रूप में नहीं मानता है, जो कि मूल निधि से परिणामी निधि में स्थानांतरण में परिणामी निधि में शेयर या इकाई या ब्याज के लिए प्रतिफल के रूप में शेयरधारक या इकाई धारक या ब्याज धारक द्वारा मूल निधि में रखे गए शेयर या इकाई या ब्याज के रूप में है।

ऐसे स्थानांतरण के लिए और समय प्रदान करने के लिए, अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiid) के स्पष्टीकरण के खंड (बी) को संशोधित किया गया है ताकि स्थानांतरण के मामले में मूल निधि, या उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन की परिसंपत्तियों को परिणामी निधि में स्थानांतरित करने की तारीख को 31 मार्च, 2023 की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 कर दिया जा सके।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, तथा यह कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

5.5 आईएफएससी इकाइयों के लिए कर अवकाश, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से पहले आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है।

5.5.1 धारा 80LA, किसी भी अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक के करदाता को , IFSC में अपनी अपतटीय बैंकिंग इकाई से अर्जित आय पर निर्दिष्ट कटौती प्रदान करती है। यह कटौती उस पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष से शुरू होकर, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अनुमति या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के अंतर्गत अनुमति या पंजीकरण प्राप्त किया गया था, लगातार पाँच कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के 100 प्रतिशत तक की कटौती की अनुमति है, और अगले पाँच लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के 50 प्रतिशत तक की कटौती की अनुमति है।

5.5.2 वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 ने धारा 80एलए में उप-धारा (1ए) को शामिल किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां आईएफएससी की एक इकाई होने के नाते किसी करदाता की सकल कुल आय में कुछ निर्दिष्ट आय शामिल है, वहां उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, ऐसी आय से, करदाता के विकल्प पर, पंद्रह वर्षों में से किसी भी दस लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के एक सौ प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष से शुरू होगी जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत अनुमति या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत अनुमति या पंजीकरण या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत अनुमति या पंजीकरण प्राप्त किया गया था।

5.5.3 इस संबंध में, यह देखा गया कि 1-4-2020 से पहले IFSC में स्थापित इकाइयाँ, IFSC में अपने संचालन के वर्ष 6-10 में केवल 50% की कटौती के लिए पात्र हैं। इस संबंध में, IFSC से अनुरोध प्राप्त हुए थे कि 1-4-2020 से पहले IFSC में स्थापित इकाइयों को, आकलन वर्ष 2023-24 या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी आकलन वर्ष के लिए, अपनी आय का 100% कटौती प्रदान की जाए।

5.5.4 इसलिए, अधिनियम की धारा 80एलए को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अनुसूचित बैंक, या भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत या उसके द्वारा निगमित कोई बैंक, और विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई (आईएफएससी में स्थापित इकाइयों सहित) जो अधिनियम की धारा 80एलए की उप-धारा (1) के तहत कटौती के लिए पात्र है, वह आकलन वर्ष 2023-24 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी आकलन वर्ष के लिए निर्दिष्ट आय से 100% कटौती के लिए पात्र होगा, जो पहले शेष अवधि के लिए 50% कटौती के लिए पात्र था।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गया है और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

5.6 आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 19 मई, 2022 से लागू हो गए अधिनियम के प्रावधानों में उक्त विनियमन का संदर्भ लाने के लिए, अधिनियम की धारा 10 के खंड (4डी) के स्पष्टीकरण के खंड (सी) , धारा 47 के खंड (viiad) के स्पष्टीकरण के खंड (सी) और धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (viib) के स्पष्टीकरण के खंड (एए) में "निर्दिष्ट निधि ", "परिणामी निधि" और "निवेश निधि" की परिभाषा को संशोधित किया गया है ताकि अधिनियम में आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 का संदर्भ शामिल किया जा सके।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

5.7 *टन भार कर योजना का विकल्प चुनने वाले अधिनियम की धारा 80एलए के तहत कटौती का दावा करने वाली आईएफएससी की इकाई के लिए राहत*

5.7.1 अधिनियम की धारा 115वीपी की उपधारा (2) के अंतर्गत, एक अर्हक कंपनी अपने निगमन की तारीख या जिस तारीख को वह अर्हक कंपनी बनी, जैसी भी स्थिति हो, से तीन महीने के भीतर आवेदन करके टनभार कर योजना का विकल्प चुन सकती है।

5.7.2 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि IFSC की किसी इकाई, जिसने अधिनियम की धारा 80LA के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाया है, के लिए अधिनियम की धारा 115VP की उप-धारा (2) के अंतर्गत तीन महीने की समयावधि की गणना अधिनियम की धारा 80LA के अंतर्गत ऐसी कटौती समाप्त होने की तिथि से की जाए। तदनुसार, FA 2023 के तहत , अधिनियम की धारा 115VP की उप-धारा (2) में एक प्रावधान जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि IFSC की कोई इकाई, जिसने अधिनियम की धारा 80LA के अंतर्गत कटौती का लाभ उठाया है, धारा 80LA के अंतर्गत कटौती समाप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर टन भार कर योजना का विकल्प चुनने के लिए आवेदन कर सकती है।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

6. अग्निपथ योजना, 2022 -

6.1 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के नामांकन हेतु अग्निपथ योजना, 2022 (योजना) शुरू की है। यह 1 नवंबर, 2022 से लागू हो गई है। अग्निपथ योजना, 2022 को लागू करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने लोक लेखा शीर्ष के ब्याज-असर वाले अनुभाग में एक अव्यपगत समर्पित अग्निवीर कॉर्पस निधि बनाने का निर्णय लिया है। अग्निवीर कॉर्पस निधि से अग्निवीर को दिए जाने वाले पैकेज को 'सेवा निधि' कहा जाता है।

6.2 इस योजना में, अग्निवीर कॉर्पस फंड को एक ऐसे फंड के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सभी अग्निवीरों का समेकित योगदान और सरकार का समतुल्य योगदान, इन योगदानों पर ब्याज सहित, उनके संबंधित खातों में रखा जाएगा। इस योजना का संचालन और रखरखाव रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के तत्वावधान में किया जाएगा, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक अनुकूलित अग्निवीर पैकेज का 30% व्यक्तिगत अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा करना होगा। इसके अलावा, सरकार भी ' अग्निवीर कॉर्पस फंड' में इतनी ही राशि जमा करेगी। सरकार, अंशदाता को उसके खाते में जमा राशि पर समय-समय पर स्वीकृत ब्याज भी देगी।

चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अंशदान, उस पर ब्याज सहित, तथा सरकार की ओर से उनके अंशदान की संचित राशि, ब्याज सहित, के बराबर का अंशदान शामिल होगा।

6.3 अग्निवीर कॉर्पस फंड खाते में उसके या केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी योगदान के लिए अग्निवीर की कुल आय की गणना से कटौती की अनुमति देने के लिए और अग्निवीर या उसके नामितों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त किसी भी भुगतान को कर से छूट देने के लिए, एफए 2023 द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:

i. अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (12सी) जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि अग्निपथ योजना, 2022 के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के नामित व्यक्ति द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त किसी भी भुगतान को आयकर से छूट दी जाएगी।

ii. एक नई धारा 80सीसीएच भी जोड़ी गई है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई करदाता अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्ति है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में अंशदान करता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई पूरी राशि और अग्निवीर कॉर्पस फंड में उसके खाते में केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान की गई राशि की कटौती उसकी कुल आय से करने की अनुमति दी जाएगी।

iii. धारा 10 के खंड (12सी) और धारा 80सीसीएच के प्रयोजनों के लिए, ' अग्निपथ योजना' को भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के नामांकन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के रूप में परिभाषित किया गया है , और ' अग्निवीर कॉर्पस फंड' को एक ऐसे कोष के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सभी अग्निवीरों के समेकित योगदान और इन दोनों योगदानों पर ब्याज के साथ केन्द्र सरकार के मिलान योगदान रखे जाते हैं।

चतुर्थ. , अधिनियम की धारा 17 के खंड (1) में एक नया उप-खंड (ix) जोड़ा गया है, जिससे यह प्रावधान होता है कि धारा 80सीसीएच में निर्दिष्ट अग्निपथ योजना में नामांकित किसी व्यक्ति के अग्निवीर कॉर्पस फंड खाते में पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा किया गया अंशदान

उस व्यक्ति का वेतन माना जाएगा। अधिनियम की धारा 80सीसीएच के अंतर्गत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसी के अनुरूप कटौती का प्रावधान किया गया है।

वी) इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि धारा 115बीएसी की उपधारा (1ए) के अनुसार नई कर व्यवस्था में अग्निपथ योजना में नामांकित और अग्निवीर कॉर्पस फंड में अंशदान करने वाले व्यक्ति को उसकी सेवा निधि में सरकारी अंशदान की कटौती मिलेगी [धारा 80सीसीएच की उपधारा (2)]।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

7. विकास प्राधिकरणों आदि को छूट।

7.1 अधिनियम की धारा 10 का खंड (46) किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग या उसके किसी वर्ग से उत्पन्न होने वाली किसी निर्दिष्ट आय को छूट प्रदान करता है, जो-

- (ए) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित या गठित किया गया हो, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से गठित किया गया हो;
- (बी) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं है; और
- (सी) इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

7.2 धारा 10 के खंड (46) के तहत अधिसूचित किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने पर प्रतिबंध एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।

7.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आयकर आयुक्त (छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के मामले में सिविल अपील संख्या 21762/2017 में अपने आदेश दिनांक 19-10-2022 के माध्यम से यह माना कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (46) के उप-खंड (ख) में, "वाणिज्यिक" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (15) में "व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय" का है। इसलिए, ऐसे अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, ट्रस्ट या आयोग (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) द्वारा ली जाने वाली राशि पर भी इसी प्रकार विचार किया जाएगा - अर्थात्, क्या यह नाममात्र मार्क-अप के साथ लागत पर है या काफी अधिक है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक गतिविधि" की शरारत के अंतर्गत आता है।

7.4 हालाँकि, माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से "सार्वजनिक कार्यों/सेवाओं" को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए वैधानिक प्राधिकरणों, बोर्डों आदि के संबंध में भी एक सूक्ष्म अंतर किया है। ऐसे मामलों में, न्यायालय ने माना है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए ली गई राशि या कोई भी धनराशि प्रथम दृष्टया व्यावसायिक या वाणिज्यिक प्राप्तियों की शरारत से बाहर रखी जानी चाहिए क्योंकि उनके उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों/कार्यों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

7.5 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने अधिनियम में संशोधन किया है ताकि किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग की आय, जो कंपनी नहीं है, को अधिनियम की धारा 10 के खंड (46) के दायरे से बाहर रखा जा सके और उनकी आय के लिए अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (46ए) डाला जा सके।

7.6 नया खंड (46ए) किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग को होने वाली किसी भी आय पर छूट प्रदान करता है, जो कंपनी नहीं है, जिसे निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किया गया है, अर्थात: -

- (मैं) आवास की आवश्यकता से निपटना और उसे संतुष्ट करना;
- (ii) शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार;
- (iii) आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित और विकसित करना; या
- (iv) किसी भी मामले को, आम जनता के लाभ के लिए, उस उद्देश्य से उत्पन्न करना जिसके लिए इसे बनाया गया है।

7.7 इसके अतिरिक्त, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या ट्रस्ट या आयोग, जो कंपनी नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को भी केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उन्नीसवें प्रावधान के स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) में परिणामी संशोधन भी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रस्ट या संस्था को एक से अधिक प्रावधानों के तहत छूट न मिले।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

8. जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत छूट प्राप्त आय का युक्तिकरण

8.1 अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) में जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस भी शामिल है। शर्त यह है कि पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

8.2 यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के अंतर्गत छूट प्रदान करने का विधायी उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के लिए जोखिम प्रीमियम में सब्सिडी देकर और जीवन बीमा कवरेज के छोटे और वास्तविक मामलों को लाभ प्रदान करके कल्याणकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि कई उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के अंतर्गत प्रदान की गई छूट का दुरुपयोग उच्च प्रीमियम अंशदान वाली पॉलिसियों में निवेश करके (क्योंकि यह एक निवेश पॉलिसी के रूप में कार्य करती है) कर रहे हैं और ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत प्राप्त राशि पर छूट का दावा कर रहे हैं।

8.3 उक्त खंड के तहत छूट के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वित्त अधिनियम, 2021 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) में संशोधन किया, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया जा सके कि 1-2-2021 को या उसके बाद जारी यूलिप (किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि को छोड़कर) के तहत प्राप्त राशि पर छूट नहीं मिलेगी, यदि ऐसी पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि 2,50,000 रुपये से अधिक है। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि 1-2-2021 को या उसके बाद जारी एक से अधिक यूलिप के लिए प्रीमियम देय है, तो उक्त खंड के तहत छूट केवल ऐसी पॉलिसियों के संबंध में उपलब्ध होगी, जहां किसी भी पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए कुल प्रीमियम 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। 19-1-2022 का परिपत्र संख्या 2/2022 जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि एक से अधिक पॉलिसी होने पर छूट की गणना कैसे की जाएगी।

8.4 उपर्युक्त संशोधन के लागू होने के बाद, 2,50,000/- रुपये से अधिक प्रीमियम देय वाली यूलिप को अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के दायरे से बाहर कर दिया गया, तथापि अन्य सभी प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियां अभी भी प्रीमियम देय राशि पर ध्यान दिए बिना छूट के लिए पात्र थीं।

8.5 इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2023 में जीवन बीमा पॉलिसी (यूलिप के अलावा, जिसके लिए पहले से प्रावधान मौजूद हैं) के तहत प्राप्त राशि पर कराधान का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रीमियम या प्रीमियम का कुल योग एक वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक है। यह राशि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती की अनुमति होगी, यदि ऐसे प्रीमियम पर पहले कटौती का दावा नहीं किया गया है। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी पॉलिसियों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी पॉलिसियों के लिए कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि कर मुक्त होगी। तदनुसार, अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) में एक नया परंतुक (छठा परंतुक प्रतिस्थापित) जोड़ना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस खंड में निहित कोई भी बात 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी (यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के अलावा) के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि ऐसी पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि पांच लाख रुपये से अधिक है;
- (ii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) में एक नया परंतुक (सातवां परंतुक) शामिल करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों (यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसियों के अलावा) के लिए प्रीमियम देय है, तो इस खंड के प्रावधान केवल उन जीवन बीमा पॉलिसियों (यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसियों के अलावा) के संबंध में लागू होंगे, जहां प्रीमियम की कुल राशि उन पॉलिसियों में से किसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष में छठे परंतुक में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है;
- (iii) (आठवां परंतुक) जोड़ना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के प्रावधान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि पर लागू नहीं होंगे;
- (iv) *xiii* का अंतःस्थापन यह प्रावधान करता है कि जहां किसी जीवन बीमा पॉलिसी के तहत पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई राशि (बोनस के रूप में आवंटित राशि सहित) प्राप्त होती है, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत छूट प्राप्त नहीं है, इस प्रकार प्राप्त राशि, जो ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम के कुल योग से अधिक है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के लिए वसूलनीय होगी। यदि भुगतान किए गए प्रीमियम को अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कटौती के रूप में दावा किया गया था, तो ऐसा प्रीमियम इस प्रकार प्राप्त राशि से कम नहीं किया जाएगा। यह यूलिप या कीमैन बीमा पॉलिसियों पर लागू नहीं होगा, जिनका कराधान अधिनियम के अन्य मौजूदा प्रावधानों द्वारा शासित होता है;
- (v) अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में खंड (*xiii*) में *स्पष्टीकरण* को शामिल करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि इस

खंड के प्रयोजनों के लिए, "यूनिट लिंकड बीमा पॉलिसी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के स्पष्टीकरण 3 में दिया गया है;

(छठी) उप-खंड (xviii) को शामिल करने से यह प्रावधान होगा कि आय में अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई राशि शामिल होगी।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

तहत , बोर्ड ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (10डी) के नौवें प्रावधान के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

गणना तंत्र अधिसूचना संख्या 51/2023, दिनांक 18-7-2023 (जीएसआर 519[ई]) के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (xiii) के तहत कर के लिए प्रभावी आय की गणना के तरीके को निर्धारित करने के लिए नियम 11यूएसीए डाला गया है।

9. अधिनियम की धारा 10 के खंड (22बी) के तहत समाचार एजेंसी की छूट को हटाना

9.1 वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत किए गए संशोधनों से पहले , अधिनियम की धारा 10 का खंड (22बी), अन्य बातों के साथ-साथ , भारत में केवल समाचारों के संग्रह और वितरण के लिए स्थापित किसी अधिसूचित समाचार एजेंसी की किसी भी आय पर छूट प्रदान करता था। यह इस शर्त के अधीन था कि समाचार एजेंसी अपनी आय का उपयोग या संचयन केवल समाचारों के संग्रह और वितरण के लिए ही करेगी और अपनी आय को किसी भी रूप में अपने सदस्यों में वितरित नहीं करेगी।

9.2 अधिनियम के तहत छूट और कटौती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार, अधिनियम की धारा 10 के खंड (22बी) के तहत समाचार एजेंसियों को उपलब्ध छूट को एफए 2023 के माध्यम से आकलन वर्ष 2024-25 से वापस ले लिया गया है।

9.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (22बी) में चौथा प्रावधान जोड़ा है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (22बी) में निहित कोई भी बात समाचार एजेंसी की किसी भी आय पर लागू नहीं होगी, जो 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष की हो।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होता है।

10. अधिनियम की धारा 11(7) में धारा 10 के खंड (23ईसी) और खंड (46ए) का संदर्भ शामिल किया जाना

10.1 अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) में प्रावधान है कि यदि ट्रस्ट या संस्था धारा 10 के खंड (23सी) या (46) के अंतर्गत अनुमोदित है, तो धारा 12ए या 12एबी के अंतर्गत पंजीकरण निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे ट्रस्ट या संस्था के पास धारा 12ए या 12एबी व्यवस्था में वापस आने का एक बार का विकल्प होता है। इस प्रकार, किसी विशेष समय पर, ऐसे ट्रस्ट या संस्था के पास इन प्रावधानों में से केवल एक का लाभ लेने का विकल्प होता है। एफए 2023 में अधिनियम की धारा 11(7) में धारा 10 के खंड (46ए) का संदर्भ दिया गया है।

10.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधियों को, जो अधिनियम की धारा 12एबी के तहत पंजीकृत हैं, धारा 10 के खंड (23ईसी) के तहत अधिसूचना के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) में संशोधन किया है ताकि उक्त उप-धारा में धारा 10 के खंड (23ईसी) का संदर्भ शामिल किया जा सके।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है और कर निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

11। 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में निवास करने वाले भारतीय नागरिक को अधिनियम की धारा 10 के खंड (26एए) के तहत छूट प्रदान करना

11.1 अधिनियम की धारा 10 का खंड (26AAA) सिक्किम में किसी भी स्रोत से किसी "सिक्किमवासी" की किसी भी आय पर छूट प्रदान करता है, साथ ही किसी भी लाभांश आय और प्रतिभूतियों पर ब्याज पर भी छूट प्रदान करता है। वित्तीय अधिनियम 2023 द्वारा संशोधन से पहले, उक्त खंड (26AAA) में यह प्रावधान था कि सिक्किमवासी होने के नाते, सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से या लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर छूट होगी।

इसके अलावा, यह छूट उस सिक्किमी महिला पर लागू नहीं होगी, जिसने 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो सिक्किमी नहीं है।

इस प्रयोजन के लिए , "सिक्किमीज" का अर्थ है:

(में) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम विषय विनियम, 1961 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में (जिसे "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" कहा जाता है) 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पहले दर्ज किया गया हो; या

- (ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आईसीआई, दिनांक 7 अगस्त, 1990 और समसंख्यक आदेश, दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में शामिल है; या
- (iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं है, किन्तु यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता के भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज है।

11.2 रिट याचिका (सी) संख्या 59/2013, एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, अधिनियम की धारा 10 के खंड (26AAA) की संवैधानिक वैधता को यह तर्क देते हुए चुनौती दी गई थी कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका पर निर्णय देते हुए निर्देश दिया कि उक्त खंड में संशोधन किया जाए ताकि 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में निवास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पूर्वव्यापी प्रभाव से कर छूट का लाभ मिल सके।

11.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2023 द्वारा अधिनियम की धारा 10 के खंड (26AAA) में संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 10 के संशोधित खंड (26AAA) में अब यह प्रावधान है कि सिक्किम निवासी किसी व्यक्ति के मामले में, उसे प्राप्त होने वाली कोई भी आय—

- (ए) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से; या
- (बी) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में।

इस प्रयोजन के लिए, "सिक्किमीज" का अर्थ है:

- (में) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम विषय विनियम, 1961 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में (जिसे "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" कहा जाता है) 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पहले दर्ज किया गया हो; या
- (ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आईसीआई, दिनांक 7 अगस्त, 1990 और समसंख्यक आदेश, दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में शामिल है; या
- (iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं है, किन्तु यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता के भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज है; या
- (iv) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं है, किन्तु यह स्थापित है कि ऐसा व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में निवास करता था; या
- (वी) कोई अन्य व्यक्ति, जो 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में निवास नहीं करता था, किन्तु यह संदेह से परे स्थापित हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता से भाई 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में निवास करते थे।

11.4 धारा 10 के खंड (26एएए) के प्रयोजनों के लिए परिभाषित "सिक्किमी" शब्द केवल आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 1990 से प्रभावी है तथा कर निर्धारण वर्ष 1990-91 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होता है।

12. राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), एनसीजीटीसी की सहायक कंपनियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की किसी भी आय पर छूट प्रदान करना

12.1 राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी स्थापना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भारत सरकार की एक पूर्ण वित्तपोषित कंपनी के रूप में की गई है, जो बहु-ऋण गारंटी निधियों के लिए एक साझा ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है। यह ऋणदाताओं के ऋण जोखिम को साझा करती है और बदले में, सरकार के एक व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत, छात्रों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिला उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं आदि जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों और खंडों को कवर करते हुए, भावी उधारकर्ताओं के लिए वित्त तक पहुँच को सुगम बनाती है।

12.2 वर्तमान में, एनसीजीटीसी के प्रबंधन के अंतर्गत दस समर्पित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हैं, अर्थात् शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफईएल), कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसडी), फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएफ), माइक्रो यूनियट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) और स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसआई), आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), एमएफआई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस) और कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना।

12.3 इसके अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को संपार्श्विक और बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई है।

12.4 एफए 2023 के तहत किए गए संशोधनों से पहले, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इन ट्रस्टों में किए गए कॉर्पस योगदान को अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के उप-खंड (xviii) के तहत कर से छूट दी गई थी, हालांकि ऐसे ट्रस्ट फंडों को कॉर्पस के निवेश से अर्जित आय और अर्जित गारंटी शुल्क पर कर का भुगतान करना पड़ता था।

12.5 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 10 में एक नया उप-खंड (46बी) जोड़ा है ताकि निम्नलिखित की आय पर छूट प्रदान की जा सके-

- (ए) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित ऋण गारंटी निधियों के संचालन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित कंपनी है; या;
- (बी) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित ऋण गारंटी निधि; या
- (सी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट, भारत सरकार और सिडबी द्वारा निर्मित एक ट्रस्ट है, जो सिडबी अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है और कर निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

13. अधिनियम की धारा 10 के कुछ अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाना

13.1 अधिनियम की धारा 10 में उन आयों का प्रावधान है जो कुल आय में शामिल नहीं हैं। इसके खंड (23बीबीएफ), (23ईबी), (26ए), (41) और (49) पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

13.2 इसलिए, वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23बीबीएफ), (23ईबी), (26ए), (41) और (49) को हटा दिया है।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

14. निर्यात आय के विरुद्ध प्रतिफल को भारत में लाने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट करना

14.1 एफए 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 10ए के प्रावधानों के तहत, *अन्य बातों के साथ-साथ*, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित किसी इकाई को 15 वर्षों तक कर लाभ प्रदान किया जाता था, जो 1-4-2005 को या उसके बाद वस्तुओं या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन शुरू करती है या कोई सेवाएँ प्रदान करती है। यह कटौती उन इकाइयों के लिए उपलब्ध है जो 1-4-2020 से पहले परिचालन शुरू करती हैं, जिसे कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से 30-9-2020 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें निर्दिष्ट तरीके से अनुमति दी गई है।

14.2 हालाँकि, उक्त धारा में कटौती का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करने की शर्त का प्रावधान नहीं था, जैसा कि अन्य समान कटौतियों के लिए किया गया है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 143(1) में प्रावधान था कि धारा 10AA के तहत कटौती तभी योग्य होगी जब ऐसा रिटर्न निर्धारित तिथि से पहले दाखिल किया जाए। इसलिए, वित्तीय अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 10AA की उप-धारा (1) में एक परंतुक जोड़कर दोनों प्रावधानों को संरेखित किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के तहत किसी भी करदाता को कोई कटौती नहीं दी जाएगी जो धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट निर्धारित तिथि को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है।

14.3 इसके अलावा, यह देखा गया कि अधिनियम में एसईजेड इकाइयों द्वारा माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त निर्यात आय को समय पर प्रेषित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ताकि उक्त धारा के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सके, जैसा कि अधिनियम में अन्य समान निर्यात संबंधी कटौतियों के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसलिए, एफए 2023 में एक नई उप-धारा (4ए) जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत कटौती ऐसी इकाई के लिए उपलब्ध होगी, यदि माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आय पिछले वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करदाता द्वारा भारत में प्राप्त की जाती है या लाई जाती है।

14.4 इस नई सम्मिलित उपधारा के प्रयोजन के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा प्राधिकारी होगा जो विदेशी मुद्रा में भुगतान और लेनदेन को विनियमित करने के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत अधिकृत है।

14.5 इसके अलावा, एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त निर्यात आय को भारत में प्राप्त माना जाएगा, जहां माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त ऐसी आय को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में करदाता द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एक अलग खाते में जमा किया जाता है।

14.6 इसके अलावा, एफए 2023 ने "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" शब्द को परिभाषित करने के लिए धारा 10ए के स्पष्टीकरण I के खंड (i) को प्रतिस्थापित किया है और उक्त के खंड (ia) में "निर्यात कारोबार" की परिभाषा में नई उप-धारा (4ए) का संदर्भ दिया है।

स्पष्टीकरण ।

14.7 इसके अतिरिक्त, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (11ए) में परिणामी संशोधन करके धारा 10ए को शामिल किया है, ताकि मूल्यांकन अधिकारी को बाद में मूल्यांकन आदेश में संशोधन करने की अनुमति मिल सके, जहां निर्यात आय अनुमत अवधि के बाद भारत में प्राप्त होती है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

15. धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थानों के प्रावधानों का युक्तिकरण

15.1 पृष्ठभूमि

15.1.1 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (via) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 12AA या 12AB के अंतर्गत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या संस्था की आय, विभिन्न धाराओं के तहत प्रदान की गई शर्तों को पूरा करने के अधीन, कर-मुक्त है। इन ट्रस्टों या संस्थाओं को दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त है-

(i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लिए व्यवस्था (जिसे इसके बाद प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था कहा जाएगा); और

(ii) अधिनियम की धारा 12ए/12एबी के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्टों के लिए व्यवस्था (जिसे इसके बाद दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट या संस्था कहा जाएगा)।

15.1.2 अधिनियम की धारा 12ए, अन्य बातों के साथ-साथ , अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत छूट का दावा करने हेतु ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। धारा 12ए में पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 12एबी, पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान करने वाली नई धारा है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।

15.2 निधि को वापस जमा करना और ऋण या उधारी का पुनर्भुगतान

15.2.1 अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, दोनों व्यवस्थाओं के तहत ट्रस्टों और संस्थानों द्वारा प्राप्त सामूहिक दान को निम्नानुसार छूट दी गई है:

(ए) स्पष्टीकरण I में यह प्रावधान है कि निधियों या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय में स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय शामिल नहीं होगी, जो इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया हो कि वे कोष का हिस्सा बनेंगे, बशर्ते कि ऐसे स्वैच्छिक अंशदान अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या तरीकों में निवेशित या जमा किए जाएं, जो विशेष रूप से ऐसे कोष के लिए बनाए गए हों।

(बी) खंड (घ) में यह प्रावधान है कि इस विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक अंशदान कि वे ट्रस्ट या संस्था के कोष का भाग बनेंगे, ट्रस्ट या संस्था की कुल आय में इस शर्त के अधीन शामिल नहीं किए जाएंगे कि ऐसे स्वैच्छिक अंशदान अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या तरीकों में निवेशित या जमा किए जाएं, जो विशेष रूप से ऐसे कोष के लिए बनाए गए हों।

(सी) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक और धारा 11 के खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, निधि से किए गए आवेदन को धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन नहीं माना जाएगा। हालाँकि, जब इसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या विधियों में, जो विशिष्ट रूप से ऐसी निधि के लिए बनाए रखी गई हैं, पूर्व वर्ष की आय से निवेशित या वापस जमा किया जाता है, तो ऐसी राशि को उस पूर्व वर्ष में आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाएगा जिसमें वह ऐसी जमा या निवेश की सीमा तक निधि में वापस जमा की गई थी।

(डी) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक और धारा 11 के खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऋण और उधार से प्राप्त आवेदन को धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन नहीं माना जाएगा। हालाँकि, जब ऋण या उधार का भुगतान पिछले वर्ष की आय से किया जाता है, तो ऐसे पुनर्भुगतान को उस पिछले वर्ष के आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाएगा जिसमें वह ऐसे पुनर्भुगतान की सीमा तक चुकाया गया था।

15.2.2 वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कोष और ऋण या उधार से संबंधित प्रावधानों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों को लागू करते समय , यह देखा गया कि कोष या ऋण या उधार से प्राप्त राशि को 1-4-2021 से पहले ही आवेदन के रूप में दावा किया जा चुका है। इसलिए, ऐसी राशि को निवेश के रूप में

पुनः आवेदन करने या कोष में वापस जमा करने या ऋण या उधार की अदायगी करने पर दोहरी कटौती होगी।

15.2.3 यह भी ध्यान दिया गया कि, कोई ट्रस्ट, कोष या ऋण से आवेदन के कई वर्षों बाद, कोष में राशि का निवेश या जमा कर सकता है या ऋण चुका सकता है और ऋण या निवेश की ऐसी चुकौती/कोष में वापस जमा करने को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में दावा कर सकता है। निवेश या कोष में वापस जमा करने या ऋण चुकाने के लिए अनिश्चित अवधि की उपलब्धता, प्रावधानों के कार्यान्वयन को काफी कठिन बना देगी।

15.2.4 इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया गया कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन करते समय जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, उन्हें ऋण या उधारी के लिए आवेदन करते समय भी पूरा किया जाना चाहिए। ये शर्तें इस प्रकार हैं:

- (मैं) ऐसा आवेदन किसी अन्य ट्रस्ट को कॉर्पस दान के रूप में नहीं होना चाहिए [पहली व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के बारहवें प्रावधान और दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के लिए स्पष्टीकरण 2];
- (ii) यदि लागू हो तो ऐसे आवेदन पर टीडीएस काटा जाना चाहिए [प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) का तेरहवां प्रावधान और दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3];
- (iii) आवेदन जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए भुगतान या भुगतानों का कुल योग निर्दिष्ट तरीकों (जैसे नकद) के अलावा अन्य में 10,000 रुपये से अधिक है, की अनुमति नहीं है (प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के तेरहवें प्रावधान और दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के लिए स्पष्टीकरण 3);
- (iv) अतिरिक्त आवेदन को आगे ले जाने और सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं है [पहली व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के लिए स्पष्टीकरण 2 और दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के लिए स्पष्टीकरण 5];
- (वी) आवेदन उस वर्ष में अनुमत है जिसमें इसका वास्तव में भुगतान किया गया है [प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) का स्पष्टीकरण 3 और दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 का स्पष्टीकरण];
- (छठी) आवेदन से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं पहुंचना चाहिए और ट्रस्ट या संस्था की आय से ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचना चाहिए [प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) का इक्कीसवां परंतुक और द्वितीय व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (सी)] ;
- (सात) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (सी) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन के अलावा आवेदन भारत में होना चाहिए।

15.2.5 दोनों छूट व्यवस्थाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि 1-4-2021 से पहले कॉर्पस या ऋण या उधार में से किए गए आवेदन को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, जब ऐसी राशि वापस जमा की जाती है या कॉर्पस में निवेश की जाती है या जब ऋण या उधार चुका दिया जाता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ट्रस्ट या संस्था कॉर्पस या ऋण से आवेदन के 5 साल के भीतर राशि को कॉर्पस में निवेश या जमा करती है या ऋण चुकाती है, तो ऐसे निवेश/कॉर्पस में वापस जमा करना या ऋण की अदायगी को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में अनुमति दी जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां कॉर्पस या ऋण से किया गया आवेदन पैराग्राफ 15.2.4 में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करता है, ऋण की अदायगी या निवेश/ऐसी राशि को कॉर्पस में वापस जमा करना आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

15.2.6 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (मैं) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुक तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उस समय कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो, जब कॉर्पस से आवेदन किया गया था;
- (ii) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निवेश की गई या वापस जमा की गई राशि को पहले परंतुक के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा निवेश या जमा पिछले वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिसमें ऐसा आवेदन कॉर्पस से

किया गया था;

- (iii) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में चौथा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में निहित कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कॉर्पस से आवेदन 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले किया जाता है;
- (iv) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब ऋण या उधार लेने के लिए आवेदन किए जाने के समय अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुक तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो;
- (वी) स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि चुकाई गई राशि को पहले परंतुक के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा भुगतान पिछले वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिसमें ऐसा आवेदन ऋण या उधार से किया गया था;
- (छठी) स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में चौथा परंतुक जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में निहित कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी ऋण या उधार के लिए आवेदन 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले किया जाता है;
- (सात) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) और स्पष्टीकरण धारा 2, 3 और 5 तथा अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों का उस समय कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो, जब कॉर्पस से आवेदन किया गया था;
- (आठ) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निवेश की गई या वापस जमा की गई राशि को पहले परंतुक के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसा निवेश या जमा पिछले वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिसमें ऐसा आवेदन कॉर्पस से किया गया था;
- (9) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में चौथा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में निहित कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कॉर्पस से आवेदन 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले किया जाता है;
- (एक्स) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब ऋण या उधार लेने के लिए आवेदन किए जाने के समय अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) और स्पष्टीकरण धारा 2, 3 और 5 या अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो;
- (ग्यारहवीं) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि चुकाई गई राशि को पहले परंतुक के तहत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा भुगतान पिछले वर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिसके दौरान ऐसा आवेदन ऋण या उधार के लिए किया गया था;
- (बारह) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में चौथा परंतुक जोड़ा गया ताकि यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में निहित कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी ऋण या उधार के लिए आवेदन इकतीस मार्च, 2021 को या उससे पहले किया जाता है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

15.3 अन्य ट्रस्टों को दान का उपचार:

15.3.1 दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत ट्रस्टों और संस्थाओं की आय कुछ शर्तों के पूरा होने पर कर-मुक्त है। ऐसी कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:

- (ए) ट्रस्ट या संस्था की आय का कम से कम 85% हिस्सा वर्ष के दौरान धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाना चाहिए, ताकि गैर-धर्मार्थ या गैर-धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- (बी) ट्रस्टों या संस्थाओं को अपनी आय का 85% अनिवार्य रूप से स्वयं या समान उद्देश्यों वाले ट्रस्टों को दान देकर लगाने की अनुमति है।
- (सी) यदि अन्य ट्रस्टों या संस्थाओं को दान दिया जाता है, तो दान को कॉर्पस के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान का उपयोग दान प्राप्तकर्ता ट्रस्ट या संस्थाओं द्वारा किया जाए।
- (डी) इस प्रकार, दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक ट्रस्ट या संस्था को प्रत्येक वर्ष अपनी आय का 15% संचित करने की अनुमति है।

15.3.2 ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि कुछ ट्रस्ट या संस्थाएँ कई ट्रस्ट बनाकर और प्रत्येक स्तर पर 15% जमा करके विधानमंडल की मंशा को विफल करने का

प्रयास कर रही थीं। कई ट्रस्ट बनाकर और प्रत्येक स्तर पर 15% जमा करके, धर्मार्थ या धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रभावी आवेदन 85% की अनिवार्य आवश्यकता की तुलना में काफी कम प्रतिशत तक कम हो जाता है।

15.3.3 धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए इच्छित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु, एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा पहली या दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत किसी अन्य ट्रस्ट को दिए गए पात्र दान का केवल 85% ही ऐसे दान के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, एफए 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (ए) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में खंड (iii) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी निधि या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय में से बारहवें परंतुक में निर्दिष्ट राशि के अलावा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी अन्य निधि या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 12एबी के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या संस्था को, जैसा भी मामला हो, जमा की गई या भुगतान की गई कोई राशि, धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आवेदन के रूप में केवल जमा या भुगतान की गई ऐसी राशि के 85 प्रतिशत की सीमा तक;
- (बी) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 में खंड (iii) जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट राशि के अलावा, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी निधि या ट्रस्ट या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 12एबी के तहत पंजीकृत अन्य ट्रस्ट या संस्था को, जैसा भी मामला हो, जमा की गई या भुगतान की गई कोई राशि केवल धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में मानी जाएगी, जो जमा की गई या भुगतान की गई ऐसी राशि के पचहत्तर प्रतिशत की सीमा तक होगी।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

15.4 छूट वापस लेने से संबंधित अनावश्यक प्रावधानों को हटाना

15.4.1 वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत किए गए संशोधनों से पहले , दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट या संस्थाओं के लिए वापसी के प्रावधान थे। अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) में प्रावधान है कि जहाँ अधिनियम की धारा 12एबी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, वहाँ छूट उस वित्तीय वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में उपलब्ध होगी जिसमें आवेदन किया गया है।¹

15.4.2 अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ अधिनियम की धारा 12ए या धारा 12एबी के तहत ट्रस्ट या संस्था को पंजीकरण प्रदान किया गया है, तो अधिनियम की धारा 11 और 12 के प्रावधान पूर्वोक्त मूल्यांकन वर्ष से पहले के किसी भी मूल्यांकन वर्ष के ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में लागू होंगे, जिसके लिए मूल्यांकन कार्यवाही ऐसे पंजीकरण की तारीख तक मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष लंबित है, यदि ऐसे ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्य और गतिविधियाँ ऐसे पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्ष के लिए समान रहती हैं।

15.4.3 अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) के तीसरे प्रावधान में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ट्रस्ट या संस्था के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, केवल उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण न करने के लिए।

15.4.4 अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) के चौथे परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक में निहित प्रावधान किसी ऐसे ट्रस्ट या संस्था के मामले में लागू नहीं होंगे, जिसे पंजीकरण देने से मना कर दिया गया हो या उसे प्रदान किया गया पंजीकरण अधिनियम की धारा 12ए या अधिनियम की धारा 12एबी के तहत किसी भी समय रद्द कर दिया गया हो।

15.4.5 ऊपर चर्चा किए गए अधिनियम की धारा 12ए की उप-धारा (2) के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रावधान कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम की धारा 12ए में संशोधन के बाद निरर्थक हो गए थे क्योंकि दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्टों और संस्थानों को अपनी गतिविधियों के प्रारंभ से पहले अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है और इसलिए अधिनियम की धारा 12ए की उप-धारा (2) के दूसरे और तीसरे प्रावधान में दिए गए प्रावधानों को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

15.4.6 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से , एफए, 2023 ने अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (2) के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रावधान को हटा दिया है।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

15.5 कुछ मामलों में अनंतिम और नियमित पंजीकरण का संयोजन

15.5.1 कराधान और अन्य विधियाँ (कुछ उपबंधों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के प्रथम और द्वितीय परंतुक, धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) और धारा 80जी की उपधारा (5) के प्रथम और द्वितीय परंतुक में संशोधन करके पंजीकरण हेतु आवेदन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

- (ए) दोनों व्यवस्थाओं के साथ-साथ धारा 80जी व्यवस्था के अंतर्गत नए ट्रस्टों या संस्थाओं को उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा जिससे उक्त पंजीकरण/अनुमोदन मांगा जा रहा है। ऐसा अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (बी) दोनों व्यवस्थाओं और धारा 80जी व्यवस्था के अंतर्गत अनंतिम रूप से पंजीकृत/अनुमोदित ट्रस्टों या संस्थाओं को अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की अवधि समाप्त होने से कम से कम छह महीने पहले या गतिविधियाँ शुरू होने के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, नियमित पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। नियमित पंजीकरण/अनुमोदन 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
- (सी) दोनों व्यवस्थाओं और धारा 80जी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्टों और संस्थाओं को नियमित पंजीकरण/अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले आवेदन करना होगा।

15.5.2 यह भी ध्यान में लाया गया है कि दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत ट्रस्टों और संस्थाओं को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है:

- (ए) पिछले वर्ष के दौरान गठित या निगमित ट्रस्ट या संस्थाएं उस वर्ष के लिए छूट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं जिसमें वे गठित या निगमित हुए हैं, क्योंकि उन्हें उस पिछले वर्ष से एक महीने पहले आवेदन करना होगा जिसके लिए छूट मांगी गई है।
- (बी) इसके अलावा, ट्रस्टों या संस्थाओं को, जहां गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, एक साथ दो पंजीकरण (अनंतिम और नियमित) के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

15.5.3 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2023 ने ऐसे मामलों में सीधे अंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की अनुमति दी है। इस उद्देश्य से, वित्तीय अधिनियम 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- (ए) प्रथम व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्टों और संस्थाओं को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (ए) के अंतर्गत गतिविधियां प्रारंभ करने से पहले ही अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
- (बी) इसी प्रकार, दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्टों और संस्थाओं को अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) के उपखंड (vi) की मद (ए) के तहत गतिविधियों के प्रारंभ होने से पहले ही अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
- (सी) iv) के उपखंड (ए) के तहत गतिविधियों के प्रारंभ से पहले ही अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
- (डी) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (बी) के अंतर्गत नियमित अनुमोदन के लिए आवेदन करेंगी।
- (ई) दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट और संस्थाएं, जिन्होंने पहले ही अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं, अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) के उपखंड (vi) की मद (बी) के अंतर्गत नियमित पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगी।
- (एफ) की धारा 80जी की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (बी) के अंतर्गत नियमित अनुमोदन के लिए आवेदन करेंगी।
- (जी) इस तरह के आवेदन की जांच प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के तहत, दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 12एबी की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत और अधिनियम की धारा 80जी की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (एच) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त गतिविधियों के उद्देश्यों और वास्तविकता तथा कानून में प्रदत्त अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में संतुष्ट हैं, ऐसे मामलों में पंजीकरण या अनुमोदन 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- (मैं) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश उस माह के अंत से 6 माह के भीतर पारित करेंगे, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे।

के तहत, नियम 2सी, 11ए और 17ए में 1-10-2023 से प्रभावी संशोधन किए गए हैं। इसके अनुरूप, फॉर्म संख्या 10ए और फॉर्म संख्या 10एबी में भी संशोधन किए गए हैं।

15.6 धारा 12एबी और धारा 10 के खंड (23सी) के पंद्रहवें परंतुक के तहत निर्दिष्ट उल्लंघन

15.6.1 कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के पहले और दूसरे प्रावधान, और अधिनियम की धारा 12 ए की उप- धारा (1) के खंड (एसी) में संशोधन करके पंजीकरण के लिए आवेदन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। अब नए ट्रस्टों को अनंतिम पंजीकरण / अनुमोदन के लिए आवेदन करना आवश्यक है जो 3 साल की अवधि के लिए या गतिविधियों के प्रारंभ से छह महीने तक जो भी पहले हो, के लिए वैध है। पहले से पंजीकृत या अनुमोदित दोनों व्यवस्थाओं के तहत ट्रस्ट और संस्थानों को पुनः पंजीकरण / अनुमोदन के लिए फॉर्म नंबर 10 ए में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। नए ट्रस्टों के लिए अनंतिम अनुमोदन / पंजीकरण देने और पहले से पंजीकृत ट्रस्टों के लिए पुनः पंजीकरण / अनुमोदन देने की प्रक्रिया स्वचालित है। ट्रस्ट या संस्था द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर आवेदन दायर किया जाता है और अनंतिम अनुमोदन/पंजीकरण या ऐसे मामलों में अनुमोदन/पंजीकरण बिना सत्यापन के स्वचालित तरीके से प्रदान किया जाता है।

15.6.2 यह देखा गया है कि कुछ मामलों में ट्रस्टों द्वारा अनंतिम अनुमोदन/पंजीकरण और पुनः पंजीकरण/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रपत्र नुटिपूर्ण हैं और चूंकि पंजीकरण/अनुमोदन/अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया स्वचालित है, इसलिए सीपीसी द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट उल्लंघनों के लिए पीसीआईटी/सीआईटी द्वारा ट्रस्टों का अनुमोदन/पंजीकरण और अनंतिम अनुमोदन/पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

15.6.3 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए , एफए 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं,

- (ए) स्पष्टीकरण 2 में खंड (ई) जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि "विनिर्दिष्ट उल्लंघन" में वह मामला भी शामिल होगा जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट आवेदन पूरा नहीं है या इसमें झूठी या गलत जानकारी है।
- (बी) स्पष्टीकरण में खंड (जी) जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि "विनिर्दिष्ट उल्लंघन" में वह मामला भी शामिल होगा जहां अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या इसमें झूठी या गलत जानकारी है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

15.7 कुछ मामलों में ट्रस्ट या संस्थाएं आवेदन दाखिल नहीं करती हैं

15.7.1 कराधान एवं अन्य विधियाँ (कुछ उपबंधों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020 ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक, तथा धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एसी) में संशोधन करके पंजीकरण हेतु आवेदन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

- (ए) पहली और दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत सभी मौजूदा ट्रस्टों और संस्थाओं को निर्दिष्ट नियत तिथि तक या उससे पहले पुनः पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करना आवश्यक था।
- (बी) पहली और दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत नए ट्रस्टों और संस्थाओं को उस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा जिससे उक्त पंजीकरण/अनुमोदन मांगा जा रहा है। ऐसा अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (सी) प्रथम एवं द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत अनंतिम रूप से पंजीकृत/अनुमोदित ट्रस्टों और संस्थाओं को अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की अवधि समाप्त होने से कम से कम छह माह पूर्व या गतिविधियाँ प्रारंभ होने के छह माह के भीतर, जो भी पहले हो, नियमित पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।
- (डी) प्रथम एवं द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्टों एवं संस्थाओं को पुनः पंजीकरण/अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम छह माह पूर्व आवेदन करना आवश्यक है।

15.7.2 ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ पहली और दूसरी व्यवस्था के तहत कुछ ट्रस्ट और संस्थाओं ने अनंतिम पंजीकरण लेने के बाद नियमित पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। इसके अलावा, पहली और दूसरी व्यवस्था के तहत कुछ ट्रस्ट और संस्थाओं ने पुनः पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पहली या दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट और संस्थाएँ 5 वर्ष/3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करेंगी। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं:

- (ए) एक बार जब कोई ट्रस्ट या संस्था पहली या दूसरी व्यवस्था के तहत छूट व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद उससे बाहर निकलना चाहती है, तो उसे अपनी अर्जित आय (परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर) पर अधिकतम सीमांत दर से कर का भुगतान करके बाहर निकलने की अनुमति होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रस्ट या संस्था की आय को कर से छूट दी गई है और ट्रस्ट की अर्जित आय उस आय को दर्शाती है जिस पर कर नहीं चुकाया गया है और उसकी वृद्धि हुई है।
- (बी) पुनः पंजीकरण/अनुमोदन या पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन न करने से, ट्रस्ट को अर्जित आय पर कर का भुगतान किए बिना बाहर निकलने का आसान रास्ता मिल जाता है।

15.7.3 पहली या दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत कोई ट्रस्ट या संस्था स्वेच्छा से अपनी गतिविधियाँ बंद कर सकती है और विघटित हो सकती है या किसी अन्य गैर-धर्मार्थ संस्था के साथ विलय भी कर सकती है, या वह एक गैर-धर्मार्थ संगठन में परिवर्तित हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्षों से छूट के माध्यम से प्राप्त लाभ का दुरुपयोग न हो और कानून में उस कमी को दूर करने के लिए जिसके तहत छूट के माध्यम से संचित निधि/संपत्ति वाले ट्रस्टों और संस्थाओं को बिना किसी कर परिणाम के गैर-धर्मार्थ संगठन में परिवर्तित होने की अनुमति थी, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अधिनियम में धारा 115TD, 115TE और 115TF से युक्त एक नया अध्याय XII-EB जोड़ा गया।

15.7.4 यह अध्याय एक निकास कर के रूप में एक लेवी लगाने का प्रयास करता है जो तब लागू होता है जब संगठन को एक गैर-धर्मार्थ संगठन में परिवर्तित कर दिया जाता है या एक गैर-धर्मार्थ संगठन या भिन्न उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन के साथ विलय कर दिया जाता है या वह किसी अन्य धर्मार्थ संगठन को संपत्ति हस्तांतरित नहीं करता है।

15.7.5 इन प्रावधानों के मुख्य तत्व हैं:

- (i) ट्रस्ट या संस्था की आय में वृद्धि (संचित आय) ट्रस्ट या संस्था के ऐसे रूप में रूपांतरण पर कर योग्य है जो अधिनियम की धारा 12ए या धारा 12एबी के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है या समान उद्देश्यों वाली किसी इकाई में विलय पर और अधिनियम की धारा 12ए या धारा 12एबी के तहत पंजीकृत है या विघटन के महीने के अंत से बारह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत या अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तहत अनुमोदित किसी भी धर्मार्थ संस्था को विघटन पर परिसंपत्तियों का वितरण न करने पर कर योग्य है।
- (ii) संचित आय, निर्दिष्ट तिथि पर कुल परिसंपत्तियों के उचित बाजार मूल्य (FMV) में से देयता घटाकर प्राप्त कुल राशि है। मूल्यांकन की विधि नियमों में निर्धारित की गई है।
- (iii) संचित आय पर कराधान अधिकतम सीमांत दर पर होता है।
- (iv) यह लेवी इकाई के हाथ में कर योग्य किसी भी आय के अतिरिक्त है।

15.7.6 वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अधिनियम की धारा 115टीडी, 115टीई और 115टीएफ के प्रावधानों को संशोधित कर उन्हें पहली व्यवस्था के तहत किसी भी ट्रस्ट या संस्था पर भी लागू किया गया है।

15.7.7 एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 115टीडी के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

- (i) अधिनियम की धारा 115TD की उपधारा (3) में खंड (iii) को शामिल करने से यह प्रावधान होगा कि यदि पहली या दूसरी व्यवस्था के तहत कोई ट्रस्ट या संस्था अधिनियम की धारा 10 के खंड (23C) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के प्रावधानों के अनुसार या अधिनियम की धारा 12A की उपधारा (1) के खंड (ac) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अनुसार उक्त खंडों या उपखंडों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करने में विफल रहती है, तो अध्याय XII-EB के प्रावधान लागू होंगे। इनका उल्लंघन करने पर, इसे किसी ऐसे रूप में परिवर्तित माना जाएगा जो पिछले वर्ष में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए पात्र नहीं है जिसमें ऐसी अवधि समाप्त होती है।
- (ii) अधिनियम की धारा 115टीडी की उपधारा (5) के खंड (ii) में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रधान अधिकारी या ट्रस्टी, जैसा भी मामला हो, और निर्दिष्ट व्यक्ति भी अधिनियम की धारा 115टीडी की उपधारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में पिछले वर्ष की समाप्ति से चौदह दिनों के भीतर केंद्र सरकार के खाते में संचित आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (iii) अधिनियम की धारा 115TD के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (c) को शामिल करने से यह प्रावधान होगा कि रूपांतरण की तारीख का अर्थ धारा 12A की उप-धारा (1) के खंड (ac) के उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि या अधिनियम की धारा 10 के खंड (23C) के पहले प्रावधान के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी होगी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 115TD की उप-धारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

15.8 आय संचयन और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए फॉर्म प्रस्तुत करने की समय-सीमा का संरक्षण

15.8.1 प्रथम व्यवस्था के अंतर्गत न्यासों और संस्थाओं को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के दसवें परंतुक के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार अपने खातों का लेखा-परीक्षण करवाना आवश्यक है। द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यासों और संस्थाओं को अधिनियम की धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के प्रावधानों के अनुसार अपने खातों का लेखा-परीक्षण करवाना आवश्यक है। दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत लेखा-परीक्षण रिपोर्ट

आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

15.8.2 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे प्रावधान के स्पष्टीकरण 3 में यह प्रावधान है कि जहां प्रथम व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था अपनी आय संचित करती है या अलग रखती है, ऐसे ट्रस्ट या संस्था को पिछले वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म (फॉर्म संख्या 10) में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15.8.3 अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (सी) में यह प्रावधान है कि जहां दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था अपनी आय संचित करती है या अलग रखती है, ऐसे ट्रस्ट या संस्था को पिछले वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म (फॉर्म संख्या 10) में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15.8.4 अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) में यह प्रावधान है कि जहां दूसरी व्यवस्था के तहत ट्रस्ट या संस्था कुछ आय को लागू करने योग्य समझती है, ऐसे ट्रस्ट या संस्था को पिछले वर्ष की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारित फॉर्म (फॉर्म संख्या 9ए) में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15.8.5 फॉर्म संख्या 9ए और फॉर्म संख्या 10 जमा करने की अंतिम तिथि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि के समान ही है। ट्रस्टों को आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि से एक माह पूर्व फॉर्म संख्या 10बी/10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। ऑडिटों को ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म संख्या 9ए/10 का विवरण देना होगा। चूंकि फॉर्म संख्या 10बी/10बीबी जमा करने की अंतिम तिथि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि से एक माह पूर्व है, इसलिए ऑडिटों को रिपोर्ट जमा करने में कठिनाई होती है।

15.8.6 प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, वित्तीय विवरणी 2023 में पिछले वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु धारा 139 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियत तिथि से कम से कम दो माह पूर्व फॉर्म संख्या 10/9ए दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में आवश्यक संशोधन निम्नलिखित में किए गए हैं:

- (ए) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (सी) ;
- (बी) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2);
- (सी) अधिनियम की उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

15.9 समय के भीतर आयकर रिटर्न प्रस्तुत न करने पर छूट से इनकार

15.9.1 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के बीसवें प्रावधान के अनुसार, यदि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 139 के तहत समय के भीतर पहली व्यवस्था के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत छूट ऐसे ट्रस्ट या संस्था को उपलब्ध नहीं होगी।

एक/ बीए) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 139 के तहत समय के भीतर दूसरी व्यवस्था के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 11, 12 के तहत छूट ऐसे ट्रस्ट या संस्था को उपलब्ध नहीं होगी।

बी/ वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 139 में संशोधन किया गया, जिससे करदाताओं को आकलन वर्ष की समाप्ति से 2 वर्ष तक अद्यतन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया गया।

सी/ उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 11, 12 और अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत ट्रस्टों/संस्थाओं को छूट की अनुमति देने के अनपेक्षित परिणाम सामने आए थे, जहां वे आय की अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, एफए 2023 ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 11, 12 और धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब आयकर रिटर्न अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

डी/ इसलिए, एफए 2023 में,

- (ए) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के बीसवें परंतुक को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या ट्रस्ट या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4सी) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए आयकर रिटर्न उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के तहत अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (बी) खंड (बीए) में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ए) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए आय की विवरणी उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के तहत स्वीकृत समय के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

16. कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली आवासीय सुविधा के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण

16.1 अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के अनुसार, "अनुलाभ" में अन्य बातों के साथ-साथ, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास का मूल्य या किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य शामिल है। नियोक्ता या तो केंद्र/राज्य सरकार हो सकता है या उसके अलावा कोई अन्य हो सकता है, और दोनों श्रेणियों के नियोक्ताओं के लिए अनुलाभों के मूल्यांकन की पद्धतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं।

16.2 तथापि, किराया-मुक्त आवास के मूल्य की गणना करने की पद्धति नियमों के नियम 3 में निर्धारित की गई थी, जबकि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए किराए के मामलों में किसी भी रियायत के मूल्य की गणना करने की पद्धति धारा 17 के खंड (2) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट की गई थी।

16.3 अनुलाभ के मूल्य की गणना हेतु नियमों में एक समान कार्यप्रणाली निर्धारित करके इस प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने और नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में अनुलाभ की दो श्रेणियों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (i) और (ii) में संशोधन किया है। करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास के मूल्य और करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा रियायती दर पर प्रदान की गई किसी भी सुविधा के मूल्य की गणना की पद्धति को नियमों के माध्यम से निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।

16.4 इसलिए,-

- (मैं) एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (ii) के स्पष्टीकरण 1 में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि निर्धारित तरीके से गणना की गई आवास की कीमत करदाता से वसूल किए जाने योग्य या उसके द्वारा देय किराए से अधिक है तो आवास को रियायती दर पर प्रदान किया गया माना जाएगा ।
- (ii) एफए 2023 ने धारा को युक्तिसंगत बनाने और नियमों के माध्यम से कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई सुविधा के मूल्य के लिए गणना की विधि निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (ii) के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 4 को हटा दिया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

16.5 अधिसूचना संख्या 65/2023, दिनांक 18-8-2023 जीएसआर 615 (ई), 1-9-2023 से प्रभावी, आयकर अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के उप-खंड (i) और (ii) के प्रयोजन के लिए अनुलाभों के मूल्य की गणना करने की पद्धति निर्धारित की गई है।

17. संपत्ति के अधिग्रहण, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज पर दावा की गई दोहरी कटौती की रोकथाम

17.1 अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, किसी संपत्ति के अधिग्रहण, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि को अधिनियम की धारा 24 के तहत "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

17.2 अधिनियम की धारा 48, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना, पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य में से परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और उसमें किसी सुधार की लागत को घटाकर की जाएगी।

17.3 यह देखा गया है कि कुछ करदाता संपत्ति के अधिग्रहण, नवीनीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर चुकाए गए ब्याज पर दोहरी कटौती का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले, यह कटौती धारा 24 के तहत गृह संपत्ति से होने वाली आय में से कटौती के रूप में दावा की गई थी, और कुछ मामलों में अधिनियम के अध्याय 6क के अन्य प्रावधानों के तहत भी कटौती का दावा किया जा रहा था। दूसरी बात, ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की गणना करते समय, यही ब्याज अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिग्रहण की लागत या सुधार की लागत का भी एक हिस्सा बनता था।

17.4 इस दोहरी कटौती को रोकने के लिए, एफए 2023 ने धारा 48 के खंड (ii) के बाद एक प्रावधान जोड़ा है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिग्रहण की लागत या सुधार की लागत में धारा 24 या अध्याय VIA के खंड (बी) के तहत दावा किए गए ब्याज की राशि शामिल नहीं होगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

18. नकद लाभ और सुविधाओं पर स्पष्टता प्रदान करना

18.1 अधिनियम की धारा 28 में "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए देय आय का प्रावधान है। इस धारा का खंड

(iv) व्यवसाय या पेशे के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी लाभ या अनुलाभ के मूल्य को, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं, करयोग्य बनाता है। यह प्रावधान वित्त अधिनियम 1964 के माध्यम से जोड़ा गया था और इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए 7 जुलाई 1964 को जारी परिपत्र संख्या 20डी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लाभ नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है। इसलिए, इस प्रावधान को प्रस्तुत करते समय कानून का उद्देश्य लाभ या अनुलाभ को भी शामिल करना था, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में। हालाँकि, न्यायालयों ने व्याख्या की थी कि यदि लाभ या अनुलाभ नकद में हैं, तो वे अधिनियम की धारा 28 के इस खंड के दायरे में नहीं आते हैं।

18.2 प्रावधान को विधानमंडल की मंशा के अनुरूप बनाने के लिए, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) में संशोधन किया गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड के प्रावधान उन मामलों पर भी लागू होते हैं जहां प्रदान किया गया लाभ या अनुलाभ या तो नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

18.3 वित्त अधिनियम 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 194आर को शामिल किया गया है, जो किसी व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले लाभ या अनुलाभ पर स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करता है।

18.4 उक्त धारा की उप-धारा (1) ऐसे लाभ या अनुलाभ के मूल्य या कुल मूल्य के 10% की दर से स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान करती है। स्रोत पर कर कटौती का दायित्व उस व्यक्ति पर निर्धारित किया गया है जो किसी निवासी को उसके व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या अनुलाभ, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

18.5 उप-धारा (1) का पहला प्रावधान यह प्रदान करता है कि ऐसे मामले में जहां लाभ या अनुलाभ, जैसा भी मामला हो, पूरी तरह से वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद में है और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में है, लेकिन नकद में ऐसा हिस्सा ऐसे पूरे लाभ या अनुलाभ के संबंध में कर की कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे लाभ या अनुलाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, लाभ या अनुलाभ जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कटौती किए जाने वाले कर का भुगतान लाभ या अनुलाभ के संबंध में किया गया है।

18.6 उप-धारा (2) कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सीबीडीटी (केंद्र सरकार के अनुमोदन से) द्वारा दिशानिर्देश जारी करने का प्रावधान करती है। तदनुसार 16 जून, 2022 को परिपत्र संख्या 12 जारी किया गया। इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि धारा 194आर के अंतर्गत कर की कटौती आवश्यक है, चाहे लाभ या अनुलाभ नकद में हो या वस्तु के रूप में। तदनुसार, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 194आर में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि उप-धारा (1) के प्रावधान लाभ या अनुलाभ पर लागू होते हैं, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

19. प्रारंभिक व्यय के परिशोधन पर कटौती का दावा करने में आसानी

19.1 अधिनियम की धारा 35डी में व्यवसाय शुरू होने से पहले या बाद में, उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के संबंध में किए गए कुछ प्रारंभिक खर्चों के परिशोधन का प्रावधान है। इसमें व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने से संबंधित व्यय शामिल हैं।

19.2 एफए 2023 से पहले, इस धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग सेवाओं के संचालन से संबंधित कार्य या तो करदाता द्वारा स्वयं या सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित किसी संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

19.3 इन प्रारंभिक व्ययों के परिशोधन का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 35डी में संशोधन किया गया है ताकि इन व्ययों से संबंधित गतिविधियों को सीबीडीटी द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा किए जाने की शर्त को हटाया जा सके। इसके बजाय, अब करदाता को निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से निर्धारित आयकर प्राधिकारी को इस व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

19.4 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 54/2023 दिनांक 1-8-2023 (जीएसआर 579[ई]) के तहत, नियमों में एक नया नियम 6ABBB जोड़ा गया है और अधिनियम की धारा 35डी की उपधारा (2) के खंड (क) के परंतुक के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारंभिक व्ययों का विवरण प्राप्त करने के लिए नया फॉर्म संख्या 3AF अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म संख्या 3AE (धारा 35डी(4)/35 ई(6) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) को भी संशोधित किया गया है ताकि यह विवरण प्राप्त किया जा सके कि फॉर्म संख्या 3AF दाखिल किया गया है या नहीं।

20. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) वर्गीकरण

20.1 अधिनियम की धारा 43बी में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह प्रावधान किया गया है कि जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में करदाता द्वारा देय किसी भी राशि को भुगतान के आधार पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यदि यह राशि संबंधित पिछले वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पहले वास्तव में चुकाई जाती है, तो इसे उपार्जन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।

20.2 अधिनियम की धारा 43डी में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आय के मामले में विशेष प्रावधान का प्रावधान किया गया है। ऐसी संस्थाओं द्वारा प्राप्त कुछ श्रेणियों के डूबत या सदिग्ध ऋणों से प्राप्त ब्याज आय, उस पिछले वर्ष में कर योग्य होगी जिसमें वह उस वर्ष के उनके लाभ-हानि खाते में जमा की गई हो या वास्तव में प्राप्त हुई हो, जो भी पहले हो।

20.3 वित्तीय विनियमन 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 43बी और धारा 43डी में एनबीएफसी की दो पूर्व श्रेणियों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात् जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इस प्रकार के वर्गीकरण का अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए पालन नहीं किया जाता है।

20.4 उपर्युक्त के मद्देनजर, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 43बी और धारा 43डी में संशोधन किया गया, जिसमें "जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" शब्दों के स्थान पर "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है" शब्द रखे गए।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार आकलन वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

20.5 अधिसूचना संख्या 80/2023 दिनांक 22-9-2023 (एसओ 4193[ई]) के तहत, कुछ श्रेणियों की एनबीएफसी को धारा 43बी के लिए अधिसूचित किया गया है और अधिसूचना संख्या 79/2023 दिनांक 22-9-2023 (एसओ 4192[ई]) के तहत, कुछ श्रेणियों की एनबीएफसी को धारा 43डी के लिए अधिसूचित किया गया है। इन अधिसूचनाओं द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों की एनबीएफसी को अधिसूचित किया गया है, अर्थात्:-

- (ए) शीर्ष परत में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी;
- (बी) ऊपरी परत में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी;
- (सी) मध्य परत में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि शीर्ष परत, ऊपरी परत और मध्य परत में एनबीएफसी का यह वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के 22 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं. 60/03.10.001/2021-22 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

21. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देना

21.1 अधिनियम की धारा 43बी में कुछ कटौतियों की अनुमति केवल वास्तविक भुगतान पर ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस धारा का प्रावधान उपार्जन के आधार पर कटौती की अनुमति देता है, यदि राशि आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि तक चुका दी जाती है।

21.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे उद्यमों को किए गए भुगतानों को एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 43बी के दायरे में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 43बी में एक नया खंड (एच) जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद करदाता द्वारा किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को देय किसी भी राशि पर केवल वास्तविक भुगतान पर ही कटौती की अनुमति होगी। हालाँकि, यह भी प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 43बी का प्रावधान ऐसे भुगतानों पर लागू नहीं होगा।

21.3 एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15, लिखित समझौते के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान अनिवार्य करती है, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। यदि ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है, तो धारा के अनुसार भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 43बी में यह संशोधन भुगतान के आधार पर ही कटौती की अनुमति देता है। यह कटौती उपार्जन आधार पर तभी दी जा सकती है जब भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

22. अनुमानित कराधान योजनाओं के लिए सीमा बढ़ाना

22.1 अधिनियम की धारा 44एडी के प्रावधान, *अन्य बातों के साथ-साथ*, छोटे व्यवसायों के लिए एक अनुमानित आय योजना का प्रावधान करते हैं। एफए 2023 से पहले, यह योजना कुछ निवासी करदाताओं (अर्थात्, एक व्यक्ति, एचयूएफ या एलएलपी के अलावा कोई साझेदारी फर्म) पर लागू होती थी, जो पात्र

व्यवसाय करते थे और जिनका कारोबार या सकल प्राप्ति दो करोड़ रुपये या उससे कम थी। इस योजना के तहत, कारोबार या सकल प्राप्ति के 8% या 6% के बराबर राशि को कुछ शर्तों के अधीन व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति माना जाता है। यदि करदाता ने 8% या 6% से अधिक राशि अर्जित करने का दावा किया है, तो वह उच्च राशि कर योग्य है।

22.2 अधिनियम की धारा 44ADA छोटे पेशेवरों के लिए एक अनुमानित आय योजना का प्रावधान करती है। FA 2023 से पहले, यह योजना कुछ निवासी करदाताओं (अर्थात्, कोई व्यक्ति, LLP के अलावा कोई साझेदारी फर्म) पर लागू होती थी, जो धारा 44AA की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी पेशे में लगे हों, और जिनकी कुल सकल प्राप्तियाँ पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हों। इस योजना के तहत, सकल प्राप्तियों के 50% के बराबर राशि को व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति माना जाता है। यदि करदाता ने 50% से अधिक राशि अर्जित करने का दावा किया है, तो वह उच्च राशि कर योग्य है।

22.3 अधिनियम की धारा 44AB के अंतर्गत, व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है, यदि उसके व्यवसाय में कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियाँ किसी भी पिछले वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक हैं। यह सीमा दस करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है, जहाँ कम से कम 95% प्राप्तियाँ/भुगतान गैर-नकद रूप में हैं। पेशे से जुड़े किसी व्यक्ति के मामले में, यदि उसके पेशे में सकल प्राप्तियाँ किसी भी पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक हैं, तो उसे अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है। प्रकल्पित योजना में निर्धारित शर्तों को चुनने और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत ऑडिट से छूट प्राप्त है।

22.4 लघु एवं मध्यम वर्ग के अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए पात्र व्यवसायों एवं व्यवसायों के लिए प्रकल्पित योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्रता की सीमा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतः, वित्तीय अधिनियम 2023 के अनुसार, अधिनियम की धारा 44AD और धारा 44ADA में प्रकल्पित योजना के लिए सीमा निम्नलिखित कुछ शर्तों को पूरा करने पर बढ़ा दी गई है:-

- अधिनियम की धारा 44एडी के तहत, पात्र व्यवसाय के लिए, जहाँ पिछले वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त राशि या कुल राशि, कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, तीन करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा लागू होगी।
- अधिनियम की धारा 44एडी के तहत, अधिनियम की धारा 44ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, जहाँ पिछले वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त राशि या कुल राशि कुल सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, पचहत्तर लाख रुपये की प्रारंभिक सीमा लागू होगी।
- किसी बैंक पर आहरित चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त रसीद, जो कि आदाता खाता नहीं है, नकद रसीद मानी जाएगी।
- अधिनियम की धारा 44एबी का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो अधिनियम की धारा 44एडी की उपधारा (1) या धारा 44एडी की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए लाभ और प्राप्ति की घोषणा करता है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

23. धारा 44बीबी और धारा 44बीबीबी के तहत प्रकल्पित योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना

23.1 अधिनियम की धारा 44बीबी, ऐसे अनिवासी करदाता के मामले में प्रकल्पित योजना का प्रावधान करती है जो खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन में प्रयुक्त या प्रयुक्त होने वाले संयंत्र और मशीनरी से संबंधित सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करने या किराए पर आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत, उक्त धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के 10% के बराबर राशि को ऐसे व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति माना जाएगा, जिस पर "व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जा सकेगा।

23.2 अधिनियम की धारा 44बीबीबी, किसी अनिवासी विदेशी कंपनी के मामले में, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी टर्नकी विद्युत परियोजना के संबंध में सिविल निर्माण या संयंत्र या मशीनरी के निर्माण या उसके परीक्षण या कमीशनिंग के व्यवसाय में लगी हुई है, प्रकल्पित योजना का प्रावधान करती है। इस योजना के अंतर्गत, उक्त करदाता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे सिविल निर्माण, निर्माण, परीक्षण या कमीशनिंग के लिए भुगतान की गई या देय राशि (चाहे भारत में हो या भारत के बाहर) के दस प्रतिशत के बराबर राशि को ऐसे व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति माना जाएगा, जिस पर "व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जा सकेगा।

23.3 दोनों धाराओं में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता अधिनियम की धारा 44ए की उपधारा (2) के तहत अपेक्षित खाता बही और अन्य दस्तावेज रखता है और उनका रखरखाव करता है तथा अपने खातों का ऑडिट कराता है और अधिनियम की धारा 44एबी के तहत अपेक्षित ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो वह निर्दिष्ट लाभ और लाभ से कम लाभ और लाभ का दावा कर सकता है।

23.4 यह देखा गया है कि करदाता प्रकल्पित योजना आय और गैर-प्रकल्पित आय, दोनों का लाभ उठाने के लिए प्रकल्पित योजना में शामिल होने और उससे बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं। जिस वर्ष उन्हें घाटा होता है, वे खाता बही के अनुसार वास्तविक घाटा का दावा करते हैं और उसे आगे ले जाते हैं। जिस वर्ष उन्हें अधिक लाभ होता है, वे लाभ को 10% तक सीमित करने के लिए प्रकल्पित योजना का उपयोग करते हैं और पिछले वर्षों के आगे लाए गए घाटे को

समायोजित करते हैं। वैचारिक रूप से, यदि करदाता खाता बही बनाए रखता है और ऐसे खातों के अनुसार घाटे का दावा करता है, तो उसे खातों के अनुसार लाभ का भी खुलासा करना चाहिए। प्रकल्पित आधार पर गणना की गई आय के साथ खाता बही के अनुसार गणना की गई हानि को समायोजित करने का कोई औचित्य नहीं है।

23.5 इस तरह के दुरुपयोग से बचने के लिए, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 44बीबी और धारा 44बीबीबी में एक नई उपधारा जोड़ी गई है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कोई करदाता प्रकल्पित कराधान के प्रावधानों के अनुसार किसी पिछले वर्ष के लिए व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति की घोषणा करता है, ऐसे पिछले वर्ष के लिए करदाता को अनवशोषित मूल्यहास और अग्रेषित हानि का कोई सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

24. सोने को इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद में और इसके विपरीत रूपांतरित करना

24.1 केंद्रीय बजट 2021-22 में गोल्ड एक्सचेंज के बारे में की गई घोषणा के अनुसरण में, सेबी को प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का नियामक बनाया गया है। तदनुसार, सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) के माध्यम से मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों पर सोने के स्पॉट ट्रेडिंग के लिए एक विस्तृत नियामक ढांचा तैयार किया है।

24.2 इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए, एफए 2023 ने पूंजीगत लाभ के प्रयोजनों के लिए सेबी पंजीकृत वॉल्ट मैनेजर द्वारा सोने के भौतिक रूप को ईजीआर में और इसके विपरीत रूपांतरित करने को 'हस्तांतरण' के दायरे से बाहर रखा है।

24.3 इसके अलावा, पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए ई.जी.आर. के अधिग्रहण की लागत उस व्यक्ति के हाथों में सोने की लागत मानी जाएगी जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जारी की गई है, और पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए धारण अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए ई.जी.आर. में रूपांतरण से पहले करदाता द्वारा सोना धारण किया गया था।

24.4 उपरोक्त परिवर्तनों के लिए, एफए 2023 ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं

- i.** खंड (viid) जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि पूंजीगत परिसंपत्ति का, जो भौतिक सोना है, वॉल्ट मैनेजर द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद का भौतिक सोने में स्थानांतरण 'स्थानांतरण' नहीं माना जाएगा।
- ii.** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद' और 'वॉल्ट मैनेजर' के अर्थ क्रमशः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वॉल्ट मैनेजर) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (एच) और (एल) में दिए गए अर्थ होंगे।
- iii.** अधिनियम की धारा 49 में एक नई उपधारा (10) जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी वॉल्ट मैनेजर द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद, हस्तांतरण के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है, जैसा कि धारा 47 में नए सम्मिलित खंड (viid) में निर्दिष्ट है, उक्त हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, उस व्यक्ति के हाथों में सोने की लागत मानी जाएगी जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जारी की गई है। इसी तरह, जहां इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद के खिलाफ जारी किया गया सोना, जो हस्तांतरण के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन जाता है, जैसा कि धारा 47 में खंड (viid) में निर्दिष्ट है, उक्त हस्तांतरण के प्रयोजनों के लिए परिसंपत्ति (सोना होने के नाते) के अधिग्रहण की लागत ऐसे व्यक्ति के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद की लागत मानी जाएगी।

चतुर्थ. अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42ए) के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (hi) जोड़ा गया है, जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए धारण अवधि में वह अवधि शामिल होगी, जिसके लिए सोने को इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद में रूपांतरण से पहले करदाता द्वारा धारण किया गया था और इसी प्रकार, इसमें वह अवधि भी शामिल होगी, जिसके लिए सोने में रूपांतरण से पहले करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद धारण की गई थी।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

25. धारा 45(5ए) के प्रावधानों को धारा 194-आईसी के स्रोत पर कर कटौती प्रावधानों के साथ संरेखित करना

25.1 एफए, 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (5ए) के प्रावधानों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह प्रावधान था कि किसी संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) के तहत किसी पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हो, के हस्तांतरण से किसी करदाता (व्यक्ति और एचयूएफ) को होने वाले पूंजीगत लाभ पर, उस पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर लागेगा जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के पूर्ण या आंशिक निर्माण के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त, इस लेन-देन पर पूंजीगत लाभ राशि की गणना के लिए, प्रतिफल का पूरा मूल्य उसके हिस्से के स्टॉप शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाएगा, जिसमें 'नकद' में प्राप्त प्रतिफल की राशि में वृद्धि होगी।

25.2 . यह देखा गया कि करदाता यह अनुमान लगा रहे थे कि नकदी के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त विचार की कोई भी राशि, यानी चेक या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड को धारा 45 की उप-धारा (5 ए) के तहत कर के लिए वसूलनीय पूंजीगत लाभ की गणना के उद्देश्य के लिए विचार में शामिल नहीं किया जाएगा। यह कानून के इरादे के अनुरूप नहीं था जैसा कि अधिनियम की धारा 194-आईसी के प्रावधानों से स्पष्ट है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि धारा 45 की उप-धारा (5 ए) में निर्दिष्ट समझौते के तहत विचार के रूप में (वस्तु के अलावा अन्य) किसी भी राशि पर कर काटा जाएगा, जो कटौतीकर्ता को नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जाता है। तदनुसार, धारा 45 की उप-धारा (5 ए) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि विचार का पूरा मूल्य उसके हिस्से के स्टॉप शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाएगा

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

26. धारा 47 के तहत छूट के प्रयोजनों के लिए 'मूल निधि' की परिभाषा

26.1 अधिनियम की धारा 47 का खंड (viiac) मूल निधि द्वारा परिणामी निधि में पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण में किसी भी हस्तांतरण को छूट देता है, जबकि अधिनियम की धारा 47 का खंड (viiad) शेयरधारक या यूनिट धारक या हित धारक द्वारा परिणामी निधि में शेयर या यूनिट या ब्याज के बदले मूल निधि में उसके द्वारा धारित पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण में किसी भी हस्तांतरण को छूट देता है।

26.2 एफए 2023 द्वारा संशोधन से पहले, इन खंडों के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiac) और (viiad) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) ने एक 'मूल निधि' को भारत के बाहर स्थापित या निगमित या पंजीकृत निधि के रूप में परिभाषित किया था, जो अपने सदस्यों से उनके लाभ के लिए निवेश करने के लिए धन एकत्र करता है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात: -

- (ए) निधि भारत में निवासी व्यक्ति नहीं है;
- (बी) निधि किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है; या वह किसी ऐसे देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित या निगमित या पंजीकृत है जिसे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;
- (सी) निधि और उसकी गतिविधियां उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में लागू निवेशक संरक्षण विनियमों के अधीन हैं जहां यह स्थापित या निगमित है या निवासी है; और
- (डी) निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता है

26.3 अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) आईएफएससी में निवेश साधन स्थानांतरित करने का इरादा रखता है, जिसमें एडीआईए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र शेयरधारक या यूनिट धारक या लाभार्थी या हितधारक है और ऐसा निवेश साधन पूरी तरह से अबू धाबी निवेश प्राधिकरण या अबू धाबी सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।

26.4 उपरोक्त के मद्देनजर, वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiac) और खंड (viiad) के स्पष्टीकरण के खंड (a) को संशोधित किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि मूल निधि की परिभाषा में यह भी शामिल होगा-

- (मैं) एक निवेश माध्यम, जिसमें अबू धाबी निवेश प्राधिकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र शेयरधारक या यूनिट धारक या लाभार्थी या हितधारक है और ऐसा निवेश माध्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अबू धाबी निवेश प्राधिकरण या अबू धाबी सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है, या
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित निधि, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जाएं;

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गए हैं और कर निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

27. किसी विदेशी सरकार द्वारा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के शेयरों के बदले में संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी के रूप में पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण, किसी विदेशी राज्य के कानूनों के अनुसार

27.1 वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 47 के खंड (xix) के बाद एक नया खंड (xx) जोड़ा है , ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का कोई हस्तांतरण, उसमें बोर्ड द्वारा अधिसूचित संयुक्त उद्यम में हित के रूप में, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा, किसी विदेशी सरकार द्वारा भारत के बाहर निगमित कंपनी के शेयरों के बदले में, उस विदेशी राज्य के कानूनों के अनुसार, हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

27.2 इसके अलावा, वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (2एएच) के बाद एक नई उप-धारा (2एआई) डाली है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां पूंजीगत परिसंपत्ति, धारा 47 के खंड (xx) में निर्दिष्ट शेयर होने के नाते, करदाता की संपत्ति बन गई है , ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को उक्त खंड में निर्दिष्ट संयुक्त उद्यम में हित के अधिग्रहण की लागत माना जाएगा।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गया है और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में

लागू होगा।

28. बाजार से जुड़े डिबेंचर और कुछ निर्दिष्ट म्यूचुअल फंडों के मामले में पूंजीगत लाभ पर कराधान के लिए विशेष प्रावधान

28.1 यह देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ, जिनमें साधारण ऋण प्रतिभूतियों और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स की विशेषताएँ सम्मिलित हैं, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी की जा रही हैं और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध की जा रही हैं। यह देखा गया है कि ऐसी प्रतिभूतियाँ साधारण ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न होती हैं।

28.2 'मार्केट लिंक्ड डिबेंचर' सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ हैं। इनसे होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर बिना किसी सूचीकरण के 10% की दर से कर लगाया जा रहा था। हालाँकि, ये प्रतिभूतियाँ डेरिवेटिव प्रकृति की हैं जिन पर सामान्यतः लागू दरों पर कर लगाया जाता है। इसके अलावा, ये परिवर्तनशील ब्याज भी देते हैं क्योंकि ये बाजार के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं।

28.3 इसी तरह, यह देखा गया है कि सेबी की विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाएँ हैं जिन्हें इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम और बैलेंस्ड फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से, बैलेंस्ड फंड एक प्रकार के हाइब्रिड फंड हैं जिनमें इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में निवेश शामिल होता है। इन फंडों का डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश अधिक होता है। शेयर बाजारों में शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी ये फंड प्रभावित होते हैं, हालाँकि, ऐसे फंडों का मूल्य शुद्ध इक्विटी फंडों की तुलना में कम अस्थिर होने की संभावना होती है और इसलिए ब्याज के माध्यम से आय का प्रवाह स्थिर रहता है और जोखिम भी कम होता है।

28.4 इन प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या मोचन या परिपक्वता से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर लागू दरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने के लिए, एफए 2023 ने अधिनियम में एक नई धारा 50एए डाली है, जो 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद अर्जित "मार्केट लिंक्ड डिबेंचर" या "निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड" की एक इकाई के हस्तांतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित विचार के पूर्ण मूल्य को, डिबेंचर या इकाई के अधिग्रहण की लागत और हस्तांतरण या मोचन के संबंध में पूरी तरह या विशेष रूप से किए गए व्यय को घटाकर, अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा।

28.5 इसके अलावा, एफए 2023 ने 'मार्केट लिंक्ड डिबेंचर' को किसी भी नाम से पुकारी जाने वाली प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें ऋण प्रतिभूति के रूप में एक अंतर्निहित प्रमुख घटक होता है और जहां रिटर्न अन्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों या सूचकांकों पर बाजार रिटर्न से जुड़ा होता है और इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के रूप में वर्गीकृत या विनियमित कोई भी प्रतिभूति शामिल होती है। "निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड" शब्द को किसी भी नाम से पुकारी जाने वाली म्यूचुअल फंड के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जहां इसकी कुल आय का पैंतीस प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं किया जाता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि फंड के संबंध में धारित इक्विटी शेयरधारिता का प्रतिशत दैनिक समापन आंकड़ों के वार्षिक औसत के संदर्भ में गणना की जाएगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

29. धारा 54 और धारा 54एफ के तहत दावा किए गए रोल ओवर लाभ को सीमित करना

29.1 एफए, 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 54 और धारा 54एफ के प्रावधानों ने दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कटौती की अनुमति दी थी यदि एक करदाता, जिस तारीख को हस्तांतरण हुआ था उससे एक वर्ष पहले या दो साल की अवधि के भीतर भारत में किसी भी आवासीय संपत्ति खरीदी, या उस तारीख के बाद तीन साल की अवधि के भीतर भारत में किसी भी आवासीय संपत्ति का निर्माण किया। अधिनियम की धारा 54 के लिए, आवासीय घर के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कटौती उपलब्ध थी यदि पूंजीगत लाभ को आवासीय घर में पुनर्निवेश किया जाता है। अधिनियम की धारा 54एफ में, आवासीय घर को छोड़कर किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कटौती उपलब्ध है, यदि शुद्ध विचार आवासीय घर में पुनर्निवेश किया गया था।

29.2 अधिनियम की धारा 54 और धारा 54एफ का प्राथमिक उद्देश्य आवास की तीव्र कमी को कम करना और आवास निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था। हालाँकि, यह देखा गया है कि उच्च-निवल-मूल्य वाले करदाताओं द्वारा अत्यधिक महंगे आवासीय मकान खरीदकर इन प्रावधानों के तहत भारी कटौती का दावा किया जा रहा था, जिससे इन धाराओं का मूल उद्देश्य ही विफल हो रहा था।

29.3 . कटौतियों को सीमित करने की सरकार की नीति के अनुरूप, वित्तीय अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के अंतर्गत करदाता द्वारा दावा की जा सकने वाली अधिकतम कटौती की सीमा निर्धारित कर दी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि खरीदी गई नई संपत्ति की लागत दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो उक्त धाराओं के अंतर्गत कटौती की गणना के लिए दस करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

29.4 . परिणामस्वरूप, धारा 54 की उप-धारा (2) और धारा 54एफ की उप-धारा (4) के प्रावधान, जो पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा राशि से संबंधित हैं, में भी संशोधन किया गया है। एफए 2023 में एक परंतुक जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा राशि के प्रयोजनार्थ धारा 54 की उप-धारा (2) और धारा 54एफ की उप-धारा (4) के प्रावधान, केवल 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ या शुद्ध प्रतिफल, जैसा

भी मामला हो, पर लागू होंगे।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

30. पूंजीगत लाभ की गणना के लिए कुछ परिसंपत्तियों के मामले में अधिग्रहण की लागत को परिभाषित करना

30.1 एफए, 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों ने, *अन्य बातों के साथ-साथ*, पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजनों के लिए 'किसी भी सुधार की लागत' और 'अधिग्रहण की लागत' को परिभाषित किया था। हालांकि, कुछ संपत्तियां जैसे अमूर्त संपत्तियां या किसी भी प्रकार का अधिकार था, जिनके अधिग्रहण के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत को वर्तमान प्रावधान में स्पष्ट रूप से 'शून्य' के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इससे कई कानूनी विवाद हुए और अदालतों ने माना है कि पूंजीगत लाभ के तहत कर योग्यता के लिए अधिग्रहण की एक निश्चित लागत होनी चाहिए या इसे अधिनियम के तहत शून्य माना जाना चाहिए। चूंकि ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जो कहता हो कि ऐसी संपत्तियों की लागत शून्य है, ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ की प्रभार्यता को न्यायालयों का समर्थन नहीं मिला था।

30.2 . इसलिए, ऐसी परिसंपत्तियों के 'अधिग्रहण की लागत' और 'सुधार की लागत' को परिभाषित करने के लिए, एफए 2023 ने उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (1) के प्रावधानों को संशोधित किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी अमूर्त परिसंपत्ति या किसी अन्य अधिकार के सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी। साथ ही , धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (ए) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी पूंजीगत परिसंपत्ति, जो कोई अमूर्त परिसंपत्ति या कोई अन्य अधिकार है, की 'अधिग्रहण की लागत' 'शून्य' होगी, जहां यह अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (iii) में आती है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

31. कर चोरी की संभावना को समाप्त करने के लिए अनिवासी निवेशकों को धारा 56(2)(viiख) के दायरे में लाना

31.1 वित्तीय विनियमन, 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 56(2)(viib) में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान था कि जहाँ कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि हो, किसी पूर्व वर्ष में किसी निवासी व्यक्ति से शेयरों के निर्गमन के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए देय होगा। नियमों का नियम 11UA अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के प्रयोजनों के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य की गणना के लिए सूत्र प्रदान करता है।

31.2 . वित्त अधिनियम, 2012 के तहत अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) का खंड (viib) जोड़ा गया था ताकि किसी बंद कंपनी में निवासी निवेशकों से प्राप्त शेयर प्रीमियम के माध्यम से उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक बेहिसाब धन के सृजन और संचलन को रोका जा सके। हालांकि, उक्त धारा अनिवासी निवेशकों से प्राप्त प्रतिफल (शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम) पर लागू नहीं थी।

31.3 . तदनुसार, एफए 2023 ने उक्त खंड से 'निवासी होने' शब्द को हटाकर, अनिवासी से प्राप्त प्रतिफल को भी खंड (viib) के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति से, चाहे उसकी निवास स्थिति कुछ भी हो, शेयर जारी करने के लिए प्रतिफल प्राप्त करने पर लागू होगा।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

31.4 . इस संदर्भ में, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिसूचना संख्या 29/2023 दिनांक 24-5-2023 (एसओ 2274[ई]) के तहत , कुछ वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को, जो अनिवासी निवेशक हैं और जिन पर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) का खंड (viib) लागू नहीं होगा, अधिसूचित किया गया है।

31.5 . इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 30/2023 दिनांक 24-5-2023 (एसओ 2275[ई]), 2023 जारी की गई है, जिसमें अधिसूचना संख्या एसओ 1131(ई) दिनांक 5 मार्च, 2019 को संशोधित किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) के प्रावधान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में जारी अधिसूचना दिनांक 19-2-2019 के पैरा 4 और 5 में शामिल स्टार्ट-अप द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त विचार पर लागू नहीं होंगे।

31.6 . इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 56(2) (viiख) के प्रयोजनों के लिए गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य के मूल्यांकन की गणना की विधि प्रदान करते हुए, नियम 11UA में संशोधन हेतु मसौदा अधिसूचना को टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। इस संबंध में प्राप्त सुझावों और हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत को ध्यान में रखते हुए, नियम 11UA को अधिसूचना संख्या 81/2023 दिनांक 25-9-2023 (GSR 685 [E]) द्वारा संशोधित किया गया है। अधिसूचित नियम में मूल्यांकन पद्धतियों के विस्तार का प्रावधान है ताकि वैश्विक रूप से स्वीकृत पद्धतियों को इसमें शामिल किया जा सके।

32. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश को सुगम बनाना

32.1 अधिनियम की धारा 72ए समामेलन या विभाजन में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने और समायोजित करने के प्रावधानों से संबंधित है। धारा 72ए की उपधारा (1) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट मामलों में, समामेलित कंपनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास को पिछले वर्ष के लिए समामेलित कंपनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास माना जाएगा जिसमें समामेलन प्रभावित हुआ था। रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानि और अनवशोषित मूल्यहास को आगे ले जाने और समायोजित करने की सुविधा के लिए उक्त धारा में शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। एफए 2023 से पहले, रणनीतिक विनिवेश को केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में शेरधारिता की बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप खरीदार को नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ इसकी शेरधारिता इक्यावन प्रतिशत से कम हो जाती थी।

32.2 अधिनियम की धारा 72ए कुछ मामलों में समामेलन की योजना में संचित घाटे और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने से संबंधित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एफए 2023 से पहले, किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ एक या एक से अधिक बैंकिंग कंपनी का समामेलन शामिल था।

32.3 . आगे रणनीतिक विनिवेश की सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 72ए में 'रणनीतिक विनिवेश' की परिभाषा को एफए 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि रणनीतिक विनिवेश का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या किसी कंपनी में शेरधारिता की बिक्री है जिसके परिणामस्वरूप

- (i) अपनी शेरधारिता को इक्यावन प्रतिशत से कम करना, और
- (ii) खरीदार को नियंत्रण का हस्तांतरण।

32.4 . पहली शर्त उस स्थिति में लागू होती है जब शेरधारिता की ऐसी बिक्री से पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की शेरधारिता इक्यावन प्रतिशत से अधिक थी। नियंत्रण हस्तांतरण की आवश्यकता केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (या उनमें से किन्हीं दो या सभी) द्वारा पूरी की जा सकती है।

32.5 . एफए 2023 के तहत, अधिनियम की धारा 72ए को भी संशोधित किया गया है ताकि रणनीतिक विनिवेश के बाद एक या एक से अधिक बैंकिंग कंपनी के किसी अन्य बैंकिंग संस्थान या कंपनी के साथ विलय के मामले में संचित घाटे और अनवशोषित मूल्यहास भत्ते को आगे ले जाने की अनुमति दी जा सके, यदि ऐसा विलय रणनीतिक विनिवेश के 5 वर्षों के भीतर होता है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

32.6 . अधिनियम की धारा 72ए में रणनीतिक विनिवेश की परिभाषा में किए गए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, अधिसूचना संख्या 35/2023 दिनांक 31-5-2023 (जीएसआर 403[ई]) के तहत, नियम 11यूएसी के उप-नियम (4) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (x) का प्रावधान किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या किसी कंपनी के किसी चल संपत्ति, जो इक्विटी शेर हो, पर लागू नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति द्वारा रणनीतिक विनिवेश के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त किया गया हो।

33. स्टार्ट-अप को आगे ले जाने और समायोजित करने में राहत

33.1 अधिनियम की धारा 79, उन कंपनियों के मामलों में घाटे को आगे ले जाने और समायोजित करने पर प्रतिबंध लगाती है, जिनमें जनता की पर्याप्त रुचि है, सिवाय उन कंपनियों के जिनमें जनता की पर्याप्त रुचि है। यह शेरधारिता में परिवर्तन होने पर आगे ले जाए गए घाटे को समायोजित करने पर रोक लगाती है। आगे ले जाए गए घाटे को तभी समायोजित किया जाता है जब कंपनी के पास कम से कम 51% शेरधारिता (पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को) पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को समान रहे, जिससे घाटा संबंधित है।

33.2 . हालाँकि, अधिनियम की धारा 80-IAC में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप के मामले में कुछ छूट प्रदान की गई है। कम से कम 51% शेरधारिता की निरंतरता की शर्त पात्र स्टार्ट-अप पर लागू नहीं होती है, यदि कंपनी के सभी शेरधारक उस वर्ष के अंतिम दिन, जिसमें हानि हुई थी, पिछले वर्ष के अंतिम दिन, जिसमें हानि समायोजित की गई थी, उन शेरों को धारण करना जारी रखते हैं।

एक अतिरिक्त शर्त यह थी कि इस छूट के अंतर्गत हानि को तभी समायोजित किया जा सकेगा, जब वह हानि कंपनी के गठन के वर्ष से प्रारम्भ होकर सात वर्ष की अवधि के दौरान हुई हो।

33.3 . सात वर्ष की इस अवधि को अधिनियम की धारा 80-आईएसी की उपधारा (2) में निहित दस वर्ष की अवधि के साथ स्पष्ट करने के लिए, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट के लिए विचार किए जाने वाले पात्र स्टार्ट-अप के नुकसान की समय अवधि को निगमन की तारीख से सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।

33.4 . इसलिए अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के प्रावधान को संशोधित किया गया ताकि पात्र स्टार्ट-अप की आगे ले जाई गई हानि को इस प्रावधान के तहत समायोजित करने पर विचार किया जा सके, यदि ऐसी हानि उस वर्ष से शुरू होने वाले दस वर्षों की अवधि के दौरान हुई हो जिसमें ऐसी कंपनी शामिल की गई थी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

34. अधिनियम की धारा 80जी से कुछ निधियों को हटाना

34.1 अधिनियम की धारा 80जी, *अन्य बातों के साथ-साथ*, दान प्राप्त करने वाली कुछ संस्थाओं और निधियों को अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया और ऐसे दान करने वाले करदाता को ऐसे दान के संबंध में स्वीकार्य कटौतियों का प्रावधान करती है।

34.2 अधिनियम की धारा 80जी की उपधारा (2) *अन्य बातों के साथ-साथ* उन निधियों की सूची प्रदान करती है, जिनमें करदाता द्वारा पिछले वर्ष में दान के रूप में दी गई राशि को दान की गई राशि के 50 प्रतिशत/100% की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।

34.3 . यह देखा गया है कि उक्त धारा में व्यक्तियों के नाम पर आधारित केवल तीन निधियाँ हैं। ऐसी निधियों को हटाने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2023 ने अधिनियम की धारा 80जी की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii), (iiic) और (iiid) को हटा दिया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

35. छूट के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तिथि का विस्तार

35.1 . वित्तीय अधिनियम, 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, निगमन के वर्ष से शुरू होने वाले दस वर्षों में से तीन लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए एक पात्र स्टार्ट-अप द्वारा पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभ के सौ प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती का प्रावधान करते हैं, जो करदाताओं के विकल्प पर इस शर्त के अधीन है कि,—

- i. उसके कारोबार का कुल कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है,
- ii. इसके पास अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र व्यवसाय का प्रमाण पत्र है, और
- iii. इसे 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले निगमित किया गया हो।

35.2 भारत में स्टार्ट-अप के विकास को और बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के लिए, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में संशोधन किया है तथा पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को 1 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

36. अधिनियम के कुछ अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाना

36.1 अधिनियम की धारा 88 के प्रावधान जीवन बीमा प्रीमियम पर छूट, भविष्य निधि में अंशदान आदि से संबंधित हैं।

36.2 उक्त धारा की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं थी, क्योंकि वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था तथा इसमें सूचीबद्ध विभिन्न लिखतों पर कटौती की अनुमति देने के लिए धारा 80सी शुरू की गई थी।

36.3 अधिनियम से अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए, वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम से धारा 88 को हटा दिया है। धारा 88 के लोप के परिणामस्वरूप, वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 88 से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों को भी हटा दिया है, जो इस प्रकार हैं:

- (मैं) धारा 10 के खंड (10डी) के दूसरे परंतुक में "या धारा 88 की उपधारा (2ए) के स्पष्टीकरण " का संदर्भ ,
- (ii) धारा 54ईए की उपधारा (3),
- (iii) धारा 54ईबी की उपधारा (3), धारा 54ईसी की उपधारा (3) का खंड (क),
- (iv) धारा 54ईडी की उपधारा (3) का खंड (क),
- (वी) धारा 80सी की उपधारा (7),
- (छठी) धारा 80सीसीसी की उपधारा (3) का खंड (क),
- (सात) धारा 80सीसीडी की उपधारा (4) के खंड (क) के अनुसार,
- (आठ) धारा 111ए की उपधारा (3),
- (9) धारा 112 की उपधारा (3)।

इसी प्रकार, धारा 87 की उपधारा (1) और (2) में, धारा 88 के संदर्भ के साथ-साथ अन्य अनावश्यक धाराओं को विद्यमान धारा 87ए के संदर्भ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

37. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण (टीपी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रदान किए गए समय को कम करना

37.1 अधिनियम की धारा 92डी में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है, उसे नियमों के नियम 10डी के तहत प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों को रखना और बनाए रखना होगा।

37.2 अधिनियम की धारा 92डी की उप-धारा (3), वित्तीय अधिनियम 2023 द्वारा इसके संशोधन से पूर्व, यह प्रावधान करती है कि कर निर्धारण अधिकारी (एओ) या आयुक्त (अपील) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के दौरान ऐसे व्यक्ति (उपर्युक्त पैरा 37.1 में उल्लिखित) से, नियम 10डी के अंतर्गत प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज, इस संबंध में जारी नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान किया गया था कि करदाता द्वारा आवेदन किए जाने पर, 30 दिनों की समयावधि को 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

37.3 यह प्रतिवेदन दिया गया कि कई मामलों में, टीपी कार्यवाहियों के लिए उपलब्ध सीमित समय के कारण, इन सूचनाओं या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय प्रदान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है, जो किसी भी स्थिति में करदाता के पास पहले से ही मौजूद हैं। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या किसी निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय अवधि को एफए 2023 के माध्यम से युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि कर अधिकारियों को प्रस्तुत सूचनाओं/दस्तावेजों की जाँच करने और लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए उचित समय मिल सके।

37.4 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 92डी की उपधारा (3) में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि,-

- (i) मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील) अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान, अधिनियम की धारा 92डी की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश किया है, इस संबंध में जारी किए गए नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर उसमें निर्दिष्ट किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है; और
- (ii) मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है, दस दिनों की अवधि को तीस दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

38. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ब्याज कटौती पर प्रतिबंध से बाहर रखना

38.1 अधिनियम की धारा 94बी, उधारकर्ता के सहयोगी उद्यम, किसी अनिवासी द्वारा जारी किए गए किसी भी ऋण के संबंध में ब्याज व्यय की कटौती पर प्रतिबंध लगाती है। यह किसी भारतीय कंपनी, या भारत में किसी विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो उधारकर्ता है। यदि ऐसा व्यक्ति ब्याज या इसी तरह के किसी अन्य प्रकार के व्यय के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक का व्यय करता है, जो "व्यवसाय या पेशे से लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में कटौती योग्य है, तो ब्याज कटौती योग्य राशि ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (EBITDA) से पहले उसकी आय के 30% तक सीमित होगी।

इस धारा का प्रावधान, ऋणदाता द्वारा जारी किए गए कुछ ऋणों को अपने दायरे में लाता है, जो ऋण लेने वाले का संबद्ध उद्यम नहीं हो सकता है।

38.2 यह धारा वित्त अधिनियम, 2017 के तहत अधिनियम में जोड़ी गई थी ताकि जी-20-ओईसीडी देशों के तत्वावधान में आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना की कार्य योजना 4 पर अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित उपायों को लागू किया जा सके, ताकि अतिरिक्त ब्याज कटौती के माध्यम से आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

38.3 इस धारा की उपधारा (3) बैंकिंग या बीमा के कारोबार में लगी कुछ कंपनियों को इसके दायरे से बाहर रखती है।

38.4 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें कहा गया कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जो बैंकों की तरह वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हुई हैं, उन्हें भी इस धारा के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे समान कार्य कर रही हैं और अब उन कार्यों के संबंध में समान विनियमों और अनुपालन के अधीन हैं।

38.5 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने एनबीएफसी के कुछ वर्ग को छूट प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 94बी की उपधारा (3) में संशोधन किया है और यह प्रावधान किया है कि अधिनियम की धारा 94बी की उपधारा (1) में निहित कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा,-

- (i) कोई भारतीय कंपनी या किसी विदेशी कंपनी का स्थायी प्रतिष्ठान जो बैंकिंग या बीमा के व्यवसाय में लगा हुआ है; या
- (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

38.6 एफए 2023 में आगे प्रावधान किया गया है कि धारा 94बी के प्रयोजनों के लिए, "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viia) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में दिया गया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

39. फेसलेस योजनाओं और ई-कार्यवाही से संबंधित निर्देशों में संशोधन

39.1 केन्द्र सरकार ने अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिसके तहत करदाता और विभाग के बीच व्यक्ति-से-व्यक्ति इंटरफेस को तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक समाप्त किया गया है, तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग और गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ टीम-आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।

39.2 अधिनियम में पेश किए गए इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, विभिन्न योजनाओं को अधिसूचित किया गया है और ई-कार्यवाही और फेसलेस योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अनुभाग	योजना
1.	135ए	ई-सत्यापन योजना, 2021
2.	245एमए	ई-विवाद समाधान योजना, 2022
3.	245आर	ई-अग्रिम विनिर्णय योजना, 2022
4.	250	फेसलेस अपील योजना, 2021
5.	274	फेसलेस पेनल्टी स्कीम, 2022

39.3 संबंधित प्रावधानों में ये संशोधन करते समय, इन सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के उद्देश्य से, निर्देश जारी करने हेतु समय-सीमाएँ भी क़ानून में शामिल की गईं। प्रत्येक प्रावधान के लिए ये समय-सीमाएँ नीचे दी गई हैं:—

क्रम सं.	अनुभाग	योजना
1.	135ए	31-3-2022
2.	245एमए	31-3-2023
3.	245आर	31-3-2023
4.	250	31-3-2022
5.	274	31-3-2022

39.4 इन योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान हेतु और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ बदलते समय के अनुसार संचालित हो सकें, इन प्रावधानों के अंतर्गत जारी निर्देशों में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, संबंधित समयावधि समाप्त होने पर निर्देशों में संशोधन या परिवर्तन करने की स्पष्ट शक्ति उपलब्ध नहीं है।

39.5 इसलिए, संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां सीमा की समाप्ति से पहले उस धारा के तहत योजना को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, अर्थात्, 31 मार्च, 2022 या 31 मार्च, 2023, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार किसी भी समय आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्देश को संशोधित कर सकती है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन धारा 135ए, 250 और 274 के लिए 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हैं। इसके अलावा, धारा 245एमए और 245आर के लिए, ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

40. रॉयल्टी/एफटीएस के कराधान के संबंध में समानता

40.1 वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत किए गए संशोधनों से पहले, गैर-निवासियों की रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के शुल्क के रूप में होने वाली आय पर अधिनियम की धारा 115ए के तहत 10% की रियायती दर से कर लगाया जाता था। हालाँकि, यह देखा गया है कि कुछ दोहरे कराधान परिहार समझौतों में ऐसी आय पर 15%, 20% या 25% की उच्च दर से कर लगाने का प्रावधान है।

40.2 चूंकि करदाता अधिक लाभकारी प्रावधान अर्थात् घरेलू अधिनियम या डीटीए के तहत प्रदान की गई दरों का विकल्प चुन सकता है, इसलिए राजस्व रिसाव की संभावना थी क्योंकि अनिवासी हमेशा 10% की कम दर पर कराधान का विकल्प चुनता है और भारत ऐसी आय पर 10% से अधिक दर पर कर लगाने में असमर्थ था, जबकि अन्य संधि साझेदार अपने देश से भारतीय निवासी को भुगतान की गई रॉयल्टी/एफटीएस पर अपने घरेलू कानून के अनुसार उच्च दर पर कर लगाने में सक्षम थे।

40.3 यह भी ध्यान देने योग्य है कि गैर-संधि देशों के अनिवासी की रॉयल्टी और एफटीएस के रूप में आय पर भी 10% की कम दर से कर लगाया जाता है।

40.4 उपरोक्त के मद्देनजर, वित्तीय अधिनियम 2023 ने तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क के कराधान की दर को 10% से बढ़ाकर 20% करने

के लिए अधिनियम की धारा 115ए में संशोधन किया है।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे तथा कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

41. नई विनिर्माण सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए 15% रियायती कर

41.1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019, *अन्य बातों के साथ-साथ*, अधिनियम में धारा 115BAB को शामिल करता है जो यह प्रावधान करता है कि 1-10-2019 को या उसके बाद स्थापित नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों, जो 31-3-2023 तक विनिर्माण या उत्पादन शुरू करती हैं और किसी भी निर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ नहीं उठाती हैं, 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं। वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा विनिर्माण या उत्पादन शुरू करने का समय 31-3-2024 तक बढ़ा दिया गया है। नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए भी 15% की समान रियायती कर व्यवस्था प्रदान करके नई विनिर्माण सहकारी समितियों और नई विनिर्माण कंपनियों के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम 2023 ने अधिनियम में एक नई धारा 115BAE को शामिल किया है जिसमें नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए भी रियायती कर व्यवस्था प्रदान की जा रही है

में। अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन धारा 115बीएडी के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अलावा, अध्याय XII के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी करदाता की कुल आय के संबंध में देय आयकर, जो भारत में निवासी सहकारी समिति है, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष के लिए, ऐसे करदाता के विकल्प पर, कुछ निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि पर पंद्रह प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी;

ii. रियायती दर के लिए शर्त यह होगी कि नई विनिर्माण सहकारी समिति की कुल आय की गणना इस प्रकार की जाए,—

(*ए*) धारा 10ए या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (*ii*ए) या धारा 33एबी या धारा 33एबीए या उपधारा (1) के उपखंड (*ii*) या उपखंड (*ii*ए) या उपखंड (*iii*) या धारा 35 की उपधारा (2ए) या धारा 35एडी या धारा 35सीसीसी या धारा 80जेजेए के प्रावधानों के अलावा अध्याय VI-ए के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी कटौती के बिना;

(*बी*) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से आगे ले जाई गई हानि या मूल्यहास को समायोजित किए बिना, यदि ऐसी हानि या मूल्यहास ऊपर पैरा *ii*(*क*) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण है; और

(*सी*) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (*ii*क) के अलावा, यदि कोई हो, मूल्यहास का दावा करके, जो निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है;

iii. *ii*(*ख*) में निर्दिष्ट हानि और मूल्यहास को पूर्ण प्रभाव दिया गया माना जाएगा और किसी भी बाद के वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चतुर्थ. रियायती दर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि व्यक्ति द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारित तरीके से विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाले आकलन वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष के लिए आयकर रिटर्न में से पहला प्रस्तुत करने के लिए है और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प बाद के आकलन वर्षों पर लागू होगा;

वी इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प वापस नहीं लिया जा सकता;

vi. करदाता की आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से न तो प्राप्त हुई है और न ही उससे आनुषंगिक है और जिसके संबंध में अध्याय-XII के अधीन कर की कोई विशिष्ट दर पृथक रूप से उपबंधित नहीं की गई है, तो ऐसी आय पर उसके बाईस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और ऐसी आय की गणना करने में किसी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा;

सातवीं. जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, जिस करदाता पर यह धारा लागू होती है, उसके और किसी अन्य व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण, या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारोबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच किया गया कारोबार करदाता को ऐसे कारोबार में उत्पन्न होने वाले सामान्य लाभ से अधिक लाभ प्रदान करता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारोबार के लाभ और अभिलाभ की गणना करते समय, लाभ की वह राशि लेगा जो उससे प्राप्त हुई समझी जाए और ऐसी आय पर तीस प्रतिशत की दर से प्रभाषित किया जाएगा;

आठवीं. यदि उपरोक्त व्यवस्था में धारा 92BA में निर्दिष्ट कोई निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन शामिल है, तो ऐसे लेनदेन से लाभ की राशि धारा 92F के खंड (*ii*) में परिभाषित आर्म्स लेंथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। यह राशि, जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित लाभ की राशि से अधिक है, करदाता की आय मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में, आय के संबंध में देय आयकर की गणना तीस प्रतिशत की दर से की जाएगी;

ix . पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के संबंध में देय आयकर, जिस पर अधिनियम के तहत कोई मूल्यहास स्वीकार्य नहीं है, की गणना बाईस प्रतिशत की दर से की जाएगी;

एक्स। जहां करदाता किसी पूर्व वर्ष में उक्त धारा के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, वहां विकल्प उस पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्षों से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के संबंध में अवैध हो जाएगा और अधिनियम के अन्य प्रावधान करदाता पर इस प्रकार लागू होंगे मानो विकल्प का प्रयोग उस पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती कर निर्धारण वर्षों से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए नहीं किया गया हो।

41.2 एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी मशीनरी या संयंत्र जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था, उसे कुछ निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर, किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के रूप में नहीं माना जाएगा।

41.3 एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग को, जो पहले किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया हो, करदाता द्वारा उपयोग में लाया जाता है और ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य करदाता द्वारा उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो रियायती दर निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर लागू होगी।

41.4 एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि करदाता किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा तथा उसके द्वारा निर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के संबंध में अनुसंधान या वितरण नहीं करेगा।

41.5 इसके अलावा, एफए 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में बिजली उत्पादन का व्यवसाय शामिल होगा, लेकिन कुछ निर्दिष्ट व्यवसाय इसमें शामिल नहीं होंगे।

41.6 इसके अलावा, एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 92बीए में एक नया खंड (वीबी) जोड़ा है, जिससे सहकारी समिति और निकट संबंध वाले अन्य व्यक्ति के बीच लेनदेन को 'निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन' के दायरे में शामिल किया जा सके।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

41.7 अधिसूचना संख्या 83/2023 दिनांक 29-9-2023 (जीएसआर 702[ई]) के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 115बीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने के विकल्प के प्रयोग की अनुमति देने के लिए नियमों में नियम 21एचए जोड़ा गया है। इसके अलावा, नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए अधिनियम की धारा 115बीई की उप-धारा (5) के अंतर्गत विकल्प के प्रयोग को सक्षम करने के लिए फॉर्म 10-आईएफए भी जारी किया गया है।

42. व्यावसायिक ट्रस्टों द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरण के माध्यम से कर से बचाव

42.1 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InVIT) [जिन्हें व्यावसायिक ट्रस्ट कहा जाता है] के लिए एक विशेष कराधान व्यवस्था शुरू की थी। यह विशेष व्यवस्था अवसंरचना में वित्तपोषण और निवेश की चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। व्यावसायिक ट्रस्ट इक्विटी या ऋण उपकरणों के माध्यम से विशेष प्रयोजन माध्यमों (SPV) में निवेश करते हैं।

42.2 व्यावसायिक संरचना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 115UA के अंतर्गत विशेष कराधान व्यवस्था, अन्य बातों के साथ-साथ , REIT और InVIT दोनों के मामले में व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यम से प्राप्त ब्याज आय, लाभांश आय और REIT के मामले में किराये की आय के संबंध में व्यावसायिक ट्रस्टों को पास-थ्रू दर्जा प्रदान करती है। ऐसी आय यूनिट धारकों के हाथों में कर योग्य होती है, जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो।

42.3 अधिनियम की धारा 115यू की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि किसी व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई कोई आय, यूनिट धारक के हाथों में उसी प्रकृति और उसी अनुपात की मानी जाएगी, जैसी वह व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त की गई थी या उसके लिए उपार्जित हुई थी।

42.4 इसके अलावा, अधिनियम की धारा 115यू की उप-धारा (3), अन्य बातों के साथ-साथ , यह प्रावधान करती है कि यदि यूनिट धारक द्वारा व्यवसाय ट्रस्ट से प्राप्त "वितरित आय" अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एफसी) या खंड (23एफसीए) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, अर्थात्, या तो आरईआईटी की किराये की आय है या एस्पपीवी से व्यवसाय ट्रस्ट द्वारा प्राप्त या प्राप्य ब्याज या लाभांश है, तो ऐसी वितरित आय या उसका भाग ऐसे यूनिट धारक की आय माना जाएगा।

42.5 कुछ मामलों में यह देखा गया है कि व्यावसायिक ट्रस्ट अपने यूनिट धारकों को राशि वितरित करते हैं जिन्हें निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (ए) दिलचस्पी;
- (बी) लाभांश;
- (सी) किराये की आय;
- (डी) ऋण की अदायगी/पूँजी में कमी।

42.6 जैसा कि ऊपर बताया गया है, ब्याज, लाभांश और किराये की आय को व्यावसायिक ट्रस्ट के स्तर पर पास-थ्रू दर्जा दिया गया है और यूनिट धारक के हाथों में कर योग्य हैं। हालाँकि, व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को किए गए वितरण, जिन्हें ऋण चुकौती/पूँजी कटौती के रूप में दर्शाया जाता है, वास्तव में यूनिट धारक की आय है जिस पर न तो व्यावसायिक ट्रस्ट और न ही यूनिट धारक के हाथों में कर लगता है।

42.7 यह ध्यान देने योग्य है कि व्यवसाय ट्रस्ट द्वारा किए गए किसी भी वितरण पर दोहरा गैर-कर निर्धारण, अर्थात् जो व्यवसाय ट्रस्ट के साथ-साथ यूनिट धारक के हाथों में छूट प्राप्त है, व्यवसाय ट्रस्टों पर लागू विशेष कराधान व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है।

42.8 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने यूनिट धारक द्वारा प्राप्त ऐसी राशि को उसके हाथों में कर योग्य बना दिया है।

एफए 2023 इसलिए-

- (मैं) किसी यूनिट के संबंध में यूनिट धारकों द्वारा व्यावसायिक ट्रस्ट से प्राप्त राशि पर कराधान का प्रावधान किया गया है, जो ब्याज, लाभांश या किराए की प्रकृति की नहीं है, और जो उस राशि से अधिक है जिसके लिए ऐसी यूनिट व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (xii) के अंतर्गत कर योग्य निर्दिष्ट राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

निर्दिष्ट योग = ABC (जो शून्य माना जाएगा यदि B और C का योग A से अधिक है), जहां—

ए = ऐसी इकाई के संबंध में व्यवसाय ट्रस्ट द्वारा पिछले वर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती पिछले वर्ष या वर्षों के दौरान, ऐसे इकाई धारक को, जो राशि के वितरण की तारीख को ऐसी इकाई रखता है या किसी अन्य इकाई धारक को, जो ऐसे वितरण की तारीख से पहले किसी भी समय ऐसी इकाई रखता है, वितरित की गई कुल राशि, जो कि,—

- (ए) धारा 10 के खंड (23एफसी) या खंड (23एफसीए) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति में नहीं; और
- (बी) धारा 115यूए की उपधारा (2) के अंतर्गत कर योग्य नहीं;
बी = वह राशि जिस पर ऐसी इकाई व्यवसाय ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी; और
किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 56(2) के खंड (xii) के अंतर्गत कर हेतु प्रभारित राशि ;
- (ii) खंड (ii) में स्पष्टीकरण 1 जोड़ा गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी व्यवसाय ट्रस्ट की इकाई के अधिग्रहण की लागत को कम किया जाएगा और ऐसी इकाई के संबंध में व्यवसाय ट्रस्ट से इकाई धारक द्वारा प्राप्त किसी भी राशि से हमेशा कम किया गया माना जाएगा, जो धारा 10 के खंड (23एफसी) या खंड (23एफसीए) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति में नहीं है और जो धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (xii) और धारा 115यूए की उप-धारा (2) के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है।
- (iii) खंड (ii) में स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए , जहां किसी इकाई के हस्तांतरण के लेन-देन को धारा 47 के तहत हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जाता है और ऐसी इकाई के अधिग्रहण की लागत धारा 49 के तहत निर्धारित की जाती है, ऐसे लेनदेन से पहले और साथ ही ऐसे लेनदेन के बाद ऐसी इकाई के संबंध में प्राप्त राशि को उक्त स्पष्टीकरण के तहत अधिग्रहण की लागत से कम किया जाएगा ;
- (iv) अधिनियम की धारा 115यूए में उपधारा (3ए) को शामिल किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उस धारा की उपधारा (1), (2) और (3) के प्रावधान अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो किसी यूनिट धारक द्वारा किसी व्यापारिक ट्रस्ट से प्राप्त की गई हो;
- (वी) उपखंड (xviii) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आय में अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि शामिल होगी।

42.9 अधिनियम की धारा 10 का खंड (23FE) किसी सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड के ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ जैसी आय पर व्यावसायिक ट्रस्ट में निवेश से छूट प्रदान करता है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट आय के लिए अधिसूचित सॉवरेन वेल्थ फंड/पेंशन फंड को भी छूट प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23FE) में परिणामी संशोधन किए गए हैं।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2024-25 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

43. तलाशी और जब्ती के दौरान अधिकृत अधिकारी को सहायता

43.1 अधिनियम की धारा 132 तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधान करती है। यह धारा तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान आयकर प्राधिकारी की शक्तियों, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करने, लेखा-बही या अन्य दस्तावेजों की जाँच, साक्ष्यों की अभिरक्षा की प्रक्रिया, अनंतिम कुर्की आदि के बारे में विस्तृत प्रावधान करती है। यह धारा तलाशी की कार्यवाही के दौरान और उसके बाद आयकर प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली समय-सीमा भी प्रदान करती है।

43.2 इस धारा में प्रावधान है कि तलाशी के दौरान, प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी की सेवाएँ ले सकता है ताकि तलाशी के दौरान की जाने वाली किसी भी कार्यवाई में उसकी सहायता की जा सके, और ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इसका पालन करे। इसी प्रकार, यह भी प्रावधान है कि प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए किसी मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित कर सकता है और ऐसा संदर्भ तलाशी के दौरान या तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है।

43.3 हाल के दिनों में, खातों के प्रबंधन और रखरखाव, डेटा के डिजिटलीकरण, क्लाउड स्टोरेज आदि सहित हर पहलू में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के बढ़ते उपयोग के कारण, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जिसमें खातों के पूर्ण और उचित विश्लेषण के लिए डेटा फॉरेंसिक, डेटा को डिकोड करने के लिए उन्नत तकनीकों आदि के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के अलावा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों या निवेशों में अघोषित आय रखने का चलन बढ़ रहा है। ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और सूचना के डिक्लिप्स के लिए अक्सर विशिष्ट डोमेन विशेषज्ञों जैसे डिजिटल फॉरेंसिक पेशेवरों, मूल्यांकनकर्ताओं, अभिलेख विशेषज्ञों आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में परिचालन की विशिष्ट प्रकृति के कारण ताला बनाने वाले, बढ़ई आदि जैसे अन्य पेशेवरों की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है।

43.4 इसलिए, इस धारा के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि तलाशी के दौरान, प्राधिकृत अधिकारी तलाशी के प्रयोजनों में सहायता के लिए, इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की सेवाएँ ले सकता है। इसी प्रकार, तलाशी के बाद की पूछताछ में, प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति या संस्था का संदर्भ दे सकता है, जो निर्धारित तरीके से संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा और ऐसे संदर्भ की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी को अनुमान की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

43.5 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है। इसके बाद, अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (2) और उप-धारा (9डी) में संशोधनों के अनुसरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमों के नियम 13 और नियम 13ए में निर्धारित की गई है, दोनों को अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 28-8-2023, (जीएसआर 630[ई]) के माध्यम से पेश किया गया है।

43.6 वित्त अधिनियम, 2021 के अधिनियमन से पहले, तलाशी के मामलों में मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 153ए में निर्धारित की गई थी और उनके पूरा होने की समय-सीमा अधिनियम की धारा 153बी में निर्धारित की गई थी। 2021 में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, तलाशी के परिणामस्वरूप मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन अब अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत किया जाता है और अधिनियम की धारा 153ए और 153बी के प्रावधान अब लागू नहीं होते हैं।

43.7 तलाशी के मामलों में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा, ऐसी प्रक्रिया के दौरान अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन से जुड़ी है, ताकि तलाशी कार्यवाही के समापन की तारीख निर्धारित की जा सके, और अंतिम प्राधिकरण क्या होगा, इसका प्रावधान अधिनियम की धारा 153बी में किया गया है। चूंकि अधिनियम की धारा 153बी के प्रावधान अब लागू नहीं हैं, इसलिए अंतिम प्राधिकरण का अर्थ और उसके निष्पादन का प्रावधान अब अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत ही किया गया है।

प्रयोज्यता: वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 132 की उप-धारा (2) और (9डी) में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 70/2023 जिसके द्वारा तलाशी के दौरान विभिन्न व्यक्तियों की सेवाओं की मांग करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, 28 अगस्त, 2023 से लागू है।

स्पष्टीकरण 1 में अंतिम प्राधिकरण का अर्थ और उसके निष्पादन को प्रदान करने वाला संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है।

44. अद्यतन रिटर्न दाखिल करते समय अग्रिम कर के संबंध में स्पष्टीकरण

44.1 वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा धारा 139 में उप-धारा (8ए) जोड़ी गई, जिससे करदाताओं को संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष तक अद्यतन रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा मिल गई, बशर्ते कि कुछ शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ अतिरिक्त कर का भुगतान भी करना पड़े। ऐसे अद्यतन रिटर्न पर अतिरिक्त कर की राशि के निर्धारण हेतु अधिनियम में धारा 140बी जोड़ी गई।

44.2 अधिनियम की धारा 140बी की उप-धारा (4) अद्यतन रिटर्न पर कर पर अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की गणना का प्रावधान करती है। उक्त उप-धारा (4) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत देय ब्याज की गणना निर्धारित कर के बराबर राशि या भुगतान किए गए अग्रिम कर की निर्धारित कर से कम राशि पर की जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि ब्याज केवल निर्धारित कर और अग्रिम कर के अंतर पर ही देय था। इसके अतिरिक्त, उक्त उप-धारा के खंड (क) के उप-खंड (i) में यह भी प्रावधान है कि पूर्व आयकर रिटर्न में दावा किए गए अग्रिम कर को उस राशि की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाना था।

44.3 इसलिए, अधिनियम की धारा 140बी की उपधारा (4) के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए, उक्त उपधारा में संशोधन किया गया है कि अधिनियम की

धारा 234बी के तहत देय ब्याज की गणना निर्धारित कर के बराबर राशि पर की जाएगी, जिसमें से अग्रिम कर की राशि घटा दी जाएगी, जिसके लिए क्रेडिट का दावा पहले रिटर्न में किया गया है, यदि कोई हो।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हो गया है।

45. इन्वेंट्री के कम मूल्यांकन के माध्यम से करों के स्थायी स्थगन को रोकना

45.1 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, करदाताओं को लेखा-बही बनाए रखना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने आय की गणना के लिए आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित किए हैं। आईसीडीएस-II इन्वेंट्री के मूल्यांकन से संबंधित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 में लागत अभिलेखों के रखरखाव और कुछ मामलों में लागत लेखाकार द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का भी प्रावधान है।

45.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची का मूल्यांकन कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, एफए 2023 के अनुसार, मूल्यांकन से पहले जांच से संबंधित अधिनियम की धारा 142 को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है: -

- (i) मूल्यांकन अधिकारी को यह निर्देश देने में सक्षम बनाना कि वह करदाता को प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस संबंध में नामित लागत लेखाकार द्वारा इन्वेंट्री का मूल्यांकन करवाने का निर्देश दे। इसके बाद करदाता को निर्धारित प्रपत्र में इन्वेंट्री मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो ऐसे लागत लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित हो और जिसमें निर्धारित विवरण और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण शामिल हों।
- (ii) यह प्रावधान करना कि ऐसे इन्वेंट्री मूल्यांकन के व्यय और उससे संबंधित व्यय (लागत लेखाकार के पारिश्रमिक सहित) का निर्धारण प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित व्यय का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- (iii) यह प्रावधान करना कि जहां अधिनियम की धारा 144 के तहत मूल्यांकन किया गया है, को छोड़कर, करदाता को ऐसी सूची मूल्यांकन के आधार पर एकत्रित किसी भी सामग्री के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिसका मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
- (iv) "लागत लेखाकार" को लागत और निर्माण लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार के रूप में परिभाषित करने के लिए और जो उस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत व्यवसाय का वैध प्रमाण पत्र रखता है।

45.3 इसके अलावा, एफए 2023 के तहत, निम्नलिखित परिणामी संशोधन भी किए गए:-

- (i) स्पष्टीकरण 1 में संशोधन, ताकि समय सीमा की गणना के प्रयोजनों के लिए लागत लेखाकार के माध्यम से इन्वेंट्री मूल्यांकन की अवधि को बाहर रखा जा सके।
- (ii) अधिनियम की धारा 295 में संशोधन, ताकि उपरोक्त धारा में सूची मूल्यांकन की रिपोर्ट के प्रारूप तथा ऐसी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विवरणों के लिए नियम बनाने की शक्ति सम्मिलित की जा सके।

प्रयोज्यता: अधिनियम की धारा 142 और 153 में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे। अधिनियम की धारा 295 में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

45.4 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एफ. सं. 370142/29/2023-टीपीएल दिनांक 16 अगस्त 2023 के माध्यम से जारी संचार के माध्यम से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2ए) के खंड (ii) के तहत इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट वाले प्रारूप फॉर्म पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। अधिसूचना संख्या 82/2023 दिनांक 27-9-2023 (जीएसआर 697[ई]) के तहत नियमों के नियम 14ए और 14बी में संशोधन किया गया है और फॉर्म संख्या 6डी को अधिनियम की धारा 142(2ए) के खंड (ii) के तहत इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है।

46. पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से संबंधित प्रावधान

46.1 वित्त अधिनियम, 2021 ने 1 अप्रैल, 2021 से अधिनियम में आय के आकलन या पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में संशोधन किया। उक्त संशोधन ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 147, धारा 148, धारा 149 को संशोधित किया और अधिनियम में एक नई धारा 148ए भी शुरू की। ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या अधिनियम की धारा 132ए के तहत खाता बही, अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति मांगी जाती है, अब उस वर्ष से पहले के सभी प्रासंगिक वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 147 के तहत आकलन या पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जिसमें वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा निर्दिष्ट तिथि के बाद तलाशी ली गई थी या अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत किए गए संशोधनों द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया।

46.2 अधिनियम के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं ताकि उन्हें और अधिक सुव्यवस्थित किया जा

सके और निर्बाध तरीके से उनका संचालन और समापन किया जा सके। अधिनियम की धारा 148 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के जवाब में रिटर्न उस महीने के अंत से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें ऐसा नोटिस जारी किया गया है, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि करदाता द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत किया जा सकता है। हालाँकि, आयकर की ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए धारा 148 में अनुमत अवधि से परे प्रस्तुत किया गया कोई भी रिटर्न अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत रिटर्न नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप, परिणामी आवश्यकताएं जैसे धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस आदि ऐसे रिटर्न के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

46.3 इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 149, अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय-सीमा प्रदान करती है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी कार्रवाई के मामले में, अधिनियम की धारा 132ए के अंतर्गत अध्यक्षण और ऐसे मामले जिनकी जानकारी उपरोक्त कार्यवाही से प्राप्त होती है, अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत सूचना मानी जाती है और इन मामलों में मामलों को पुनः खोलने से पहले अधिनियम की धारा 148ए के अंतर्गत कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

46.4 ऐसे मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 133ए के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है, वहाँ यह माना जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 148 के प्रयोजनों के लिए जानकारी है, लेकिन अधिनियम की धारा 148ए के अंतर्गत कार्यवाही, अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पहले की जानी आवश्यक है। यह देखा गया है कि जिन मामलों में उपर्युक्त तलाशी, अधिग्रहण या सर्वेक्षण की कार्यवाही किसी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के बाद की जाती है, वहाँ इस जानकारी को एकत्रित करने और अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बहुत कम समय होता है। इसके अलावा, तलाशी जाँच शाखा द्वारा की जाती है और नोटिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है।

46.5 हालाँकि, 31 मार्च से पहले ऐसी कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए बयानों या जब्त या जब्त किए गए दस्तावेजों आदि में कर चोरी के सबूत प्रतिबिंबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी या तलाशी से संबंधित नोटिस जारी करना शामिल प्रक्रिया के कारण प्रदान की गई समय सीमा से परे हो सकता है। इसलिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में की गई तलाशी और इन तलाशियों के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी के लिए समय की कमी के कारण राजस्व रिसाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तदनुसार, धारा 149 में एक प्रावधान डाला गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे मामलों में जहाँ धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या ऐसी तलाशी जिसके लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया जाता है या धारा 132ए के तहत मांग की जाती है, किसी भी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के बाद, धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के प्रयोजन के लिए पंद्रह दिनों की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

46.6 अधिनियम की धारा 149 में एक और प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे मामलों में, जहाँ कर निर्धारण अधिकारी के पास मौजूद मानी जाने वाली सूचना, किसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को या उससे पहले, अधिनियम की धारा 132 के तहत शुरू की गई तलाशी या उसके बाद के प्राधिकार या अधिनियम की धारा 132ए के तहत की गई मांग के परिणामस्वरूप दर्ज किए गए बयान या जब्त किए गए दस्तावेजों से प्राप्त होती है, ऐसे वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए सीमा अवधि की गणना करने के प्रयोजन के लिए पंद्रह दिनों की अवधि को छोड़ दिया जाएगा और ऐसे मामले में अधिनियम की धारा 148ए के खंड (बी) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस ऐसे वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को जारी किया गया माना जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि तलाशी या तलाशी के परिणामस्वरूप ज़बती या बयान दर्ज करना 31 मार्च से पहले ही होना चाहिए। अधिनियम की धारा 148 या 148ए के तहत, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के लिए केवल विस्तार का प्रावधान किया गया है।

46.7 अधिनियम की धारा 151 में उस निर्दिष्ट प्राधिकारी से संबंधित प्रावधान हैं जो अधिनियम की धारा 148 और 148ए के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है। उक्त धारा में प्रावधान है कि यह प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त होगा और जहाँ कोई प्रधान मुख्य आयुक्त नहीं है, वहाँ मुख्य आयुक्त तीन वर्ष की अवधि से आगे के अनुमोदन प्रदान करेगा।

46.8 यह देखा गया कि उक्त धारा के खंड (ii) के कारण उन मामलों के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में गलत व्याख्या और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जहाँ संबंधित निर्धारण वर्ष से तीन वर्ष बाद पुनः खोला जा रहा था। अतः, इस संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, एक संशोधन किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 151 के खंड (ii) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होंगे।

46.9 साथ ही, निर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए, अधिनियम की धारा 151 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए तीन वर्ष की अवधि की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा से अधिनियम की धारा 149 में प्रावधानों के अनुसार निकाली गई या बढ़ाई गई अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

47. अधिनियम की धारा 153 के तहत समयसीमा प्रावधानों का संरेखण

47.1 अधिनियम की धारा 153, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के पूरा होने की समय-सीमा प्रदान करती है। उक्त धारा की उप-धारा (1) अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश के लिए समय-सीमा उस मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से 21 महीने निर्धारित करती है जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी। तत्पश्चात्, आगामी वित्त अधिनियमों के तहत, 21 महीने की इस समयावधि को उस मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से घटाकर 9 महीने कर दिया गया जिसमें आय पहली बार मूल्यांकन योग्य थी, निर्धारण वर्ष 2021-22 और बाद के निर्धारण वर्षों के लिए। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अधिनियम की धारा 153 में उप-धारा (1ए) डाली गई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि ऐसे मामले में जहां अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (8ए) के तहत एक अद्यतन रिटर्न किसी करदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें ऐसा रिटर्न प्रस्तुत किया गया था।

47.2 इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के तहत संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 3 महीने के भीतर करदाता को नोटिस दिया जा सकता है। इससे कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण के लिए 6 महीने का समय मिल जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच करना, करदाताओं को सुनवाई का अवसर देना, मामले से संबंधित कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर लाना, विभिन्न कानूनी मामलों की न्यायिक स्थिति का विश्लेषण करना आदि शामिल है। इसके अलावा, फेसलेस कर निर्धारण में कर निर्धारण के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग इकाइयों द्वारा किया जाता है, जैसे कर निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और समीक्षा इकाई। इसलिए, प्रत्येक जांच कर निर्धारण में विभिन्न इकाइयों के बीच काफी समन्वय की आवश्यकता होती है और तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के लिए पर्याप्त समय आवश्यक है।

47.3 हालांकि, मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छह महीने की अवधि कम है। परिणामस्वरूप, करदाताओं को खुद को समझाने या अपने पक्ष में सबूत प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने की शिकायत हो सकती है। यह आदेशों की तर्कसंगतता के साथ-साथ करदाताओं को प्राकृतिक न्याय प्रदान करने से भी समझौता कर सकता है। इसलिए, एफए 2023 द्वारा अधिनियम की धारा 153 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष से संबंधित कर निर्धारण पूरा करने के लिए उपलब्ध समय उस कर निर्धारण वर्ष के अंत से बारह महीने होगा जिसमें आय पहली बार कर योग्य थी। उपरोक्त के अनुरूप, अद्यतन रिटर्न के मामले में कर निर्धारण कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपलब्ध समय को भी उस वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने तक बढ़ा दिया गया है जिसमें ऐसा रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है।

47.4 इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अधिनियम की धारा 263 में संशोधन किया गया ताकि प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त भी उक्त धारा के तहत संशोधन का आदेश पारित कर सकें। हालांकि, ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 92CA के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या आदेश पारित करने के लिए उप-धारा (3), (5) और (6) के तहत अधिनियम की धारा 153 में प्रदान की गई समय-सीमा प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को संदर्भित नहीं करती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 153 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त उप-धारा (3), (5) और (6) के प्रावधान, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 263 या धारा 264 के तहत पारित आदेश पर भी लागू होंगे।

47.5 यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि वित्त अधिनियम, 2021 से पहले ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या अधिनियम की धारा 132ए के तहत खाता बही, अन्य दस्तावेज या कोई संपत्ति मांगी जाती है, ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 153ए, 153बी और 153सी के विशेष प्रावधानों के अनुसार करदाता या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में मूल्यांकन किया जाता था, जो विशेष रूप से ऐसे मामलों से निपटते हैं। अधिनियम की धारा 153ए में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 153ए में दिए गए छह कर निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष से संबंधित कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, और अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या अधिनियम की धारा 132ए के तहत कर अधिग्रहण करने की तिथि पर लंबित प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, जैसा भी मामला हो, उपशमित हो जाएगा। अधिनियम की धारा 153ए के प्रावधानों के तहत बाद में जांच की कार्यवाही पुनः शुरू की जाएगी, ताकि तलाशी अभियान के बाद आय का सही आकलन तलाशी के परिणामस्वरूप उपलब्ध सूचना के आधार पर तार्किक रूप से किया जा सके।

47.6 वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अधिनियम की धारा 147 और पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों से संबंधित अन्य प्रावधानों में संशोधन किया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि तलाशी मूल्यांकन अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। हालांकि, पुनर्मूल्यांकन से संबंधित अधिनियम के वर्तमान प्रावधान, अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी की तिथि पर लंबित किसी भी मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही या अधिनियम की धारा 132ए के अंतर्गत अधिग्रहण को कम करने या पुनर्जीवित करने का प्रावधान नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, तलाशी में उपलब्ध जानकारी, जिसका लंबित संवीक्षा कार्यवाहियों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी कार्यवाहियों की सीमाओं के कारण प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं की जा सकती है।

47.7 इसके अलावा, भले ही संबंधित तलाशी मामले में अंतिम प्राधिकरणों को निष्पादित किया गया हो, जब्त की गई सामग्री इत्यादि ऐसी सामग्री और डेटा के पूर्व-मूल्यांकन प्रसंस्करण के कारण कुछ समय बाद ही मूल्यांकन अधिकारी को हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा, मूल्यांकन अधिकारी को तलाशी या

अधिग्रहण कार्यवाही के परिणामस्वरूप करदाता की आय की गणना करने के लिए जांच करने और सबूत इकट्ठा करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि मूल्यांकन अधिकारी को जब्त सामग्री और की गई जांच के आधार पर मामले की उचित जांच करने की अनुमति मिल सके और अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी या अधिनियम की धारा 132 ए के तहत अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जांच के तहत सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के पूरा होने की सीमा की तारीखों को संरक्षित किया जा सके।

47.8 इसलिए, अधिनियम की धारा 153 में एक नई उप-धारा (3ए) जोड़ी गई है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने या अधिनियम की धारा 132ए के तहत अधिग्रहण करने की तिथि पर मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन लंबित है, वहां उक्त धारा की उप-धारा (1), (1ए), (2) और (3) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन पूरा करने के लिए उपलब्ध अवधि, जैसा भी मामला हो, उस करदाता के मामले में बारह महीने तक बढ़ाई जाएगी जहां ऐसी तलाशी अधिनियम की धारा 132 के तहत शुरू की गई है या ऐसी अधिग्रहण अधिनियम की धारा 132ए के तहत किया गया है या ऐसे करदाता के मामले में जिसका कोई धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जब्त या अधिग्रहित की गई है या ऐसे करदाता के मामले में जिससे जब्त या अधिग्रहित कोई खाता बही या दस्तावेज संबंधित है या उसमें निहित कोई जानकारी संबंधित है।

47.9 इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अधिनियम की धारा 153 की उप-धारा (1ए) को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उप-धारा (1ए) का संदर्भ उप-धारा (3), (4), (6) के साथ-साथ धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के पहले परंतुक में भी डाला गया है।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे

48. चीनी सहकारी समितियों को पिछली मांग से राहत

48.1 भारत के कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्रों में कार्यरत चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों को अंतिम राशि का भुगतान करती हैं, जिसे प्रायः अंतिम गन्ना मूल्य (एफसीपी) कहा जाता है, जो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के अतिरिक्त होता है। एफसीपी का निर्णय विशेष कारखाने के कार्य परिणामों के आधार पर किया जाता है, जिसमें कारखाने द्वारा अर्जित सभी राजस्व और व्यय को ध्यान में रखा जाता है।

48.2 सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए एसएमपी के अतिरिक्त एफसीपी का भुगतान करने के परिणामस्वरूप कर संबंधी मुकदमेबाजी हुई। सहकारी चीनी मिलों ने इस अतिरिक्त भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा किया था, जबकि मूल्यांकन में इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि एसएमपी के अतिरिक्त गन्ने की खरीद के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त कीमत लाभ के विनियोग/वितरण की प्रकृति की है और इसलिए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

48.3 इस मामले में निश्चितता प्रदान करने और चीनी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में संशोधन करने हेतु एक नया खंड (*xvii*) जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि चीनी के निर्माण में लगी सहकारी समितियों द्वारा सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से निर्धारित मूल्य के बराबर या उससे कम कीमत पर गन्ने की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि को चीनी सहकारी कारखानों की व्यावसायिक आय की गणना के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। उक्त संशोधन 1-4-2016 को लागू हुआ और निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू था। 2016-17 से पहले के निर्धारण वर्षों के संबंध में लंबित मांगें और मुकदमेबाजी अभी भी जारी हैं।

48.4 अतः, मामले को तार्किक रूप से समाप्त करने और उपर्युक्त राहत का लाभ सभी लागू वर्षों तक विस्तारित करने के लिए, अधिनियम की धारा 155 में एक नई उप-धारा (19) जोड़कर संशोधन किया गया है। यह प्रावधान करता है कि किसी चीनी मिल सहकारी समिति के मामले में, जहाँ किसी करदाता द्वारा गन्ने की खरीद पर किए गए किसी व्यय के संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और ऐसी कटौती को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, वहाँ कर निर्धारण अधिकारी, ऐसे करदाता द्वारा इस संबंध में किए गए एक साधारण आवेदन के आधार पर, ऐसे करदाता की ऐसे पिछले वर्ष की कुल आय की पुनर्गणना करेगा। कर निर्धारण अधिकारी उस सीमा तक कटौती की अनुमति देगा जहाँ ऐसा व्यय उस मूल्य पर किया गया हो जो उस पिछले वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य के बराबर या उससे कम हो। इसके अलावा, धारा 154 के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, उस पर लागू होंगे, और धारा 154 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना 1 अप्रैल, 2022 को शुरू होने वाले पिछले वर्ष के अंत से की जाएगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

48.5 तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 155(19) के अंतर्गत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को आवेदन दाखिल करने के तरीके को मानकीकृत करने और उक्त धारा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए, सीबीडीटी परिपत्र 14/2023 दिनांक 27-7-2023 (एफ. सं. 370133/8/2023-टीपीएल) के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

49. पिछले वर्ष की आयकर विवरणी में पहले से ही प्रकट की गई आय पर टीडीएस क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना

49.1 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कई मामलों में, कर कटौतीकर्ता द्वारा उस वर्ष में काटा जाता है जिसमें आय वास्तव में करदाता को भुगतान की जाती है। हालांकि, उपार्जन विधि का पालन करने पर, करदाता ने पहले के वर्षों में अपने आयकर रिटर्न में इस आय का खुलासा कर दिया होगा। इसके परिणामस्वरूप

टीडीएस बेमेल हो गया, क्योंकि संबंधित आय पहले के वर्षों में करदाता द्वारा कर के लिए पहले ही प्रस्तावित की जा चुकी थी, हालांकि, टीडीएस बहुत बाद में काटा जा रहा है जब वास्तविक भुगतान किया जा रहा है। करदाता उस वर्ष में टीडीएस के क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता है जिसमें कर काटा जाता है क्योंकि उस वर्ष आय पर कर नहीं लगाया जाता है। पिछले वर्ष के रिटर्न को संशोधित करना भी संभव नहीं था जिसमें संबंधित आय शामिल थी क्योंकि उस वर्ष के लिए आयकर रिटर्न को संशोधित करने का समय समाप्त हो गया होगा। इसके परिणामस्वरूप करदाता को टीडीएस के क्रेडिट का दावा करने में कठिनाई हुई।

49.2 इस कठिनाई को दूर करने के लिए, एफए 2023 के तहत, अधिनियम की धारा 155 में एक नई उप-धारा (20) डाली गई है। यह नई उप-धारा तब लागू होती है जब किसी कर निर्धारण वर्ष (जिसे आगे "प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष" कहा जाएगा) के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत किसी करदाता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न में कोई आय शामिल की गई हो और ऐसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती की गई हो और बाद के वित्तीय वर्ष में अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के खाते में भुगतान किया गया हो। ऐसे मामले में करदाता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है जिसमें स्रोत पर कर की कटौती की गई थी। फिर कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण आदेश या प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष में स्रोत पर कर कटौती की अनुमति देने वाली किसी भी सूचना में संशोधन करेगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 154 के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, इस पर लागू होंगे और उस धारा की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि उस वित्तीय वर्ष के अंत से मानी जाएगी जिसमें ऐसा कर काटा गया है। इसके अतिरिक्त, स्रोत पर काटे गए ऐसे कर का क्रेडिट किसी अन्य निर्धारण वर्ष में नहीं दिया जाएगा।

49.3 अधिनियम की धारा 244ए में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उपरोक्त सुधार से उत्पन्न होने वाले रिफंड पर ब्याज आवेदन की तारीख से लेकर रिफंड प्रदान किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए होगा।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे।

49.4 अधिसूचना 73/2023 दिनांक 30-8-2023 (जीएसआर 637[ई]) के तहत, नियम 134 को नियमों में शामिल किया गया है और स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट के संबंध में अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (20) के तहत आवेदन के लिए फॉर्म संख्या 71 निर्धारित किया गया है।

50. व्यवसाय पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान

50.1 वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अधिनियम की धारा 170ए को शामिल किया गया ताकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न्यायाधिकरण या न्यायालय या न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए व्यवसाय पुनर्गठन के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान किया जा सके।

50.2 इस धारा में प्रावधान किया गया है कि व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में, जहाँ उत्तराधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है, ऐसा उत्तराधिकारी उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर, जिसमें व्यवसाय पुनर्गठन का ऐसा आदेश जारी किया गया था, उक्त आदेश के अनुसार और उसी तक सीमित, संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करेगा। परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा दिनांक 19-9-2022 की अधिसूचना संख्या 110/2022 के माध्यम से नियम 12AD को अधिसूचित किया गया है, जिसमें कंपनियों द्वारा ऐसे संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने के प्रारूप और तरीके का निर्धारण किया गया है।

50.3 व्यावसायिक पुनर्गठन और कॉर्पोरेट पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं। प्रावधानों की बहुलता को देखते हुए, पिछले वर्ष अधिनियम में धारा 170ए के शामिल किए जाने के बाद से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। ये मुद्दे उन संस्थाओं से संबंधित हैं जिन्होंने संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए पहले ही रिटर्न दाखिल कर दिया है, कर निर्धारण अधिकारी (एओ) पर कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित करने या संशोधित करने का दायित्व, संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता आदि। किसी भी अनपेक्षित मुकदमेबाजी से बचने के लिए, इसे स्पष्ट करने हेतु कानून में संशोधन किया गया है।

50.4 तदनुसार, अधिनियम की धारा 170ए को संशोधित किया गया है और इसके स्थान पर यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 139 में किसी बात के होते हुए भी, व्यवसाय पुनर्गठन के मामले में, जहां न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय या दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में परिभाषित न्यायाधिकरण के आदेश की तिथि से पहले, किसी ऐसे निकाय द्वारा, जिस पर ऐसा आदेश लागू होता है, पिछले वर्ष से संबंधित किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय का कोई रिटर्न प्रस्तुत किया गया है, तो उत्तराधिकारी, उक्त आदेश जारी किए जाने के महीने की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर, निर्धारित रूप और तरीके से, उक्त आदेश के अनुसार और उसी तक सीमित, संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इससे आवश्यकतानुसार पूर्ववर्ती द्वारा दाखिल रिटर्न में भी संशोधन किया जा सकेगा।

50.5 उत्तराधिकारी संस्था द्वारा संशोधित रिटर्न प्रस्तुत किए जाने के बाद मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि, यदि उप-धारा (1) के तहत संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि पर संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी हो गई है, तो मूल्यांकन अधिकारी व्यवसाय पुनर्गठन के आदेश के अनुसार संबंधित मूल्यांकन वर्ष की कुल आय को संशोधित करने और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधित रिटर्न को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित करेगा। जहां उप-धारा (1) के तहत संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि पर संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही लंबित है, वहां मूल्यांकन अधिकारी व्यवसाय पुनर्गठन के आदेश के अनुसार संबंधित मूल्यांकन वर्ष की कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधित रिटर्न को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित करेगा।

50.6 ऐसे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए, अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे और कर ऐसे मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू दर पर प्रभावी होगा।

50.7 इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शब्दों को भी परिभाषित किया गया है:

- (i) " व्यापार पुनर्गठन " से तात्पर्य व्यवसाय के पुनर्गठन से है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के व्यवसाय का सम्मेलन या विभाजन या विलय शामिल है;
- (ii) "उत्तराधिकारी" से तात्पर्य व्यवसाय पुनर्गठन में सभी परिणामी कंपनियों से है , चाहे वह कंपनी ऐसे व्यवसाय पुनर्गठन से पहले अस्तित्व में थी या नहीं ।

प्रयोज्यता : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

51. किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि के भुगतान पर टीडीएस

51.1 अधिनियम की धारा 192ए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी को देय संचित शेष राशि के भुगतान पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 192ए के मौजूदा प्रावधानों में, *अन्य बातों के साथ-साथ* , कर्मचारी को देय एकमुश्त भुगतान के कर योग्य घटक पर 10% की दर से कर कटौती का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जहाँ ऐसे भुगतान की राशि या आदाता को ऐसे भुगतान की कुल राशि पचास हजार रुपये से कम है, वहाँ कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

51.2 एफए 2023 से पहले, अधिनियम की धारा 192ए के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी राशि को प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर कर कटौती योग्य है, उसे ऐसे कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी।

51.3 यह देखा गया है कि कई कम वेतन वाले कर्मचारियों के पास पैन नहीं है, इसलिए धारा 192ए के तहत उनके मामलों में अधिकतम सीमांत दर पर टीडीएस काटा जा रहा है। इसलिए, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 192ए के दूसरे प्रावधान को हटा दिया गया है, ताकि व्यक्ति द्वारा देय संचित शेष राशि के भुगतान से संबंधित पैन प्रस्तुत न करने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 206ए के अनुसार अन्य गैर-पैन मामलों की तरह, अधिकतम सीमांत दर के बजाय 20% की दर से कर काटा जाएगा।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

52. किसी निवासी को सूचीबद्ध डिबेंचर पर ब्याज के भुगतान पर टीडीएस से छूट हटाना

52.1 अधिनियम की धारा 193 में प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी निवासी को किसी भी आय के भुगतान पर टीडीएस का प्रावधान है।

52.2 अधिनियम की धारा 193 का परंतुक कुछ प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में टीडीएस से छूट प्रदान करता है। एफए 2023 से पहले, उपरोक्त धारा के परंतुक के खंड (ix) में यह प्रावधान था कि किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर देय किसी भी ब्याज के मामले में कोई कर नहीं काटा जाएगा, जहाँ ऐसी प्रतिभूति डीमैट रूप में हो और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो।

52.3 यह देखा गया कि उपरोक्त टीडीएस छूट के कारण प्राप्तकर्ता द्वारा ब्याज आय की कम रिपोर्टिंग की गई थी। इसलिए इस छूट को हटाने की आवश्यकता थी।

52.4 इसके अतिरिक्त, किसी विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा किसी प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी व्यापारिक ट्रस्ट को देय किसी ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से छूट देना भी आवश्यक था, जो अन्यथा व्यापारिक ट्रस्ट के हाथों में कर योग्य नहीं है।

52.5 तदनुसार , एफए 2023 के तहत , अधिनियम की धारा 193 के प्रावधान के खंड (ix) को सूचीबद्ध डिबेंचर पर ब्याज के लिए छूट को हटाने और अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एफसी) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा भुगतान की गई किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में "व्यासायिक ट्रस्ट" को देय किसी भी ब्याज के संबंध में टीडीएस से छूट प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

53. ऑनलाइन गेम से शुद्ध जीत पर टीडीएस और कर-देयता

53.1 अधिनियम की धारा 194बी में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम या किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में दस हजार रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान के समय, लागू दरों पर उस पर आयकर काट लेगा।

53.2 अधिनियम की धारा 194बीबी किसी भी रेस कोर्स में घुड़दौड़ के लिए या किसी भी रेस कोर्स में दांव लगाने या सट्टेबाजी की व्यवस्था करने के लिए स्रोत पर कर कटौती के समान प्रावधान प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 115बीबी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दौड़, ताश के खेल और किसी भी

प्रकार के अन्य खेलों या किसी भी रूप या प्रकृति के जुए या सट्टेबाजी से जीत पर कर की दर का प्रावधान करती है।

53.3 यह देखा गया कि कटौतीकर्ता अधिनियम की धारा 194बी और 194बीबी के तहत प्रति लेनदेन 10,000 रुपये की सीमा लागू करके कर काट रहे थे और जीत को 10,000 रुपये से कम के कई लेनदेन में विभाजित करके कर कटौती से बच रहे थे। इसे विधानमंडल की मंशा के विरुद्ध माना गया।

53.4 यह भी देखा गया कि हाल के दिनों में ऑनलाइन गेम्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑनलाइन गेम्स की प्रकृति अलग होने, इंटरनेट और कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होने और खेलने व भुगतान के विविध विकल्पों के कारण, ऑनलाइन गेम्स पर टीडीएस और कर-देयता के संबंध में विशिष्ट प्रावधान लाने की आवश्यकता थी।

53.5 तदनुसार, एफए 2023:- -

- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि पर होगी ;
- (ii) अधिनियम की धारा 194बी में संशोधन कर इसके दायरे में "किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी" को शामिल किया गया;
- (iii) अधिनियम की धारा 194बी में संशोधन किया गया है ताकि 1 अप्रैल, 2023 से ऑनलाइन गेम को उक्त धारा के दायरे से बाहर रखा जा सके, क्योंकि उस तारीख से ऑनलाइन गेम से जीत पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक नई धारा 194बीए शुरू की गई थी;
- (iv) अधिनियम में एक नई धारा 194BA जोड़ी गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते में जमा शुद्ध जीत पर स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान किया जा सके। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता खाते से निकासी की जाती है, तो ऐसी निकासी के समय उस निकासी में शामिल शुद्ध जीत पर आयकर की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगकर्ता खाते में जमा शुद्ध जीत की शेष राशि पर भी आयकर की कटौती की जाएगी।
- (वी) धारा 194BA में प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले में जहां शुद्ध जीत पूरी तरह से वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में है, लेकिन नकद में हिस्सा पूरी शुद्ध जीत के संबंध में कर की कटौती की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जीत जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि शुद्ध जीत के संबंध में कर का भुगतान किया गया है;
- (छठी) बशर्ते कि यदि नई धारा 194BA के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी कर सकता है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दिशानिर्देश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे, और आयकर अधिकारियों और ऑनलाइन गेम से जीत के माध्यम से किसी भी आय पर आयकर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे। तदनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 22 मई 2023 को परिपत्र संख्या 5/2023 जारी किया है जो "शुद्ध जीत" पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करता है;
- (सात) धारा 194BA में "कंप्यूटर संसाधन", "इंटरनेट", "ऑनलाइन गेम", "ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ", "उपयोगकर्ता", "उपयोगकर्ता खाता" की परिभाषा प्रदान की गई;
- (आठ) अधिनियम की धारा 115बीबी में संशोधन किया गया है ताकि मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम से जीत से प्राप्त आय को उक्त धारा के दायरे से बाहर रखा जा सके, क्योंकि धारा 115बीबीजे को उस मूल्यांकन वर्ष से ऑनलाइन गेम से जीत पर कर लगाने के लिए पेश किया गया था;
- (9) करदाता की कुल आय में किसी ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में कोई आय शामिल है, वहां देय आयकर निम्नलिखित का कुल योग होगा-
 - पिछले वर्ष के दौरान ऐसे ऑनलाइन खेलों से प्राप्त शुद्ध जीत पर निर्धारित तरीके से गणना की गई आयकर की राशि, तीस प्रतिशत की दर से; और
 - आयकर की वह राशि जो करदाता पर लागू होती यदि उसकी कुल आय को ऊपर उल्लिखित शुद्ध जीत से घटा दिया जाता;
- (एक्स) धारा 115बीबीजे में "कंप्यूटर संसाधन", "इंटरनेट" और "ऑनलाइन गेम" की परिभाषा प्रदान की गई।
- (एक्स) उपखंड (ii) में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि धारा 194बीए के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, किसी (मैं) निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में "प्रचलित दर या दरें" या "प्रचलित दरें" से संबंधित वर्ष के वित्त अधिनियम में इस संबंध में निर्दिष्ट आयकर की दरें अभिप्रेत हैं।

प्रयोज्यता: अधिनियम की धारा 194बी, धारा 194बीबी के लिए संशोधन और धारा 194बीए का सम्मिलन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गया है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (37ए) के उप-खंड (ii) में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गया है। अधिनियम की धारा 115बीबी के लिए संशोधन

और अधिनियम में धारा 115बीबीजे का सम्मिलन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार आकलन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होगा।

53.6 . केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 28/2023 दिनांक 22-5-2023 (जीएसआर 379[ई]) के माध्यम से नियमों में नियम 133 भी निर्धारित किया है, जो अधिनियम की धारा 194बीए के अंतर्गत "शुद्ध जीत" की गणना का सूत्र निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 194बीए के प्रयोजनों हेतु करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 22 मई 2023 का परिपत्र संख्या 5/2023 भी जारी किया गया है।

54. अधिनियम की धारा 194एलसी के तहत ब्याज पर रियायती कराधान दर

54.1 अधिनियम की धारा 194एलसी में किसी निर्दिष्ट कंपनी या व्यवसाय ट्रस्ट से किसी अनिवासी को भुगतान की गई ब्याज आय पर 5% की रियायती दर पर कर कटौती का प्रावधान है, जो भारत के बाहर किसी स्रोत से उधार ली गई धनराशि पर लागू होती है,

- (i) 1-7-2012 को या उसके बाद लेकिन 01-7-2023 से पहले किसी भी समय ऋण समझौता (उधार) ;
- (ii) 1-7-2012 को या उसके बाद लेकिन 1-10-2014 से पहले किसी भी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बांड (विदेशी मुद्रा में) जारी करना;
- (iii) 1-10-2014 को या उसके बाद लेकिन 1-7-2023 से पहले किसी भी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बांड (विदेशी मुद्रा में) सहित दीर्घकालिक बांड जारी करना;
- (iv) 1-7-2023 से पहले रुपया मूल्यवर्ग बांड जारी करना।

54.2 इसके अलावा, जहां 1-4-2020 को या उसके बाद लेकिन 1-7-2023 से पहले किसी भी समय किसी भी दीर्घकालिक बांड या रुपया मूल्यवर्ग बांड के जारी करने के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्रोत से धन उधार लिया जाता है, जो केवल आईएफएससी में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है, किसी अनिवासी को भुगतान की गई ब्याज आय पर कर की रियायती दर 4% है।

54.3 एफए 2023 ने अधिनियम की धारा 194एलसी में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद किसी दीर्घकालिक बांड या रुपया मूल्यवर्गित बांड जारी करने के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी निर्दिष्ट कंपनी या व्यवसाय ट्रस्ट द्वारा उधार ली गई धनराशि पर किसी अनिवासी को भुगतान किए गए ब्याज आय के संबंध में कर कटौती, जो केवल एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, 9% की रियायती दर पर होगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी है।

55. सहकारी समितियों के लिए टीडीएस के बिना नकद निकासी की सीमा बढ़ाना

55.1 अधिनियम की धारा 194एन में प्रावधान है कि बैंकिंग व्यवसाय में लगी कोई बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या डाकघर, जो किसी व्यक्ति (जिसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है) को कोई राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद भुगतान करते समय, उस राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि आयकर के रूप में काटेगा। वित्तीय अधिनियम 2023 से पहले, कर कटौती की आवश्यकता केवल तभी लागू होती थी जब वर्ष के दौरान नकद भुगतान या कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक होती थी, जिसमें सहकारी समितियाँ भी शामिल थीं।

55.2 गैर-फाइलरों के लिए अलग प्रावधान हैं, जहां प्राप्तकर्ता जो गैर-फाइलर है, के मामले में, वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 20 लाख रुपये से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं की राशि पर 2% की दर से कर काटा जाना था और वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर 5% की दर से कर काटा जाना था।

55.3 गैर-फाइलर का अर्थ है वह प्राप्तकर्ता जिसने उस पिछले वर्ष से ठीक पहले के तीन वर्षों से संबंधित सभी तीन निर्धारण वर्षों के लिए कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है जिसमें ऐसा भुगतान प्राप्त हुआ है।

55.4 एफए 2023 में, अधिनियम की धारा 194एन को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां प्राप्तकर्ता एक सहकारी समिति है, इस धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे, जैसे कि "एक करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीन करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

56. स्रोत पर कर कटौती की गुंजाइश को कम या शून्य दर तक बढ़ाना

56.1 अधिनियम की धारा 197 निम्न या शून्य दर पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित है। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कर अधिनियम की धारा 192, 193, 194, 194A, 194C, 194D, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBB, 194LBC, 194M, 194-O और 195 के अंतर्गत काटा जाना आवश्यक है, तो करदाता शून्य दर या निम्न दर पर TDS के लिए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष

आवेदन कर सकता है। यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी भी निम्न दर या शून्य दर पर आयकर कटौती को उचित ठहराती है, तो उसे करदाता को एक उपयुक्त प्रमाण पत्र देना होगा।

56.2 अधिनियम की धारा 194एलबीए, *अन्य बातों के साथ-साथ*, यह प्रावधान करती है कि व्यावसायिक ट्रस्ट अनिवासी यूनिट धारकों की ब्याज आय पर 5% की दर से कर की कटौती और जमा करेगा। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ मामलों में कुछ छूटों के कारण कटौती की दर कम करनी पड़ सकती है, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 10(23एफई) के अंतर्गत अधिसूचित सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को दी गई छूट। हालाँकि, चूँकि अधिनियम की धारा 194एलबीए के अंतर्गत कम कटौती का प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कर कटौती के समय छूट का लाभ उपलब्ध नहीं है।

56.3 इस कठिनाई को दूर करने के लिए, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जिन राशियों पर अधिनियम की धारा 194एलबीए के तहत कर कटौती की जानी अपेक्षित है, वे भी कम दर पर कटौती के लिए प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

57. अधिनियम की धारा 196ए के तहत टीडीएस के समय कर संधि राहत

57.1 अधिनियम की धारा 196ए किसी अनिवासी (कंपनी न हो) या किसी विदेशी कंपनी को कुछ आय के भुगतान पर 20% की दर से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का प्रावधान करती है। यह आय अधिनियम की धारा 10 के खंड (23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की इकाइयों से या अधिनियम की धारा 10 के खंड (35) के *स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त होनी चाहिए*।

57.2 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें अनुरोध किया गया कि कर संधि के लाभ पर टी.डी.एस. के समय विचार किया जाए ताकि यदि संधि 20% से कम दर प्रदान करती है, तो टी.डी.एस. उस कम दर पर किया जाए।

57.3 करदाताओं द्वारा अनुरोधित राहत प्रदान करने के लिए, एफए 2023 के तहत, अधिनियम की धारा 196ए की उपधारा (1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि टीडीएस उस दर पर होगा जो 20% की दर और अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90ए की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समझौते में प्रदान की गई दर या दरों में से कम है, ऐसे भुगतानकर्ता के मामले में जिस पर ऐसा समझौता लागू होता है और ऐसे भुगतानकर्ता ने अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90ए की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

58. आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए टीडीएस/टीसीएस की उच्च दर के विशेष प्रावधान से राहत

58.1 अधिनियम की धारा 206AB आयकर रिटर्न न दाखिल करने वालों के लिए उच्च TDS के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 206CCA आयकर रिटर्न न दाखिल करने वालों के लिए उच्च TCS के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। इन धाराओं में इन गैर-फाइलरों को "निर्दिष्ट व्यक्ति" कहा गया है।

58.2 इन धाराओं में "निर्दिष्ट व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें कर की कटौती या संग्रहण अपेक्षित है (जैसा भी मामला हो) - (i) जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त हो गई है; और (ii) उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और स्रोत पर संग्रहित कर का कुल योग उक्त पिछले वर्ष में पचास हजार रुपये या उससे अधिक है।

58.3 इन परिभाषाओं के प्रावधान, किसी अनिवासी को निर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा से बाहर रखते हैं, यदि उस अनिवासी का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है।

58.4 कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों की श्रेणी में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने के लिए, एफए 2023 के तहत, अधिनियम की धारा 206एबी और 206सीसीए में "निर्दिष्ट व्यक्ति" की परिभाषा में संशोधन किया गया ताकि ऐसे व्यक्ति को इससे बाहर रखा जा सके जिसे उक्त पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

58.5 इसके अलावा, अधिनियम की धारा 194बीए (ऑनलाइन गेम से जीत पर टीडीएस) को अधिनियम की धारा 206एबी के प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि धारा 194बीए के तहत कर की कटौती को धारा 206एबी के दायरे में रखने से कर की कटौती की दर (धारा 194बीए के तहत) निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में 60% तक बढ़ जाएगी, जिससे करदाताओं को कठिनाई होगी।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

59. कुछ प्रेषणों पर टीसीएस की दर में वृद्धि

59.1 अधिनियम की धारा 206सी में मादक मदिरा, वनोपज, स्ट्रैप आदि के व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का प्रावधान है। उक्त धारा की उपधारा (1जी) में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के माध्यम से विदेशी विप्रेषण और विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर टीसीएस का प्रावधान है।

59.2 एफए 2023 ने, 1 जुलाई 2023 से, अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) में संशोधन किया है, अन्य बातों के साथ-साथ ,

- (मैं) एलआरएस के तहत धन प्रेषण के साथ-साथ विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को 5% से बढ़ाकर 20% करना;
- (ii) एलआरएस पर टीसीएस लागू करने के लिए 7 लाख रुपये की सीमा हटाई जाए।

59.3 ये दोनों परिवर्तन शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए धन प्रेषण पर लागू नहीं होते थे। एफए 2023 के संशोधन से पहले , एलआरएस के अंतर्गत टीसीएस केवल तभी लागू होता था जब धन प्रेषण भारत से बाहर किया जा रहा हो। एफए 2023 के तहत "भारत के बाहर धन प्रेषण" की शर्त हटा दी गई है।

59.4 वित्त मंत्रालय द्वारा 28 जून 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घोषणा की गई है कि:- क. अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) के खंड (क) के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये की सीमा को, सभी प्रकार के भुगतान माध्यमों से, उद्देश्य चाहे जो भी हो, सभी श्रेणियों के एलआरएस भुगतानों पर टीसीएस के लिए बहाल किया जाएगा: इस प्रकार, एलआरएस के तहत पहले 7 लाख रुपये के प्रेषण पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इस 7 लाख रुपये की सीमा से आगे , टीसीएस लागू होगा।

- (ए) 0.5% (यदि शिक्षा के लिए धन-प्रेषण अधिनियम की धारा 80ई में परिभाषित वित्तीय संस्थान से शिक्षा ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है);
- (बी) 5% (शिक्षा/चिकित्सा उपचार के लिए धन प्रेषण के मामले में);
- (सी) अन्य के लिए 20%.
- बी) (बी) के तहत विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए , टीसीएस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पहले 7 लाख रुपये के लिए 5% की दर से लागू होता रहेगा; 20% की दर केवल इस सीमा से ऊपर के व्यय के लिए लागू होगी।

59.5 इसके अलावा, 30 जून, 2023 का परिपत्र संख्या 10/2023_ (परिपत्र संख्या 11/2023 दिनांक 6 जुलाई, 2023 के तहत जारी शुद्धिपत्र), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एलआरएस और विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद पर टीसीएस से संबंधित परिवर्तनों के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने के लिए जारी किया गया है।

के माध्यम से यह भी घोषणा की गई थी कि टीसीएस दरों में वृद्धि, जो 1 जुलाई, 2023 से लागू होनी थी, ऊपर बताए गए संशोधनों के साथ 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी। 30 सितंबर, 2023 तक, पूर्व की दरें (वित्तीय विनियमन 2023 द्वारा संशोधन से पहले की) लागू रहेंगी। पूर्व और नई टीसीएस दरें संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

भुगतान की प्रकृति	एफए 2023 से पहले की दर	नई दर 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी
(1) अधिनियम की धारा 80ई में परिभाषित वित्तीय संस्थान से ऋण द्वारा वित्तपोषित शिक्षा के लिए एलआरएस चिकित्सा उपचार/शिक्षा के लिए एलआरएस (वित्तपोषित के अलावा)	(2) 7 लाख रुपये तक शून्य, 7 लाख रुपये से ऊपर 0.5%	(3) तक शून्य , 7 लाख रुपये से ऊपर 0.5%
अन्य उद्देश्यों के लिए एलआरएस	तक शून्य , 7 लाख रुपये से ऊपर 5%	तक शून्य , 7 लाख रुपये से ऊपर 20%
विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद पर 20% की छूट	5% (सीमा के बिना)	7 लाख रुपये तक 5%, उसके बाद 20%

नोट: (i) कॉलम दो में टीसीएस दर 30 सितंबर, 2023 तक लागू रहेगी। (ii) उप-धारा (1जी) के खंड (ए) के तहत एलआरएस के तहत पहले 7 लाख रुपये के व्यय पर कोई टीसीएस नहीं होगा , चाहे उद्देश्य कुछ भी हो।

60. संग्रहकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने पर उच्च दर वाले टीसीएस के विशेष प्रावधान से राहत

60.1 अधिनियम की धारा 206सीसी में कर संग्रहकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने की स्थिति में स्रोत पर कर संग्रह के लिए निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर का प्रावधान है :—

- (ए) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर; या
- (बी) 5 प्रतिशत.

60.2 अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) को वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत संशोधित किया गया , जिससे कुछ विदेशी प्रेषणों और विदेशी टूर पैकेजों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह की उच्चतम दर बढ़कर बीस प्रतिशत हो गई। चूंकि अधिनियम की धारा 206सीसी के दायरे में अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) के अंतर्गत किए गए भुगतान शामिल हैं, इसलिए कर संग्रहकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 206सीसी के अंतर्गत टीसीएस की दर दोगुनी होकर 40% हो जाएगी , जिससे करदाताओं को कठिनाई होगी।

तदनुसार, एफए 2023 के तहत धारा 206सीसी में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के तहत टीसीएस की दर बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

60.3 अधिनियम की धारा 206सीसीए आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए स्रोत पर कर संग्रहण हेतु निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर का प्रावधान करती है:

- (ए) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुनी दर, या
- (बी) 5 प्रतिशत.

60.4 अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) को वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत संशोधित किया गया , जिससे कुछ विदेशी प्रेषणों और विदेशी टूर पैकेजों की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह की उच्चतम दर बढ़कर बीस प्रतिशत हो गई। चूंकि अधिनियम की धारा 206सीसीए के दायरे में अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) के अंतर्गत किए गए भुगतान शामिल हैं, इसलिए निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में अधिनियम की धारा 206सीसीए के अंतर्गत टीसीएस की दर दोगुनी होकर 40% हो जाएगी, जिससे करदाताओं को कठिनाई होगी। तदनुसार, वित्तीय अधिनियम 2023 के तहत , धारा 206सीसीए में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के अंतर्गत टीसीएस की दर बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।

61. कुछ मामलों में रिफंड का सेट ऑफ और रोक

61.1 अधिनियम की धारा 241ए कुछ मामलों में रिफंड रोकने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, जहाँ धारा 143 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी करदाता को रिफंड देय हो जाता है और धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उसे कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया जाता है, वहाँ कर निर्धारण अधिकारी (एओ) कर निर्धारण की तिथि तक ऐसे रिफंड को रोक सकता है, यदि उसकी राय में कर वापसी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसा कर कटौती, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद और प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से की जा सकती है, और यह 2017-18 या उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों पर लागू है।

61.2 अधिनियम की धारा 245, देय शेष कर के विरुद्ध रिफंड के सेट-ऑफ से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को रिफंड देय पाया जाता है, तो कर अधिकारी या धारा में उल्लिखित अन्य आयकर प्राधिकारी, भुगतान के बदले, प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में उसे लिखित सूचना देने के बाद, उस व्यक्ति द्वारा देय शेष राशि के विरुद्ध रिफंड के आंशिक या पूर्ण भाग का सेट-ऑफ कर सकते हैं।

61.3 दोनों प्रावधानों में एकरूपता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 245 के स्थान पर दोनों धाराओं को एकीकृत किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहाँ इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को धन वापसी देय हो, वहाँ कर निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, धन वापसी के भुगतान के बदले, उस व्यक्ति द्वारा, जिसे धन वापसी देय है, इस अधिनियम के अंतर्गत देय शेष राशि के विरुद्ध, इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात, धन वापसी की जाने वाली राशि या उस राशि के किसी भाग का सेट ऑफ कर सकेगा।

61.4 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ प्रतिदाय का एक भाग उपधारा (1) के अंतर्गत सेट ऑफ कर दिया गया है या जहाँ कोई राशि सेट ऑफ नहीं की गई है, और किसी व्यक्ति को प्रतिदाय देय हो जाता है, तो निर्धारण अधिकारी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले में कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही लंबित है और प्रतिदाय प्रदान करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन की तिथि तक प्रतिदाय को रोक सकता है।

61.5 अधिनियम की धारा 241ए में भी संशोधन किया गया है, जिससे उस धारा के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू नहीं होंगे।

61.6 इसके अलावा, चूंकि अधिनियम की धारा 245 के तहत किए गए संशोधनों का धारा 244ए की उप-धारा (1ए) में निर्दिष्ट मामलों पर प्रभाव पड़ेगा,

अर्थात्, जहां करदाता को देय रिफंड को कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन किए जाने की तिथि तक धारा 245 की उप-धारा (2) के तहत एओ द्वारा रोके रखना आवश्यक है, धारा 244ए की उप-धारा (1ए) को भी एक प्रावधान जोड़कर संशोधित किया गया है कि करदाता के मामले में जहां कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही लंबित है, इस उप-धारा के तहत करदाता को अतिरिक्त ब्याज उस तिथि से शुरू होने वाली अवधि के लिए देय नहीं होगा, जिस तिथि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा कर निर्धारण रोक लिया जाता है, धारा 245 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन, उस तिथि तक जिस तिथि को ऐसे मामले में कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन लंबित है।

61.7 तथापि, किया गया संशोधन अधिनियम के तहत अपेक्षित रूप से करदाता को देय धारा 244ए की उपधारा (1ए) के तहत अतिरिक्त ब्याज को छोड़कर, अन्य सभी प्रकार के ब्याज के संबंध में मौजूदा स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रयोज्यता : ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

62. अंतरिम निपटान बोर्ड द्वारा सुधार आवेदनों के निपटान के लिए समय का विस्तार

62.1 अधिनियम की धारा 245डी, करदाता से निपटान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर निपटान आयोग के गठन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह धारा लंबित आवेदनों के निपटान या निपटान के संबंध में अपनाई जाने वाली समय-सीमा और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है।

62.2 वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अधिनियम में संशोधन किया गया, जो 1-2-2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा और निपटान आयोग को समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को 31-1-2021 तक निपटान आयोग के पास लंबित आवेदनों के निपटान हेतु एक अंतरिम उपाय के रूप में एक या एक से अधिक अंतरिम निपटान बोर्ड (आईबीएस) गठित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। निपटान आयोग के समक्ष लंबित आवेदनों के निपटान हेतु प्रावधान करने हेतु वित्त अधिनियम, 2021 के तहत धारा 245डी में उप-धारा (9) से (13) जोड़ी गईं।

62.3 उप-धारा (9) के खंड (iv) में प्रावधान है कि जहाँ उप-धारा (6B) के अनुसार किसी आदेश में संशोधन करने या सुधार आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 1-2-2021 को या उसके बाद समाप्त होती है, तो 1-2-2021 से IBS के गठन तक की अवधि को समय-सीमा की गणना से बाहर रखा जाएगा, और ऐसे बहिष्करण के बाद, यदि आदेश में संशोधन करने या आवेदन करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा 60 दिनों से कम है, तो ऐसी अवधि को 60 दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए, धारा 245D की उप-धारा (9) के खंड (iv) के प्रावधानों के अनुसार, 1-2-2021 से 10-8-2021 (जब IBS का गठन करने वाला आदेश जारी किया गया था) के बीच की अवधि को समय-सीमा की गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

62.4 इस संबंध में, हितधारकों से अधिनियम के अंतर्गत सुधार/संशोधन आदेश पारित करने हेतु आईबीएस को उपलब्ध समय-सीमा में विस्तार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। चूँकि अनुरोध केवल अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि के सुधार या संशोधन से संबंधित था, इसलिए लंबित मामलों के निपटान और आगे किसी भी मुकदमेबाजी से बचने के लिए आईबीएस को ऐसे आदेश पारित करने हेतु उपलब्ध समय-सीमा पर पुनर्विचार किया गया और उसे बढ़ा दिया गया।

62.5 तदनुसार, धारा 245डी की उपधारा (9) के खंड (iv) को एफए 2023 द्वारा संशोधित किया गया है और एक नए खंड के साथ प्रतिस्थापित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी आदेश को संशोधित करने या उपधारा (6बी) के तहत सुधार आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 1-2-2021 को या उसके बाद लेकिन 1-2-2022 से पहले समाप्त हो जाती है, ऐसी समय-सीमा 30-9-2023 तक बढ़ा दी जाएगी।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 फरवरी, 2021 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है।

63. संयुक्त आयुक्त (अपील) के अधिकार का परिचय

63.1 अधिनियम के अंतर्गत अपील की वर्तमान योजना के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी भी आदेश से व्यथित करदाता के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त (अपील) होता है। ऐसे आयुक्त (अपील) को करदाता और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कर निर्धारण आदेश या दंड आदेश की पुष्टि, कमी, वृद्धि या निरस्त/रद्द करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य है।

63.2 यह देखा गया है कि अपील के लिए प्रथम प्राधिकारी के रूप में, आयुक्त (अपील) वर्तमान में अपीलों की भारी संख्या और हर साल लंबित मामलों के कारण अत्यधिक कार्यभार से जूझ रहे हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2023 के तहत संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर पर एक नया अपील प्राधिकरण बनाया गया है ताकि विवादित मांग की छोटी राशि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सके। अपीलों के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में, इस प्राधिकरण के पास आयुक्त (अपील) के समान सभी शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही हैं।

63.3 अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 246 में अपील कार्यों के लिए उपायुक्त (अपील) की स्थापना का प्रावधान था। वर्ष 2000 में उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। विवादित मांग की छोटी राशि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए एक अपीलीय स्तर प्रदान करने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 246 को वित्तीय अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ताकि संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान किया जा सके। उक्त धारा की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी करदाता, जो किसी कर निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे) के निम्नलिखित आदेशों में

से किसी से व्यथित है, संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष निम्नलिखित के विरुद्ध अपील कर सकता है—

- (i) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के तहत एक सूचना के रूप में आदेश, जहां करदाता समायोजन करने पर आपत्ति करता है, या अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के तहत मूल्यांकन का कोई आदेश, जहां करदाता निर्धारित आय की राशि, या निर्धारित कर की राशि, या गणना की गई हानि की राशि, या उस स्थिति के लिए आपत्ति करता है जिसके तहत उसका मूल्यांकन किया जाता है;
- (ii) अधिनियम की धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का आदेश ;
- (iii) अधिनियम की धारा 200ए की उपधारा (1) के तहत एक सूचना होने का आदेश;
- (iv) अधिनियम की धारा 201 के तहत आदेश;
- (वी) अधिनियम की धारा 206सी की उपधारा (6ए) के तहत एक सूचना होने का आदेश;
- (छठी) अधिनियम की धारा 206सीबी की उपधारा (1) के तहत आदेश;
- (सात) अधिनियम के अध्याय XXI के तहत जुर्माना लगाने का आदेश; और
- (आठ) , जो ऊपर (i) से (vii) में उल्लिखित किसी आदेश में संशोधन करता है :

63.4 अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती, जहां इस उपधारा के अंतर्गत निर्दिष्ट आदेश उप-आयुक्त के पद से ऊपर के आयकर प्राधिकारी द्वारा या उसके अनुमोदन से पारित किया गया हो।

63.5 अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जहाँ उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध दायर कोई अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, वहाँ बोर्ड या बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई आयकर प्राधिकारी , ऐसी अपील और ऐसी अपील से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी मामले को, जो इस प्रकार लंबित है, संयुक्त आयुक्त (अपील) को हस्तांतरित कर सकता है, जो ऐसी अपील या मामले पर, उस चरण से आगे कार्यवाही कर सकते हैं जिस पर वह इस प्रकार हस्तांतरित होने से पहले थी। इससे आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर कुछ मौजूदा अपीलों को संयुक्त आयुक्त (अपील) को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

63.6 अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत आयकर प्राधिकारी , किसी संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित किसी अपील और ऐसी अपील से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी मामले को, जो लंबित है, आयुक्त (अपील) को हस्तांतरित कर सकता है, जो ऐसी अपील या मामले पर, उस चरण से आगे कार्यवाही कर सकता है जिस चरण पर वह स्थानांतरित होने से पहले था।

63.7 अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (4) में प्रावधान है कि जहां कोई अपील उपधारा (2) या उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत स्थानांतरित की जाती है, वहां अपीलकर्ता को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

63.8 अधिनियम की धारा 246 की उपधारा (5) में प्रावधान है कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटारे के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक योजना बना सकती है, ताकि तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक अपीलिय कार्यवाही के दौरान संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलकर्ता के बीच इंटरफेस को समाप्त करके पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ शीघ्रता से अपीलों का निपटारा किया जा सके और निर्देश दिया जा सके कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटारे के लिए अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, ई-अपील योजना, 2023 को अधिसूचना संख्या 33/2023 दिनांक 29-5-2023 (एसओ संख्या 2352[ई]) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है ई-अपील योजना, 2023, 29-5-2023 से लागू है।

63.9 अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (6) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उस उप-धारा के प्रावधान किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग पर लागू नहीं होंगे। तदनुसार, उक्त धारा की उप-धारा (6) के अंतर्गत निर्दिष्ट आदेश, एफ. संख्या 370149/97/2023-टीपीएल, दिनांक 16-6-2023 द्वारा जारी किया गया है।

63.10 इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है, जिसमें "स्थिति" को उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत करदाता का मूल्यांकन "व्यक्ति", "हिन्दू अविभाजित परिवार" आदि के रूप में किया जाता है।

63.11 अधिनियम की धारा 2 में संयुक्त आयुक्त (अपील) के लिए एक परिभाषा सम्मिलित करके संशोधन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 116 में भी संशोधन किया गया है ताकि संयुक्त आयुक्त (अपील) को अधिनियम के अंतर्गत आयकर प्राधिकारी बनाया जा सके।

63.12 इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं, नियमों और प्रासंगिक प्रपत्रों में परिणामी संशोधन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त आयुक्त (अपील) का कार्यकरण आयुक्त (अपील) के कार्यकरण के अनुरूप हो।

प्रयोज्यता: एफए 2023 द्वारा किए गए ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

64. अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलों का युक्तिकरण

64.1 अधिनियम की धारा 253 में अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने से संबंधित प्रावधान हैं। उक्त धारा की उप-धारा (1) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पारित आदेशों के प्रकारों का विवरण देती है, जिनके विरुद्ध कोई व्यथित करदाता अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। उक्त उप-धारा में प्रावधान है कि आयुक्त (अपील) द्वारा अधिनियम की धारा 154, धारा 250, धारा 270ए, धारा 271, धारा 271ए, धारा 271जे या धारा 272ए के अंतर्गत पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी करदाता अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। अतः, आयुक्त (अपील) के ऐसे आदेशों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण अपील का प्रथम स्तर है।

64.2 अधिनियम की धाराएं 271एबी, 271एसी और 271एडी अधिनियम के अध्याय XXI के तहत जुर्माना लगाने के लिए दंड प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 271एबी उस मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है जहां अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की गई है। अधिनियम की धारा 271एसी उस मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है जहां निर्धारित आय में किसी भी पिछले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या 69डी में निर्दिष्ट कोई आय शामिल है। अधिनियम की धारा 271एडी में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने के प्रावधान हैं यदि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों में कर देयता से बचने के लिए गलत प्रविष्टि या किसी प्रविष्टि की चूक है।

64.3 वित्त अधिनियम, 2022 के तहत, आयुक्त (अपील) को भी उक्त धाराओं के अंतर्गत जुर्माना लगाने का आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 271AAB, 271AAC और 271AAD में संशोधन किया गया। हालाँकि, चूँकि अधिनियम की धारा 253 की उप-धारा (1) में इसका संदर्भ नहीं डाला गया है, इसलिए कोई भी व्यथित करदाता आयुक्त (अपील) द्वारा पारित ऐसे जुर्माना आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, जिनसे करदाता की शिकायत हो सकती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 253 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयुक्त (अपील) द्वारा अधिनियम की धारा 271AAB, 271AAC और 271AAD के अंतर्गत पारित जुर्माना आदेशों के विरुद्ध अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाएगी।

64.4 इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अधिनियम की धारा 263 में संशोधन किया गया ताकि प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त भी उक्त धारा के तहत संशोधन का आदेश पारित कर सकें। हालाँकि, अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित ऐसे आदेशों के संदर्भ के अभाव में, प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के तहत किसी आदेश या अधिनियम की धारा 263 के तहत ऐसे आदेश को सुधारने वाले अधिनियम की धारा 154 के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई करदाता ऐसे आदेशों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील नहीं कर सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 253 में संशोधन किया गया है ताकि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित आदेश या ऐसे किसी आदेश के संबंध में अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में की जाएगी।

64.5 अधिनियम की धारा 253 की उप-धारा (4) आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील में प्रतिवादी को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष क्रॉस-ऑब्जेक्शन का ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति देती है। हालाँकि, यहां यह नोट करना उचित है कि आयुक्त (अपील) के अलावा अन्य प्राधिकारियों, जैसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक आदि के आदेशों के विरुद्ध भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी, चाहे वह राजस्व हो या करदाता, अधिनियम की धारा 253 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के विरुद्ध क्रॉस-ऑब्जेक्शन का ज्ञापन दाखिल नहीं कर सकता है। इससे शिकायतें उत्पन्न होती हैं और साथ ही ऐसे मामलों में निर्णय का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण कम हो जाता है। इसलिए, धारा 253 की उप-धारा (4) में संशोधन किया गया है उदाहरण के लिए, जहां करदाता विवाद समाधान पैनल के आदेश के परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करता है, तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसी अपील पर क्रॉस आपत्ति दायर कर सकेगा, जिसे वर्तमान में दायर नहीं किया जा सकता।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

65. प्राथमिक सहकारी समितियों के विरुद्ध नकद ऋण/लेनदेन के लिए जुर्माना

65.1 अधिनियम की धारा 269SS में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अकाउंट पेई चेक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के अलावा किसी अन्य माध्यम से ऋण या जमा राशि नहीं लेगा, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि 20,000 रुपये या उससे अधिक है। इसी प्रकार, धारा 269T में प्रावधान है कि किसी भी ऋण या जमा राशि का पुनर्भूगतान अकाउंट पेई चेक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से

ऑनलाइन हस्तांतरण के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि 20,000 रुपये या उससे अधिक है। हालाँकि, बैंकिंग कंपनियों आदि के लिए प्रावधानों में कुछ अपवाद निर्दिष्ट किए गए हैं।

65.2 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ("पीएसीएस") और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") के लिए अधिनियम की धारा 269एसएस और 269टी के संबंध में बैंकिंग कंपनियों के साथ नकद लेनदेन की सीमाओं में समानता लाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र से ऋण देने और जमा स्वीकार करने में शामिल हैं। वर्तमान प्रावधानों में कहा गया है कि पीएसीएस और पीसीएआरडी सहित प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम की धारा 269एसएस के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक नकद ऋण या जमा स्वीकार करने पर दंड के लिए उत्तरदायी है और साथ ही अधिनियम की धारा 269टी के तहत 20,000 रुपये से अधिक नकद ऋण और जमा का पुनर्भुगतान भी दंड के लिए उत्तरदायी है। चूंकि पीएसीएस और पीसीएआरडी जमीनी स्तर पर ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रावधानों के तहत उनके लिए छूट की मांग की गई थी।

65.3 निम्न आय वर्ग को राहत प्रदान करने और ऐसे क्षेत्रों में व्यवसाय संचालन को आसान बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 269SS में संशोधन करके PACS और PCARD के लिए 20,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह होगा कि

(ए) PACS या PCARD बैंक द्वारा अपने सदस्य से जमा स्वीकार किया जाता है; या

(बी) किसी PACS या PCARD बैंक से उसके सदस्य द्वारा ऋण लिया जाता है;

जुर्माना केवल तभी लगाया जाएगा जब ऋण या जमा की राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक हो।

65.4 उपर्युक्त के अनुक्रम में, अधिनियम की धारा 269टी के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है और पैक्स और पीसीएआरडी के मामले में 20,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसे मामले में जहां पैक्स या पीसीएआरडी द्वारा अपने सदस्य को जमा राशि का भुगतान किया जाता है या पैक्स या पीसीएआरडी को उसके सदस्य द्वारा ऋण चुकाया जाता है, भुगतान खाताधारक चेक या खाताधारक बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण द्वारा किया जाएगा यदि ऐसी जमा या पुनर्भुगतान की राशि 2 लाख रुपये से अधिक है। परिणामस्वरूप, यदि ऋण या जमा की ऐसी पुनर्भुगतान की राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक है तो जुर्माना लगाया जा सकेगा।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

66. टीडीएस के नए प्रावधानों के परिणामस्वरूप संशोधन

66.1 अधिनियम की धारा 271सी में स्रोत पर कर कटौती न करने पर दंड का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII-B (स्रोत पर कर कटौती - टीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार कर की पूरी या आंशिक कटौती करने में विफल रहता है या धारा 115-O (वितरित लाभ पर कर) या धारा 194B (क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पहलियों आदि से जीत पर कर) के प्रावधान के अनुसार कर का पूरा या आंशिक भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस कर की राशि के बराबर जुर्माना देना होगा, जिसे वह काटने या भुगतान करने में विफल रहा। अधिनियम की धारा 276बी, अध्याय XII-D (धारा 115-O के अंतर्गत आवश्यक) या XVII-B (स्रोत पर कटौती) के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाते में कर जमा करने में विफलता के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है।

66.2 वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अधिनियम में दो नए प्रावधान - धारा 194आर और धारा 194एस - शामिल किए गए। धारा 194आर व्यवसाय या पेशे से संबंधित लाभ या अनुलाभ पर कर कटौती का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन गेम से होने वाली शुद्ध जीत पर टीडीएस का प्रावधान करने के लिए एफए, 2023 के तहत अधिनियम में धारा 194बीए भी शामिल की गई है।

66.3 धारा 194S आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) के हस्तांतरण पर भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान करती है। लाभ या अनुलाभ या VDA से संबंधित भुगतान, उनकी प्रकृति के कारण, पूर्णतः वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में भी हो सकते हैं। तदनुसार, धारा 194S का पहला प्रावधान यह प्रावधान करता है कि यदि लाभ या अनुलाभ या VDA में "वस्तु के रूप में" घटक है, तो उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ या अनुलाभ जारी करने से पहले कर की आवश्यक राशि का भुगतान कर दिया गया है।

66.4 एफए 2023 से पहले, जुर्माना और अभियोजन के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जुर्माना या अभियोजन का आदेश नहीं था जो भुगतान नहीं करता है या यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि ऐसी स्थिति में कर का भुगतान किया गया है जहां लाभ या अनुलाभ वस्तु के रूप में दिया जाता है। इसलिए, इस तरह के जुर्माने और अभियोजन को सक्षम करने के लिए, धारा 271सी को एफए 2023 के तहत दो नए उप-खंडों को शामिल करके संशोधित किया गया है, अर्थात् उप-धारा (1) में खंड (बी) के तहत उप-खंड (iii) और उप-खंड (iv) जो 194आर की धारा उप-धारा (1) के पहले प्रावधान और धारा 194एस की उप-धारा (1) के प्रावधान का संदर्भ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, एफए 2023 के तहत अधिनियम की धारा 276बी में भी इसी तरह के संशोधन किए गए हैं।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

66.5 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में धारा 194बीए को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप, एफए 2023 के तहत, धारा 271सी की उपधारा (1) के खंड (

बी) और धारा 276बी के खंड (बी) के अंतर्गत एक नया उपखंड सम्मिलित किया गया है, जो धारा 194बीए की उपधारा (2) का संदर्भ प्रदान करता है।
प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी किया गया है।

67. वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर जुर्माना

67.1 अधिनियम की धारा 285BA के अनुसार, किसी भी निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन या किसी रिपोर्ट योग्य खाते का रिकॉर्ड रखने वाले खाता बही या अन्य दस्तावेज को पंजीकृत करने या बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, जैसा कि किसी भी समय लागू कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में निर्धारित आयकर प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 के तहत, वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर दंड का प्रावधान करने के लिए अधिनियम के अध्याय XXI में धारा 271FAA जोड़ी गई।

67.2 रिपोर्ट करने योग्य व्यक्तियों और खाताधारकों द्वारा स्व-प्रमाणन विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियमों के नियम 114H के तहत अनिवार्य हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए खाते खोले जाने के मामले (कर निवास के देश को प्रमाणित करने के लिए), पहले से मौजूद खातों के लिए संकेत ठीक करने के मामले (कर निवास के देश को प्रमाणित करने के लिए) और संस्थाओं के मामले यह प्रमाणित करने के मामले शामिल हैं कि वे निष्क्रिय गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं हैं या नहीं। हालांकि नियमों के नियम 114H में वैध स्व-प्रमाणन की आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है, फिर भी गलत स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 285BA के तहत गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, अधिनियम में गलत स्व-प्रमाणन पर दंड का प्रावधान शुरू करने की आवश्यकता है।

67.3 इसलिए, 271एफए में नई उप-धारा (2) डाली गई है जो यह प्रावधान करती है कि यदि किसी निर्धारित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेनदेन के विवरण में कोई अशुद्धि है और ऐसी अशुद्धि खाताधारक द्वारा प्रस्तुत झूठी या गलत जानकारी के कारण है, तो उक्त धारा में ऐसे वित्तीय संस्था पर लगाए जाने वाले जुर्माने के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो ऐसे संस्था पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 285बीए की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित आयकर प्राधिकरण द्वारा लगाया जाएगा। इसके अलावा, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था खाताधारक की ओर से भुगतान की गई राशि वसूल कर सकती है या अपने पास मौजूद किसी भी धनराशि में से या ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खाताधारक से प्राप्त होने वाली राशि को इस प्रकार भुगतान की गई जुर्माने की राशि के बराबर राशि अपने पास रख सकती है।

67.4 यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 271एफए में उक्त जुर्माना लगाने वाले निर्धारित आयकर प्राधिकरण का संदर्भ अधिनियम की धारा 285बीए की उपधारा (1) के तहत निर्धारित प्राधिकरण है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

68. अधिनियम की धारा 276ए का गैर-अपराधीकरण

68.1 अधिनियम की धारा 276ए में दो वर्ष तक के कठोर कारावास के साथ अभियोजन का प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति, जो परिसमापक है, अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल रहता है, या उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसार अपेक्षित राशि को अलग रखने में विफल रहता है, या उक्त धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में कंपनी की किसी भी परिसंपत्ति या संपत्ति को छोड़ देता है।

68.2 सरकार की यह घोषित नीति रही है कि व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। इस संबंध में, अधिनियम के प्रावधानों की जाँच की गई है। अधिनियम की धारा 276ए अधिनियम की धारा 178 का पालन न करने पर परिसमापक के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है। यह धारा ऐसे परिसमापक पर उसी गैर-अनुपालन के लिए व्यक्तिगत दायित्व भी थोपती है। इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के लागू होने के साथ, परिसमापन के तहत कंपनियों के लिए अब बकाया राशि के भुगतान के लिए वाटरफॉल तंत्र लागू है और अधिनियम की धारा 178 की उप-धारा (6) (मूल धारा) में प्रावधान है कि जब आईबीसी के प्रावधान विपरीत हों तो यह धारा प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा, परिसमापक अब इस विशिष्ट कानून की निगरानी में काम कर रहा है।

68.3 इसे देखते हुए, अधिनियम की धारा 276A में संशोधन किया गया है और इस धारा पर 1-4-2023 से एक सनसेट क्लॉज लागू किया गया है। अतः, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद इस धारा के अंतर्गत कोई नया अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा। हालाँकि, पहले के अभियोजन जारी रहेंगे।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

69. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 में संशोधन द्वारा प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों में संशोधन

69.1 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर ("एसटीटी") लगाने की शुरुआत की गई थी। एसटीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड (इक्विटी-उन्मुख योजना वाले) और किसी कंपनी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में या किसी व्यावसायिक ट्रस्ट द्वारा आरंभिक प्रस्ताव के संबंध में नियुक्त प्रमुख मर्चेंट बैंकर, प्रत्येक क्रेता या विक्रेता से निर्दिष्ट लेनदेन पर एसटीटी

वसूलने और एसटीटी वसूलने वाले महीने के अंत से सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। एसटीटी की दरें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं।

69.2 भारत में कमोडिटी बाजारों के कुल कारोबार में वायदा और विकल्प अनुबंधों की हिस्सेदारी क्रमशः 39.7 प्रतिशत और 60.3 प्रतिशत रही। सेबी की रिपोर्टों के अनुसार, यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वायदा और विकल्प अनुबंधों की उच्च हिस्सेदारी से एक ओर पूंजी बाजार में अस्थिरता बढ़ने और दूसरी ओर सट्टेबाजी बढ़ने की संभावना है।

69.3 अत्यधिक अस्थिर बाजारों में गिरावट का खतरा ज्यादा होता है, जिससे निवेशकों का काफ़ी पैसा डूब सकता है। साथ ही, यह बाजारों में संभावित मंदी का कारण भी बन सकता है। साथ ही, अस्थिर बाजार उच्च मुद्रास्फीति में भी योगदान करते हैं। तदनुसार, इन सट्टा उपकरणों में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे लेनदेन पर एसटीटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। तदनुसार, विक्रेता द्वारा देय प्रतिभूति लेनदेन कर की दर में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं-

(क) प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री के लिए, 0.05 प्रतिशत से 0.0625 प्रतिशत तक; और

(ख) प्रतिभूतियों में वायदा की बिक्री के लिए, 0.01 प्रतिशत से 0.0125 प्रतिशत तक।

प्रयोज्यता: वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय-VII में उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

70. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (पीबीपीटी अधिनियम) के प्रावधानों का युक्तिकरण

70.1 वित्तीय वर्ष 2023 से पहले, पीबीपीटी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जिसमें आरंभकर्ता अधिकारी (आईओ) भी शामिल है, आदेश की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। आदेश को आरंभकर्ता अधिकारी या अनुमोदन प्राधिकारी के कार्यालय तक पहुँचने में अक्सर समय लगता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर करना कठिन होता है, जिससे अपील दायर करने में देरी होती है।

70.2 अतः, पीबीपीटी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है ताकि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, आरंभकर्ता अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यालय में आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सके। पीबीपीटी अधिनियम की धारा 54ए के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में भी इसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है।

70.3 इसके अलावा, एफए, 2023 से पहले, पीबीपीटी अधिनियम की धारा 2(18) के प्रावधानों के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के उद्देश्य से 'उच्च न्यायालय' को उस उच्च न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया था जिसके अधिकार क्षेत्र में या तो पीड़ित पक्ष सामान्य रूप से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, या यदि पीड़ित पक्ष सरकार है तो, वह उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी, या एक से अधिक प्रतिवादियों के मामले में कोई भी प्रतिवादी निवास करता है, या व्यवसाय करता है या लाभ के लिए काम करता है। यह देखा गया कि गैर-निवासी जिनके खिलाफ पीबीपीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और जो परिभाषा में उल्लिखित अपीलकर्ता या प्रतिवादी की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

70.4 इसलिए, अनिवासी अपीलकर्ताओं या प्रतिवादियों के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को सक्षम करने के लिए, एफए 2023 ने पीबीपीटी अधिनियम की धारा 2(18) में संशोधन किया है ताकि एक परंतुक जोड़कर 'उच्च न्यायालय' की परिभाषा को संशोधित किया जा सके ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां पीड़ित पक्ष सामान्यतः किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास नहीं करता है या व्यवसाय नहीं करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम नहीं करता है या जहां सरकार पीड़ित पक्ष है और कोई भी प्रतिवादी सामान्यतः किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास नहीं करता है या व्यवसाय नहीं करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम नहीं करता है, तो उच्च न्यायालय ऐसा होगा जिसके क्षेत्राधिकार में आरंभकर्ता अधिकारी का कार्यालय स्थित है।

प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

71. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) को आयकर छूट का विस्तार 31-3-2025 तक

71.1 भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 द्वारा बनाया गया था। यह पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) का उत्तराधिकारी है और पूर्ववर्ती यूटीआई के कारण सरकारी देनदारियों को समाप्त करने के लिए अधिदेशित है।

71.2 निरसन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार, एसयूयूटीआई को 31-3-2023 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि एसयूयूटीआई का प्रशासक सभी योजनाओं के मोचन पर ही अपना पद छोड़ेगा।

71.3 यह बताया गया कि एसयूयूटीआई अपने गठन के बाद से ही विभिन्न योजनाओं के मोचन के माध्यम से निवेशकों के बकाया भुगतान के लिए निरंतर कार्य

कर रहा है। हालाँकि, वर्तमान गति से, सभी योजनाओं के मोचन और शेष निवेशकों को पूरी राशि के भुगतान में समय लग सकता है। इसके अलावा, योजनाओं के मोचन, पूरी राशि के भुगतान, लंबित मुकदमे आदि से संबंधित एसयूटीआई का कार्य 31-3-2023 से आगे, अर्थात् आयकर छूट प्रदान की गई समय सीमा से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

71.4 उपरोक्त के मद्देनजर, एफए 2023 ने यूटीआई निरसन अधिनियम, 2002 में संशोधन किया , -

- (i) धारा 8 की उपधारा (1) में यह उपबंध किया गया है कि एसयूटीआई का प्रशासक निर्दिष्ट उपक्रम की सभी योजनाओं के मोचन और निवेशकों को पूरी राशि के भुगतान के तुरंत बाद या ऐसी तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, जो भी पहले हो, अपना पद खाली कर देगा;
- (ii) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन, यह उपबंध किया गया है कि अधिनियम या कर या आय, लाभ या अभिलाभ से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि तक निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या प्राप्त किसी राशि के संबंध में कोई आयकर या कोई अन्य कर देय नहीं होगा।

प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

हिन्दी संस्करण भी बाद में आएगा।

खुशबू लाठर
भारत सरकार के अवर सचिव